चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

विशेषाधिकार के गले में सियासी फंदा

पेज-3

नीतीश सरकार का एक और भगोड़ा मंत्री

पेज-5

ख़ुद खोज ली जीवन की राह

पेज-7

साई की महिमा

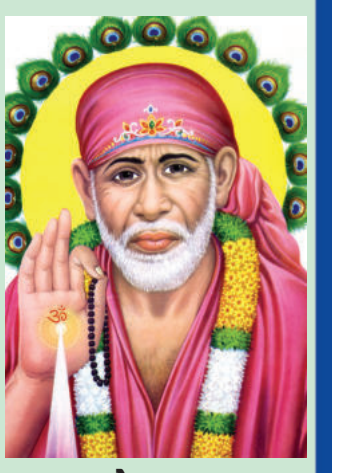

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 13 जून-19 जून 2011 | मूल्य 5 रुपये

मुस्लिम समाज का दर्द

मुस्लिम समाज बदल रहा है. कम से कम राजनीतिक चेतना के स्तर पर यह बदलाव तो दिख ही रहा है. पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम यही बताते हैं. अल्पसंख्यक समाज का सत्ताधारी दल से मोहभंग हुआ और बिहार से लालू यादव और पश्चिम बंगाल से 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता का सफाया हो गया. लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज अपनी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दुर्दशा से लड़ रहा है. शुभ संकेत यह है कि अब खुलकर इन समस्याओं पर बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर खुली बहस हो रही है. मुस्लिम समाज के लोग अब मंदिर-मस्जिद जैसे भावनात्मक मुद्दों की जगह शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अपनी भागीदारी जैसे असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं.

मनीष कुमार

बिहार में आश्चर्यजनक चीजें होती हैं. मुसलमानों की समस्याओं पर सेमिनार हो, वक्ता राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हों और कोई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की बात न करे, अगर कोई संघ परिवार और बजरंग दल को दोषी और अपराधी न बताए, अगर बाबरी मस्जिद का मुद्दा न उठे, अगर कोई भावनात्मक भाषण न दे, अगर मौलाना और मौलवी इस्लाम पर आने वाले ख़तरे को छोड़, शिक्षा और नौकरी की बातें करने लगें, तो हैरानी होती है. होनी भी चाहिए. आश्चर्य होने की वजह संघ परिवार का नाम न लिया जाना नहीं है. आश्चर्य तो इस बात का है कि अपने तीसरे सेमिनार में ही ईटीवी ने पूरी दुनिया के सामने मुस्लिम समाज के बदलते स्वरूप को बड़ी सफाई से रख दिया.

मुसलमानों की चुनौतियां क्या हैं, इस विषय पर पटना के रवींद्र भवन में एक सेमिनार हुआ. इसमें देश भर से नेता, पत्रकार और मौलवी शामिल हुए. इस सेमिनार को ईटीवी उर्दू ने आयोजित किया. ईटीवी देश के अलग-अलग शहरों में मुसलमानों की चुनौतियों को लेकर सेमिनार करा रही है. पटना से पहले जयपुर और मुंबई में ऐसे ही सेमिनार हो चुके हैं. पटना के सेमिनार की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की. इस सेमिनार के मुख्य अतिथि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे. इस सेमिनार में रामविलास पासवान भी थे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी अपनी बात रखी. सेमिनार में बिहार के मुस्लिम समाज के जाने-माने लोग मौजूद थे. साथ ही इस कार्यक्रम को ईटीवी के सभी हिंदी और उर्दू चैनलों पर लाइव दिखाया गया. इस सेमिनार के जरिए मुस्लिम समाज ने साफ संदेश दिया कि अब कोई झांसा देकर मुसलमानों के वोट नहीं ले सकता. संघ और भाजपा का डर दिखाकर कोई वोट नहीं ले सकता. जो मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करेगी, वही पार्टी मुसलमानों के समर्थन की हकदार होगी.

इस सेमिनार की शुरुआत बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने की. वैसे मुसलमानों में उनकी काफी इज़्ज़त है, लेकिन ऐसे मौके पर उनके पास कुछ बोलने को नहीं था, क्योंकि पंद्रह सालों के लालू राज में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ. हजरत मौलाना निजामुद्दीन ने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक तो राजनेताओं के लिए एक औजार हैं, जिससे वे राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या कम है. इसके लिए उन्होंने स्टेज पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सलाह दे डाली कि वह ऐसे मुसलमान नेताओं से घिरे हैं, जो चमचागीरी में लगे हैं. ऐसे लोग मुसलमानों में कोई असर नहीं रखते हैं. जो लोग मुस्लिम समाज में काम करते हैं, सरकार को उनकी बातों पर गौर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के मुताबिक मुसलमानों को नौकरी मिले, इसके लिए हर बच्चे और बच्चियों को तालीम की ज़रूरत है.

सेमिनार मुसलमानों की चुनौतियों पर था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद ने मीडिया को ही सीख देना उचित समझा. उन्होंने कहा कि किसी भी ब्लास्ट के तीन मिनट बाद टीवी चैनलों को नाम का पता कैसे चल जाता है. कैसे यह चलने लगता है कि फलां इमाम, फलां मोहम्मद, फलां हाशमी इस ब्लास्ट के पीछे है. उन्होंने बेझिझक कहा कि मीडिया का रोल बहुत ही निगेटिव होता जा रहा है. शकील अहमद सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं. उन्हें यह सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि जो नाम आता है, उसे पुलिस और खुफिया एजेंसी के लोग ही बताते हैं. उन्हें यह सवाल गृहमंत्री से पूछना चाहिए कि उनके अधिकारी मीडिया के साथ मिलकर इस तरह की अफवाह क्यों उड़ाते हैं. अगर कोई चैनल गलत खबरें देता है तो उसे सजा देने से किसने रोका है? वैसे भी कांग्रेस पार्टी की एक दिक्कत है कि जब भी मुसलमानों के विकास पर कोई चर्चा होती है तो वह थोड़ा बेचैन हो जाती है. 63 सालों के बाद भी अगर मुसलमान समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में शामिल हो गया है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है और इन 63 सालों में एक-दो बार छोड़कर कांग्रेस की ही सरकार रही है.

कांग्रेस की लाइन पर ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी है. हमें पता है कि इस सेमिनार में लालू यादव को भी शामिल होना था, लेकिन वह नहीं आए. क्या वजह रही होगी, यह पता नहीं, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि पटना में बिहार के सारे बड़े मुस्लिम नेता मुसलमानों की समस्याओं पर विचार कर रहे थे, बिहार के बाहर से आए नेता और समाजसेवी शिरकत कर रहे थे, ऐसे में जिस नेता को 15 सालों तक मुसलमानों ने अपना मसीहा समझा, अपना समर्थन दिया, वह नेता कैसे इस तरह के जलसे को नज़रअंदाज कर सकता है. लालू यादव अगर इस सेमिनार में आते तो उनके और मुसलमानों के बीच बनी दूरियां थोड़ी कम जरूर होतीं. लालू यादव नहीं आए, लेकिन रामविलास पासवान आए. उन्होंने अपने भाषण से बिहार के मुसलमानों के दिलों को जीता. उन्होंने राजनीतिक भाषण देने के बजाय मुसलमानों के दर्द को बताया. उन्होंने कहा कि दलितों और मुसलमानों की समस्याएं एक हैं, उनका दर्द एक है, यही उनका संदेश था.

नीतीश कुमार का भाषण एक मुख्यमंत्री का भाषण था. राजनीतिक भाषण. शुरुआत में उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर चुटकी ली, फिर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे. भागलपुर के दंगाइयों को सजा दिलाने का श्रेय लिया. उसके बाद आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया कि किस तरह बिहार सरकार ने मुसलमानों के लिए विशेष योजना लागू की और किस तरह वह सफल रही. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना लगाया. केंद्र सरकार की मल्टी सेक्टोरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम की कमियां गिनाईं और बिहार सरकार के पक्ष पर सफाई दी. यह प्रोग्राम देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बनाया गया है. नीतीश कुमार ने बताया कि इस प्रोग्राम का फोकस अल्पसंख्यकों का विकास नहीं है, बल्कि यह पूरे जिले के विकास के लिए बनाया गया है. वैसे अल्पसंख्यकों के बीच नीतीश कुमार की छवि काफी अच्छी है. चौथी दुनिया के एडिटर इन चीफ संतोष भारतीय ने नीतीश कुमार की सरकार को यह चेतावनी दी कि इस बार चुनाव में मुसलमानों ने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर भरोसे के साथ एनडीए को वोट दिया है. इस विश्वास को बचाए रखने का काम सरकार का है. उन्होंने दो टूक कहा कि अगर मुसलमानों के विकास के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया तो नीतीश कुमार की हालत भी लालू प्रसाद की तरह हो जाएगी.

मौलाना वली रहमानी ने जब बोलना शुरू किया तो नीतीश सरकार की पोल परत दर परत खुल गई. मौलाना वली रहमानी का भाषण सुनकर ऐसा नहीं लगा कि वह कोई मौलाना हैं, बल्कि वह एक वकील की तरह अपनी दलीलें दे रहे थे, एक विपक्ष के नेता की तरह बोल रहे थे. जब वह बोल रहे थे, तब नीतीश कुमार जा चुके थे. उन्होंने कहा कि स्टेज पर अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन असलियत यह है कि चाहे वह बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, उसने मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा किया है. तालीम के मैदान में जब मुसलमान आगे बढ़ते हैं तो उनकी टांग खींच दी जाती है. मामला कब्रिस्तान की घेराबंदी का हो, मुसलमानों के लिए कटिहार

(शेष पृष्ठ 2 पर)

> मुसलमानों को आज़ादी के बाद से आज तक गुमराह ही किया जाता रहा. अगर सरकारों ने मुसलमानों को गुमराह न किया होता तो 63 सालों में उनकी हालत बद से बदतर न होती. जब तक राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक मुसलमानों का विकास नहीं होगा.
>
> -डॉ. मोहम्मद अयूब
> अध्यक्ष, पीस पार्टी ऑफ इंडिया

> इस देश के मुसलमानों को अपनी देशभक्ति की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है. 1947 में जब बंटवारा हुआ, जिन लोगों ने यहां रहना कबूल कर लिया, वे परीक्षा में पास हो गए. अब हर पांच साल पर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है.
>
> -सुशील कुमार मोदी
> उप मुख्यमंत्री, बिहार

"Cotton ki Jhappi!"

T.T.

Healthy Innerwear

Vest • Brief • Bra-Panties • T-Shirts

Ph. : 011-45060708, E-mail: export@tttextiles.com

ममता का मुख्यमंत्री कार्यालय, जिसे सुपर सीएमओ कहा जा रहा है, में चहेते बाबू होंगे, जो सीधे उनके नियंत्रण में काम करेंगे.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

ममता लहर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को अपने पूर्ववर्ती बुद्धदेव भट्टाचार्य की कार्यशैली से अलग रखना चाहती हैं. इस निर्णय पर केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर काम करने के उनके अनुभव का असर है या कुछ और, कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दीदी रायटर्स बिल्डिंग में भी पीएमओ जैसा मॉडल विकसित करना चाहती हैं. ममता का मुख्यमंत्री कार्यालय, जिसे सुपर सीएमओ कहा जा रहा है, में चहेते बाबू होंगे, जो सीधे उनके नियंत्रण में काम करेंगे. बुद्धदेव के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां सात से आठ कर्मचारी होते थे, वहीं ममता के कार्यालय में इससे दोगुने कर्मचारी होंगे. ऐसा इसलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने पास कई महत्वपूर्ण विभाग मसलन गृह, भूमि सुधार, कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रख लिए हैं. जाहिर है, सरकार के मुख्य कार्य लगभग मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होने हैं. साफ है कि यह सारी कवायद एक नई सरकार के बनने के बाद आमतौर पर दिखने वाली रस्मों से कहीं ज्यादा है. इसके अलावा आने वाले कुछ सप्ताहों में अभी कई और बदलाव देखने को मिलेंगे.

काम नहीं पैसा खूब

एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि पिछले साल हरियाणा सरकार ने उन 17 बाबुओं को वेतन देने में कई लाख रुपये खर्च किए, जिन्हें पिछले एक साल में न तो कोई काम दिया गया और न उन्होंने कोई काम किया. इसमें 10 आईएएस और राज्य सेवा के 7 बाबू शामिल हैं. सूचना के मुताबिक, सरकार ने इन बाबुओं को कोई पद तो नहीं दिया, लेकिन वेतन भुगतान होता रहा. एक आईएएस अधिकारी वजीर सिंह बिना किसी पद के चार महीने तक बैठे रहे. इसी तरह कई और अधिकारी भी महीने–दो महीने तक बिना काम के बैठे रहे और उन्हें वेतन मिलता रहा. इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

आईपीएस की कमी

गृह मंत्रालय के मुताबिक, अभी देश में 1327 आईपीएस अधिकारियों की कमी है. इस कमी को पूरा करने के लिए और नियुक्तियां करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इसमें पीएमओ की तरफ से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं. पूर्व आईपीएस अधिकारी कमल कुमार ने अधिकारियों की इस कमी से निपटने की योजना बनाई है, जिसमें हर साल अर्द्ध सैनिक सेवा और राज्य सेवा से 80 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है. ऐसा अगले सात साल तक करते रहने की बात भी इस योजना में शामिल है. दिलचस्प रूप से इस योजना का विरोध न सिर्फ पीएमओ, बल्कि आईपीएस अधिकारियों की तरफ से भी हो रहा है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि राज्य सेवा के अधिकारियों के साथ उन्हें काम करना पड़े.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

पाल संयुक्त निदेशक बनेंगे

वर्ष 1997 बैच के आईसीएएस अधिकारी आनंद कुमार पाल को उर्वरक विभाग के तहत फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयुक्त निदेशक बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. उन्हें 1989 बैच के आईसीएएस अधिकारी उमेश डोंगरे की जगह नियुक्त किया जाएगा.

सुरेंद्र भूमि संसाधन में जेएस

वर्ष 1986 बैच के आईएफएस एवं केरल कैडर के अधिकारी सुरेंद्र कुमार जल्द ही भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनेंगे. उन्हें भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाएगा. यह नवसृजित पद है.

अनुराधा संस्कृति मंत्रालय जाएंगी

संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव का नया पद सृजित किया गया है. इस पद पर 1984 बैच की आईडीएएस अधिकारी अनुराधा मित्रा को लाए जाने की संभावना है.

अंशु जेएस बनेंगे

वर्ष 1986 बैच के आईएएस अधिकारी अंशु प्रकाश को भारत सरकार के रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाए जाने की संभावना है. वह उत्तर प्रदेश कैडर और 1983 बैच के आईएएस अधिकारी जतिंदर बीर सिंह की जगह लेंगे.

अच्छी ख़बर नहीं

वर्ष 1987 बैच के अधिकारियों को यह खबर मायूस करने वाली है. कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि इस बैच के बाबुओं के नाम सचिव पद के लिए बनाई जा रही सूची में शामिल किए जाएंगे, लेकिन यह बात महज अफवाह साबित हुई.

मुस्लिम समाज का दर्द

पृष्ठ एक का शेष

मेडिकल कालेज का हो या फिर मुसलमानों के बीच काम करने वाले एनजीओ या केंद्र सरकार की योजनाओं का, मौलाना वली रहमानी ने पूरी रिसर्च और आंकड़ों के साथ सरकार की नाकामी को उजागर किया. शिया गुरु और इस्लामिक स्कॉलर कल्बे रुशैद रिजवी ने सबसे ज़्यादा तालियां बटोरीं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनमें एकता नहीं है, क्योंकि सियासत ने पूरे समाज को बांट दिया है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें.

बंगाल से आए तृणमूल कांग्रेस के नेता और केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री सुल्तान अहमद ने कहा कि मुसलमानों की चुनौतियां वही हैं, जो देश की चुनौतियां हैं. साठ सालों के बाद भी अगर हमें गरीबी रेखा बनानी पड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली और पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़े तो हमारे सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं. उन्होंने सरकार को जवाबदेह बनाने में जनता की भागीदारी की बात कही और बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र से पैसा राज्यों में आता है, लेकिन जिला अधिकारी उसे खर्च नहीं करता है, पैसा वापस चला जाता है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जिलाधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए कि उस पैसे का क्या हुआ. जब तक मुसलमान संगठित होकर सरकार और अधिकारी पर दबाव नहीं डालेंगे, तब तक सरकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को नहीं मिलने वाला. उत्तर प्रदेश की पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब ने मुसलमानों की चुनौतियों से निपटने का रास्ता बताया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आज़ादी के बाद से आज तक गुमराह ही किया जाता रहा. गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के बारे में उन्होंने बताया कि इनके चेहरे अलग हैं, ज़ुबान बहुत मीठी है, मगर दिल बहुत काला है. अमल बिल्कुल नहीं है. इनसे गुमराह होने की जरूरत नहीं है. अगर सरकारों ने मुसलमानों को गुमराह न किया होता तो 63 सालों में उनकी हालत बद से बदतर न होती. उन्होंने मुसलमानों की चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण का रास्ता सुझाया. उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक मुसलमानों का विकास नहीं होगा. डॉ. अयूब की दलील सही इसलिए है, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब ही यही है कि लोग अपने विकास के लिए राजनीतिक सत्ता का उपयोग करें. मुसलमानों ने अब तक इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखा है. राजनीतिक दलों ने अगर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है तो उसके लिए जितनी जिम्मेदार ये पार्टियां हैं, उतना ही ज़िम्मेदार मुस्लिम समुदाय है.

पूर्व सांसद एजाज़ अली ने मुस्लिम समुदाय के अंदर मौजूद अलग–अलग वर्गों का विश्लेषण किया. उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों की चुनौतियां अलग हैं और अमीर मुसलमानों की चुनौतियां अलग हैं. उन्होंने यह दलील दी कि आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, इसलिए मुसलमानों को भी दलितों की तरह ही सहूलियतें दी जाएं. दलितों की तरह ही गरीब मुसलमानों को भी आरक्षण मिले. यह मुसलमानों का हक है. पसमांदा मुसलमानों के नेता और जेडीयू सांसद अली अनवर जब बोलने आए तो हंगामा हो गया. अली अनवर ने कहा कि अगर धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग हुई तो कोर्ट ऐसे कानून को निरस्त कर देगा, इसलिए आरक्षण का मूल आधार सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए. हालांकि अली अनवर तर्कसंगत बात कर रहे थे. यही बात एजाज अली ने कही और उनके बाद रामविलास पासवान ने भी यही कहा, लेकिन बिहार की जनता है कि बिना किसी हंगामे के किसी समारोह को वह सफल ही नहीं मानती. इसलिए हंगामा हुआ, कार्यक्रम सफल हो गया. एक बात जो समझ में नहीं आई कि इस सेमिनार में कुछ ऐसे वक्ताओं को भी बोलने का मौक़ा दिया गया, जो विषय पर कम बोले और उन्होंने इस सेमिनार को अपनी राजनीति चमकाने का एक जरिया बनाया. बेगूसराय के सांसद मोनाजिर हसन ने अपना सारा समय नीतीश कुमार के गुणगान में लगा दिया. मुसलमानों की चुनौतियों पर कुछ भी नहीं कहा. शायद उन्हें मुसलमानों की चुनौतियों के बारे में कोई अंदाजा न हो या फिर उन्होंने इस सेमिनार के जरिए नीतीश कुमार की नज़रों में अपनी खोई हुई साख को फिर से मजबूत करने की कोशिश करना उचित समझा.

एजाज़ अली ने मुस्लिम समुदाय के अंदर मौजूद अलग-अलग वर्गों का विश्लेषण किया. उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों की चुनौतियां अलग हैं और अमीर मुसलमानों की चुनौतियां अलग हैं. उन्होंने यह दलील दी कि आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, इसलिए मुसलमानों को भी दलितों की तरह ही सहूलियतें दी जाएं.

इस सेमिनार का मास्टर स्ट्रोक बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने मारा. उनकी नम्रता की तारीफ होनी चाहिए. कहां ऐसा नेता मिलता है आजकल, जो दिन भर बैठा रहे और लोगों के कटाक्ष पर मुस्कराता रहे. वह इस सेमिनार में सबसे पहले आए और सबसे आखिर में बोले. बीच में उन्हें भूख भी लगी, तुरंत खाना खाकर वापस स्टेज पर आकर बैठ गए. वह इस सेमिनार के अध्यक्ष थे, इसलिए उनका भाषण निर्णायक था. उन्होंने एक ऐसी बात कही, जिसे सुनकर ऐसा नहीं लगा कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. उन्होंने कहा कि इस देश के मुसलमानों को अपनी देशभक्ति की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है. 1947 में जब बंटवारा हुआ, जिन लोगों ने यहां रहना कबूल कर लिया, वे परीक्षा में पास हो गए. अब हर पांच साल पर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है. उन्हें तो पता भी नहीं है कि बंटवारा क्या था. वह पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है, नया इतिहास बनाना चाहती है, इसलिए हमारा यह दायित्व है कि हम उसे ऐसा माहौल दें, जिसमें वह भारत को आगे लेकर जा सके. उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट न दिया होता तो हम चुनाव नहीं जीत पाते. हम किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे कि सुशील कुमार मोदी या एनडीए की सरकार ने हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव किया है. इसके अलावा उन्होंने एक ऐसी बात कही, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से सुनने को नहीं मिलती है. उन्होंने कहा कि बीस करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक वर्ग अगर कमजोर रह गया, शिक्षा में पीछे रह गया, अगर वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रह गया तो यह देश कभी मजबूत नहीं बन पाएगा और कोई भी राजनीतिक दल इस बीस करोड़ की आबादी की उपेक्षा करके, उसके साथ भेदभाव करके राजनीति नहीं कर सकता है. अब पता नहीं कि सुशील कुमार के इन विचारों को दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन पाते हैं या नहीं.

इस कार्यक्रम को 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टेलीविजन पर देखा. उन्होंने इन नेताओं का आकलन किया होगा कि हमारे नेता मुसलमानों की चुनौतियों से वाकिफ हैं भी या नहीं. वे जो बोलते हैं और जो करते हैं, उसमें क्या अंतर है. ईटीवी की इस मुहिम की सराहना होनी चाहिए. इतना जरूर कहना पड़ेगा कि इस सेमिनार ने मुसलमानों को जागरूक किया है. मुस्लिम समाज बदल गया है. उसे अब भावनात्मक मुद्दों से ज़्यादा शिक्षा, रोज़गार, अधिकार और विकास की चिंता सता रही है. यही वजह है कि बिहार में बदलाव की हवा चली तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देने में नहीं हिचके. केरल, असम और तमिलनाडु में भी मुसलमानों ने इस बार अलग सोच के तहत वोटिंग की. बंगाल में तो मुसलमानों ने कमाल ही कर दिया. एक ही झटके में 35 साल से क़ाबिज़ सरकार को धूल चटा दी. मुसलमान अपने वोट की कीमत को समझने लगा है. पहले वह ठगा जाता था, सेकुलर–कम्यूनल की दीवार में फंस जाता था. मुस्लिम समाज बदल गया है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 14
दिल्ली, 13 जून–19 जून 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

विशेष संवाददाता
सरोज कुमार सिंह (बिहार)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अफ़ज़ल मामले में भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ. पहले तो सरकार कहती रही कि मामला राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती.

फांसी और दया याचिका

विशेषाधिकार के गले में सियासी फंदा

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

फांसी के फंदे पर सियासत या सियासत के फंदे में वह क़ानून, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार देता है. सवाल यह है कि क्या सचमुच राष्ट्रपति ख़ुद अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं या इस अधिकार का इस्तेमाल भी सियासी लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. राजीव गांधी के हत्यारों, भुल्लर एवं अफ़ज़ल की दया याचिका और उन पर सरकार का रुख़ कुछ ऐसे ही सवालों को सामने लाता है.

शशि शेखर

राजस्थान के बंसवाड़ा ज़िले की एक घटना है. 6 मई, 1993 को गढ़ी तहसील के नोखला गांव का राव जी उर्फ रामचंद्र अपनी पत्नी, तीन बच्चों और एक पड़ोसी की हत्या कर देता है. मामला ज़िला अदालत पहुंचता है, जहां उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है. फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यह सज़ा बरक़रार रहती है. दो से ढाई सालों के बीच राव जी का मामला ज़िला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक पूरा हो जाता है. इसके बाद राव जी राजस्थान के राज्यपाल के पास दया याचिका देता है, जिसे एक जनवरी, 1996 को अस्वीकार कर दिया जाता है. तब वह राष्ट्रपति के पास फरवरी 1996 में दया याचिका भेजता है. दो से तीन महीने के भीतर वहां से भी उसकी याचिका अस्वीकृत कर दी जाती है. मई 1996 में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है. यानी तीन साल के भीतर सारी प्रक्रिया ख़त्म. अब एक और घटना पर ग़ौर कीजिए. 1999 में तमिलनाडु के मुरुगन, संथन और अरिवु को फांसी की सज़ा दी जाती है. इन पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 18 अन्य लोगों की हत्या का दोष साबित हुआ था. इन तीनों ने 2000 में दया याचिका डाली, जो पिछले 11 सालों से लंबित है या फिर संसद पर हमले का दोषी अफजल, जिसकी दया याचिका 2005 से लंबित है.

अब इन तीन घटनाओं के क्या अर्थ हैं? ज़ाहिर है, ये घटनाएं कई सवाल पैदा करती हैं. मसलन, जब अफ़ज़ल मामले पर सरकार यह कहती है कि वह सभी दया याचिकाओं को एक-एक करके और क्रम में देख रही है, तो सवाल उठता है कि 2003 में दया याचिका भेजने वाले देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका पर फ़ैसला कैसे हो गया, जबकि राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका वर्ष 2000 से लंबित है. दूसरा और सबसे अहम सवाल, क्या संविधान के अनुच्छेद 72, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी सज़ा पाए व्यक्ति की सज़ा को बदल सकते हैं या घटा सकते हैं, का इस्तेमाल राष्ट्रपति ख़ुद अपने विवेक से करते हैं. दरअसल, दया याचिका की पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है कि आम आदमी के लिए इसे समझना मुश्किल है. जब सज़ा पाया कोई व्यक्ति अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उसे सीधे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है. फिर संबंधित राज्य सरकार अपनी राय देती है. इसके अलावा अनुच्छेद 72 में किसी भी दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए किसी समय सीमा या दिशा-निर्देश का उल्लेख नहीं है. इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि किसी की दया याचिका पर कब तक निर्णय ले लेना है, लेकिन मामला इतना सरल नहीं है. चूंकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका से संबंधित सारे दस्तावेज़, राय एवं सुझाव इत्यादि केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार से आने होते हैं, इसलिए किसी दया याचिका पर अंतिम फैसला लेने में कितना वक़्त लग सकता है, यह राष्ट्रपति पर निर्भर नहीं करता. अभी भुल्लर मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. ऐसा नहीं है कि सरकार ने ख़ुद और पूरे मन से इस मामले में फ़ैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की दया याचिका को 8 साल से लटकाने पर सवाल उठाए थे और हैरानी जताई थी. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उसके दो दिनों बाद ही भुल्लर की याचिका ख़ारिज कर दी गई.

अफ़ज़ल मामले में भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ. पहले तो सरकार कहती रही कि मामला राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती. जबकि चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ों से पता चला कि जिस दिन अफजल की दया याचिका राष्ट्रपति सचिवालय पहुंची, उसे तत्काल गृह मंत्रालय भेज दिया गया. वहां से उसे दिल्ली सरकार को भेज दिया गया और डेढ़-दो सालों तक दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक बैठक तक नहीं की. बाद में जब यह बात सामने आई, तब आनन-फानन में दिल्ली सरकार ने फाइल आगे बढ़ाई. हालांकि इस मामले में वोट बैंक की राजनीति तो साफ-साफ दिखती है, लेकिन अब तक राजीव गांधी के हत्यारों की 11 साल पुरानी दया याचिका पर फ़ैसला क्यों नहीं लिया गया. गृहमंत्री पी चिदंबरम दया याचिकाओं पर क्रमवार फ़ैसला लेने की बात कहते हैं, तो आख़िर उसी क्रम का उल्लंघन करके भुल्लर की 2003 से लंबित दया याचिका पर अंतिम फ़ैसला क्यों और कैसे कर लिया गया? बहरहाल, फांसी पर सियासत कैसे होती है, इसका एक नमूना भुल्लर की दया याचिका ख़ारिज होते ही देखने को मिला. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह से लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल तक ने भुल्लर की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने की वकालत की और कहा है कि वे मृत्युदंड के ख़िलाफ़ हैं. अकाली दल ने तो यहां तक कहा कि दारा सिंह पर धर्म परिवर्तन के मामले में ईसाइयों की हत्या का दोष सिद्ध हुआ था, लेकिन धार्मिकता और संवेदनशीलता के मद्देनज़र उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था. आख़िर यही पैमाना भुल्लर के मामले में क्यों नहीं अपनाया जा सकता.

बहरहाल, अदालत मानती है कि उम्रकैद नियम है, जबकि फांसी की सज़ा एक अपवाद. ऐसी सज़ा, जो रेयरेस्ट और रेयर मामले में दी जाती है. अदालत तो किसी दोषी को सज़ा (मृत्यु दंड) दे देती है, इस उम्मीद के साथ कि इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा. लोग ग़लत काम करने से डरेंगे, लेकिन राजनीति के सियासी फंदों में ऐसे आदेश को इस तरीक़े से उलझा दिया जाता है कि सज़ा से पैदा होने वाला डर ही ख़त्म हो जाता है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

जब अफजल मामले पर सरकार यह कहती है कि वह सभी दया याचिकाओं को एक-एक करके और क्रम में देख रही है, तो सवाल उठता है कि 2003 में दया याचिका भेजने वाले देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका पर फैसला कैसे हो गया, जबकि राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका 2000 से लंबित है. उत्तर प्रदेश के श्याम मनोहर, शिवराम, प्रकाश, सुरेश, रविंदर और हरीश की दया याचिका भी 1998 से लंबित है. आखिर इन मामलों में क्रम का ध्यान क्यों नहीं रखा गया?

लंबित दया याचिकाएं

मुरुगन, संथन और अरिवु तमिलनाडु, 2000 से.
गुरमीत सिंह, उत्तर प्रदेश, 2007 से.
श्याम मनोहर, शिवराम, प्रकाश, सुरेश, रविंदर और हरीश, उत्तर प्रदेश, 1998 से.
प्यारा सिंह, सरबजीत सिंह, गुरदेव सिंह और सतनाम, पंजाब, 2003 से.
मोहन और गोपी, तमिलनाडु, 2005 से.
मोलाइ राम और संतोष, मध्य प्रदेश, 2005 से.
धर्मपाल, हरियाणा, 2005 से.
एस बी पिंगले, महाराष्ट्र, 2005 से.
जय कुमार, मध्य प्रदेश, 2005 से.
सुरेश और राम जी, उत्तर प्रदेश, 2005 से.
शेख मीरन, सेल्वम और राधाकृष्णन, तमिलनाडु, 2005 से.
सत्तन और गुड्डू, उत्तर प्रदेश, 2009 से.
ओम प्रकाश, उत्तराखंड, 2003 से.
सिमोन, घनप्रकाश, मडाइहा और बिलावंद्रा, कर्नाटक, 2005 से.
प्रवीण कुमार, उत्तर प्रदेश, 2005 से.
सतीश, उत्तर प्रदेश, 2007 से.
सुशील मुर्मु, झारखंड, 2004 से.
अफजल गुरु, दिल्ली, 2006 से.
साईबन्ना, कर्नाटक, 2007 से.
कुंवर और करण बहादुर, उत्तर प्रदेश, 2006 से.
लालिया डोम और शिव लाल, राजस्थान, 2005 से.
जफर अली, उत्तर प्रदेश, 2006 से.
सोनिया और संजीव, हरियाणा, 2007 से.
बंडु बाबूराव तिड़के, कर्नाटक, 2007 से.
बंटू, उत्तर प्रदेश, 2009 से.

अनुच्छेद 72 और 161 में फ़र्क़

अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सजा पाए या अभिशंसित व्यक्ति की सज़ा को निरस्त करके उसे क्षमादान दे सकते हैं, उस सज़ा को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं या बदल सकते हैं. यह दया का अधिकार कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड पर भी प्रभावी है. इसी तरह राज्य के राज्यपाल को भी यह अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 161 द्वारा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. जहां राष्ट्रपति का यह अधिकार बहुत विस्तृत है, वहीं राज्यपाल के इस अधिकार का दायरा कम है. मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल सज़ा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं या इसे घटाकर आजीवन कारावास में बदल सकते हैं. कोर्ट मार्शल के मामले में भी यही फर्क है. केवल राष्ट्रपति ही कोर्ट मार्शल के अंतर्गत दिए गए फैसले को कम कर सकते हैं.

कोकराझाड़ ज़िले में बीते अप्रैल महीने में छह महिलाओं की हत्या से संबंधित रिपोर्ट ज़िले के पुलिस अधीक्षक को चार हफ्ते में देने को कहा गया है.

पूर्वांचल

जान देंगे, ज़मीन नहीं

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि मायावती का ज़मीन, पत्थरों और सोने-चांदी के प्रति मोह किसी से छिपा नहीं है. सपा की सरकार आने पर सभी मामलों की जांच कराई जाएगी. इस बात की भनक जब शासन को लगी तो मामला तुरंत संज्ञान में लिया गया, लेकिन उसका सारा ध्यान मामला सुलझाने से अधिक इस बात पर था कि किसी तरह किसानों को ज़मीन देने के लिए मना लिया जाए.

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश सरकार आंख–कान बंद करके काम कर रही है. भूमि अधिग्रहण मामले में बार–बार अदालत में मुंह की खाने और कई स्थानों कृषि भूमि बचाने के लिए किसान आंदोलन के उग्र रूप धारण करने के बाद भी वह चेती नहीं है. यही वजह थी कि भट्टा–पारसौल में भूमि अधिग्रहण मामले की आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी और सरकारी नुमाइंदे पूर्वांचल के चंदौली ज़िले के कटेसर और कोडोपुर गांव में ज़मीन अधिग्रहण के लिए पहुंच गए. ख़बर सुनते ही किसान उत्तेजित होकर उसी आग में जलने लगे, जिसमें कुछ समय पहले भट्टा–पारसौल के किसान जल रहे थे. किसानों का आरोप है कि नई काशी (सांस्कृतिक हब) बसाने के नाम पर सरकार उनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन हथियाना चाहती है. पहले तो किसानों ने शांतिपूर्ण तरीक़े से मायावती के दरबार में अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन जब शासन–प्रशासन में बैठे लोगों ने उनकी नहीं सुनी तो उन्हें सड़क पर संघर्ष के लिए उतरना पड़ा. पुरखों की ज़मीन हाथ से जाते देख किसान न केवल सड़क पर उतार आए, बल्कि उन्होंने आत्मदाह की धमकी देते हुए अपने लिए चिता भी सज़ा ली. कटेसर के किसान रामलखन की पूरी चार बीघा ज़मीन जा रही थी. विरोध स्वरूप वह एक चिता पर बैठ गए और बोले जान दे दूंगा, लेकिन ज़मीन देकर अपने हाथ–पैर नहीं कटाऊंगा. जब इस बात का पता चला तो भाजपा, कांग्रेस, सपा और भाकपा (माले) के नेता भी वहां पहुंच गए. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि मायावती का ज़मीन, पत्थरों और सोने–चांदी के प्रति मोह किसी से छिपा नहीं है. सपा की सरकार आने पर सभी मामलों की जांच कराई जाएगी. इस बात की भनक जब शासन को लगी तो मामला तुरंत संज्ञान में लिया गया, लेकिन उसका सारा ध्यान मामला सुलझाने से अधिक इस बात पर था कि किसी तरह किसानों को ज़मीन देने के लिए मना लिया जाए. यही वजह थी कि आंदोलन स्थल पर जब ज़िलाधिकारी विजय शंकर त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर पूरे लाव–लश्कर के साथ पहुंचे तो एकबारगी लगा कि यहां ग्रामीण और पुलिस नहीं, दो दुश्मन देशों की फौजें आमने–सामने आ गई हों. पुलिस के हाथों में रायफलें थीं तो किसान लाठी–डंडा लिए खड़े थे.

आंदोलन कर रहे किसान जब किसी तरह अपनी ज़मीन देने को राजी नहीं हुए और मामला बिगड़ने लगा तो ज़िलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण निरस्तीकरण की सिफ़ारिश से संबंधित पत्र शासन को लिख दिया. इसके बाद किसानों ने अपनी मुहिम एक महीने के लिए स्थगित कर तो कर दी, लेकिन उन्हें सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी. अपनी ज़मीन न देने पर अड़े किसानों के साथ बीती 30 मई को कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद ज़िलाधिकारी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप वह कटेसर गांव में ज़मीन अधिग्रहण के लिए लागू की गई धारा संख्या चार और छह को निरस्त करने की सिफ़ारिश करते हैं. ज़िलाधिकारी ने अपने पत्र में लिखा कि आंदोलन कर रही किसान संघर्ष समिति ने एक पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों के सामने रोजी–रोटी की समस्या पैदा हो जाएगी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र में उठाए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा चार और छह को निरस्त करने की सिफ़ारिश की जाती है. प्रदेश सरकार ने 9 फरवरी, 2010 को भूमि अधिग्रहण क़ानून की धारा चार के तहत, जबकि 26 मार्च, 2011 को धारा छह के तहत अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी.

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम लखन यादव ने कहा कि ज़िलाधिकारी द्वारा किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण न किए जाने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद हमने अपना आंदोलन धारा चार और छह के निरस्त होने तक स्थगित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि ज़िलाधिकारी ने कहा है कि उनकी सिफ़ारिश पर अमल होने में एक महीने का वक़्त लगेगा, लिहाज़ा आंदोलन भी एक महीने तक स्थगित रहेगा. अगर तब तक धारा चार और छह को निरस्त नहीं किया गया तो किसान अपना आंदोलन फिर शुरू कर देंगे. राम लखन यादव ने कहा कि सरकार अगर बाज़ार मूल्य से 10 गुना ज़्यादा क़ीमत दे तो भी हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति बिस्वा ज़मीन के एवज में 40 हज़ार रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि इसका बाज़ार मूल्य 80 हज़ार रुपये प्रति बिस्वा है. किसानों ने कटेसर गांव में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ बीती 24 मई से धरना–प्रदर्शन शुरू किया था. उनका कहना था कि अगर भूमि अधिग्रहण की योजना रद्द नहीं हुई तो ख़ूनी संघर्ष होगा. जानकार बताते हैं कि सांस्कृतिक हब के लिए ज़मीन अधिग्रहण होने से 1500 से ज़्यादा किसान प्रभावित होंगे. बीती 22 मई को ज़िला प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, गांव में अब और ज़मीन अधिग्रहीत नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मालूम हो कि वाराणसी विकास प्राधिकरण को गंगा किनारे सांस्कृतिक हब परियोजना के लिए 300 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता है, जिसमें से 121 हेक्टेयर भूमि कटेसर और शेष कोडोपुर गांव में अधिग्रहीत की जानी है. इस बीच प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण बिना उनकी मर्जी के नहीं होगा. गृह सचिव दीपक कुमार ने कहा, ख़ुद मुख्यमंत्री मायावती कह चुकी हैं कि किसानों की ज़मीन उनकी अनुमति के बाद ही ली जाएगी. किसानों ने फिलहाल तो अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना बाक़ी है कि आख़िर कब तक किसानों और सरकार के बीच भूमि अधिग्रहण के नाम पर संघर्ष चलता रहेगा. यह आग पूरे प्रदेश में कहीं भी, कभी भी फैल जाती है. जब केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए नई नीति लाने की बात कर रही है तो राज्य सरकार उससे पहले ज़मीन हथियाने को लेकर इतनी उतावली क्यों है? जबकि इस बात को लेकर कई जगह किसान उग्र हो चुके हैं. शासन–प्रशासन के लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हमेशा संवेदनशील होता है और उसकी तलवार उनके सिर पर हमेशा लटकती रहती है. जहां भी किसी योजना–परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, वहां लोग गुस्से में हैं. उनका गुस्सा बढ़ने का एक कारण उनकी बात सरकारी स्तर पर न सुना जाना भी है. भूमि अधिग्रहण में अड़चन आने से कई योजनाओं–परियोजनाओं पर आगे काम नहीं हो पा रहा है.

कांग्रेस के नेता एवं सांसद जगदंबिका पाल ने किसानों की ज़मीन हथियाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मायावती सरकार के पापों का घड़ा भर गया है. यह बात वह भी जानती हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर कर अपनी भूख शांत कर लेना चाहती हैं. भाजपा के महामंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और चंदौली भाजपा के ज़िलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने कहा कि मायावती सरकार या उनके किसी भी नुमाइंदे को एक इंच ज़मीन नहीं लेने दी जाएगी. जनता जानती है कि वह विकास के नाम पर अपनी तिजोरी भर रही हैं. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी भी चंदौली की घटना से नाराज़ दिखीं. उन्होंने कहा कि मायावती सरकार की कोई भी साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी. बसपा सरकार व्यापारियों की तरह काम कर रही है. किसानों से कौड़ी के भाव ज़मीन लेकर उसे ऊंचे दामों पर बेचना सरासर अन्याय है.

उधर गांव–देहात से दूरी बनाकर चलने वाली मायावती चुनावी साल में ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ उभरा आक्रोश ठंडा करने में लगी हैं. जगह–जगह किसान आंदोलनों के बाद अपनी छवि को हुए नुक़सान की भरपाई की कोशिश के तहत वह किसानों की समस्याएं सुनने के लिए महा पंचायत जैसे हथकंडे अपना रही हैं. मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के किसान प्रतिनिधिमंडलों से मुलाक़ात करके ज़मीन अधिग्रहण और खेती–बाड़ी से संबंधित समस्याएं भी सुनने लगी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

असम

अब उग्रवाद नहीं अंधविश्वास हावी

राजीव कुमार

असम में अब उग्रवाद से कहीं ज़्यादा हत्याएं अंधविश्वास से हो रही हैं. राज्य की कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य सेवा में आमूलचूल परिवर्तन का दावा करती है, पर हक़ीक़त इससे कोसों दूर है. गांवों में आज भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए लोग कविराज की झाड़–फूंक का सहारा लेते हैं. कविराज जब रोगी को स्वस्थ नहीं कर पाता तो किसी को डायन बताकर, उसके चलते ऐसा हो रहा है, यह कह देता है. रोगी के परिवारीजनों को यह कह दिया जाता है कि इस डायन के रहते रोगी ठीक नहीं हो सकता यानी उसे इस दुनिया से ही रवाना कर देना है. इन सबके चलते ही बोड़ो बहुल इलाक़ों में डायन बताकर महिलाओं की हत्या की जा रही है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है. आयोग ने कोकराझाड़ ज़िले में बीते अप्रैल महीने में छह महिलाओं की हत्या से संबंधित रिपोर्ट ज़िले के पुलिस अधीक्षक को चार हफ्ते में देने को कहा है. पर इससे समस्या का ख़ात्मा नहीं होगा. 2001 में कोकराझाड़ ज़िले के थाइगारगुड़ी में डायन बताकर एक दंपत्ति की हत्या हुई तो असम पुलिस ने इस कुप्रथा के ख़ात्मे के लिए प्रोजेक्ट प्रहरी नामक एक योजना शुरू की. योजना का मक़सद था कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना और अंधविश्वास को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना, लेकिन दस साल हो गए, फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी. आज भी डायन बताकर महिलाओं को जान से मारने का सिलसिला जारी है.

उदालगुड़ी ज़िले के माजबाट से बीस किलोमीटर दूर अरुणाचल सीमा से सटा है टिक्रीटिला बादानगुड़ी गांव. यहां के लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं. गांव के धरनीधर बसुमतारी की पत्नी मंजू बसुमतारी ने छठी बार संतान को जन्म दिया और इसके तीन हफ्ते बाद बीमार हो गई. धरनी ने इलाज के लिए कविराज का सहारा लिया, पर उससे फ़ायदा नहीं हुआ और बसुमतारी की सात बीघा ज़मीन साढ़े पंद्रह हज़ार रुपये में बंधक हो गई. जब कविराज धरनी की पत्नी को ठीक नहीं कर पाया तो उसने पल्ला झाड़ने के लिए कह दिया कि पड़ोस की तीन महिलाएं डायन हैं. उन लोगों के झाड़–फूंक के कारण मंजू ठीक नहीं हो पा रही है. इसके चलते धरनी ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर जोगेन बोड़ो और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. जब बाद में ग़ैर सरकारी संगठन वूमेन जस्टिस फोरम के सहयोग से धरनी की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि उसके शरीर में ख़ून नहीं है. साथ ही वह हृदय रोग से भी पीड़ित है. मंजू की शादी 14 साल की उम्र में हुई थी और पिछले दस सालों में उसने छह संतानों को जन्म दिया. डॉक्टरी इलाज के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ है. अब धरनी को पूरी तरह विश्वास हो गया कि डायन नाम की कोई चीज नहीं है. तंत्र–मंत्र और झाड़–फूंक बेकार की बातें हैं. अब वह इस कुप्रथा के ख़िलाफ़ जागरूकता फैलाएगा. धरनी के गांव में कोई अस्पताल नहीं है. इलाज के लिए 15–20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. इसके चलते गांव के लोग सहज ही झाड़–फूंक करने वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं. शिक्षा के नाम पर एक प्राथमिक विद्यालय है, पर उसमें भी नियमित पढ़ाई नहीं होती. वूमेन जस्टिस फोरम की अध्यक्ष अंजलि दैमारी का कहना है कि जो लोग अंधविश्वास के चलते निर्दोषों की हत्याएं करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही असम पुलिस के प्रोजेक्ट प्रहरी को अधिक कारगर ढंग से लागू करना चाहिए. असम पुलिस के महानिदेशक शंकर बरुवा का कहना है कि वह इस कुप्रथा से निपटने के लिए राज्य महिला आयोग और ग़ैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करने को इच्छुक हैं. पुलिस का राज्य भर में विस्तृत नेटवर्क है, जो इस कुप्रथा की रोकथाम में कारगर हो सकता है. बरुवा ने ज़िला पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस संदर्भ में काम करने वाले संगठनों की मदद करे. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं प्रोजेक्ट प्रहरी के जनक कुल सैकिया ने कहा कि इस समस्या पर विचार–विमर्श के बाद कठोर क़ानून लाने की ज़रूरत है. लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक जेउति बरुवा का कहना है कि क़ानून लाकर सती और बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता है तो राज्य में जारी डायन हत्याओं पर भी क़ानून लाकर अंकुश लगाया जा सकता है. एक समय था, जब राज्य में उग्रवाद के चलते हर रोज किसी की हत्या होती थी, पर अब स्थितियां बदल गई हैं. अंधविश्वास की जकड़न राज्य में अब भी इतनी गहरी है कि लोग डॉक्टरी इलाज कराने के बजाय झाड़–फूंक का सहारा लेते हैं और किसी को डायन बताकर हत्या कर देते हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के तहत करोड़ों रुपये ख़र्च करके राज्य की स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है. लेकिन गांवों में जिस तरह लोग अब भी झाड़–फूंक का सहारा लेते हैं और जिस तरह अंधविश्वास की जकड़न में हैं, उससे नहीं लगता कि मिशन से कोई फ़ायदा हुआ है.

शिक्षा के नाम पर एक प्राथमिक विद्यालय है, पर उसमें भी नियमित पढ़ाई नहीं होती. वूमेन जस्टिस फोरम की अध्यक्ष अंजलि दैमारी का कहना है कि जो लोग अंधविश्वास के चलते निर्दोषों की हत्याएं करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

दरअसल, उनकी नाराज़गी की मुख्य वजह यह है कि उन्हें राज्य सहकारी बैंक पर हुई कार्रवाई की भनक तक नहीं लगने दी गई. मुख्यमंत्री चव्हाण को इसके लिए वह ज़िम्मेदार मानते हैं.

नीतीश सरकार का एक और भगोड़ा मंत्री

सरोज सिंह

- 15 साल से फ़रार हैं भाजपा विधायक प्रेम कुमार
- नीतीश सरकार में हैं शहरी विकास एवं आवास मंत्री
- सीजेएम अदालत, गया ने 1996 में उन्हें भगोड़ा घोषित किया
- प्रेम कुमार ने नामांकन पत्र में नहीं किया इसका ज़िक्र
- रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सरासर किया उल्लंघन

आख़िर बिहार में यह क्या हो रहा है. क्या यही सुशासन है, यही क़ानून का राज है, जहां अदालत से घोषित भगोड़े को मंत्री बना दिया जाता है. अभी सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित करने और इस वजह से उनके द्वारा इस्तीफ़ा देने का मामला सामने आया था. इसके बाद चौथी दुनिया की ख़ास पड़ताल से एक और हाई प्रोफाइल मंत्री के बारे में जानकारी मिली है कि वह भी पिछले 15 सालों से फ़रार चल रहे हैं. बावजूद इसके नीतीश सरकार में बाकायदा शहरी विकास एवं आवास मंत्री बने हुए हैं. सबसे पहले चौथी दुनिया ने अपनी तफ्तीश में वे दस्तावेज़ जुटाए हैं, जो सीधे-सीधे यह साबित करते हैं कि भाजपा विधायक और शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेम कुमार को एक अदालत ने 15 साल पहले भगोड़ा घोषित किया था.

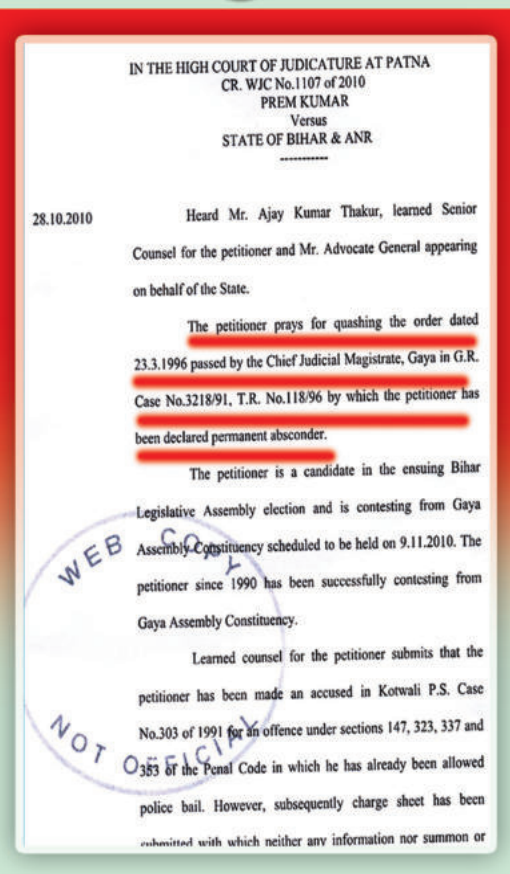

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CR. WJC No.1107 of 2010
PREM KUMAR
Versus
STATE OF BIHAR & ANR

28.10.2010 Heard Mr. Ajay Kumar Thakur, learned Senior Counsel for the petitioner and Mr. Advocate General appearing on behalf of the State.

The petitioner prays for quashing the order dated 23.3.1996 passed by the Chief Judicial Magistrate, Gaya in G.R. Case No.3218/91, T.R. No.118/96 by which the petitioner has been declared permanent absconder.

The petitioner is a candidate in the ensuing Bihar Legislative Assembly election and is contesting from Gaya Assembly Constituency scheduled to be held on 9.11.2010. The petitioner since 1990 has been successfully contesting from Gaya Assembly Constituency.

Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has been made an accused in Kotwali P.S. Case No.303 of 1991 for an offence under sections 147, 323, 337 and 353 of the Penal Code in which he has already been allowed police bail. However, subsequently charge sheet has been submitted with which neither any information nor summon or

WEB COPY NOT OFFICIAL

चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ों के मुताबिक़, गया टाउन से भाजपा विधायक और शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेम कुमार को सीजेएम अदालत, गया ने एक मामले में 23 मार्च, 1996 को फ़रार घोषित किया था और वह आदेश अभी तक लागू है यानी वह आदेश अभी तक निरस्त नहीं हुआ है. दरअसल, कोतवाली थाना, गया में 7 दिसंबर, 1991 को धारा 147/323/337/353 आईपीसी के अंतर्गत प्रेम कुमार के ख़िलाफ़ एक मुक़दमा दर्ज किया गया था (संख्या-3218/91, टीआर संख्या 118/96). यह मुक़दमा हवलदार राजाराम सिंह द्वारा दर्ज कराया गया था, जो उस समय सदर अड्डा टीओपी के रूप में पदास्थापित थे. यह मुक़दमा प्रेम कुमार एवं अन्य के विरुद्ध इसलिए दर्ज किया गया कि वे लोग जिस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, वह बाद में अनियंत्रित हो गया और टीओपी पर पथराव करने लगा था. इस पथराव में टीओपी के कई जवानों को चोटें भी आई थीं. यह मुक़दमा सीजेएम की अदालत में गया, जहां कई बार सम्मन और जमानती व ग़ैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रेम कुमार अदालत में उपस्थित नहीं हुए. तब अदालत ने 23 मार्च, 1996 को प्रेम कुमार को भगोड़ा घोषित कर दिया.

वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रेम कुमार अपना नामांकन पत्र भर रहे थे, तब उनके प्रतिद्वंद्वी ने यह मामला उठाया और उनकी गिरफ़्तारी की मांग की. तब तत्कालीन ज़िला अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रेम कुमार को चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में मदद की. उसके बाद प्रेम कुमार ने सीजेएम गया द्वारा भगोड़ा घोषित करने वाले आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका दायर करके उक्त आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की.

फरारी की अवधि में प्रेम कुमार 2005 से 2010 के बीच सरकार के कई विभागों में मंत्री भी रहे. राजग के दूसरे शासनकाल में भी मंत्री बने हुए हैं. इस प्रकार न्यायालय से भगोड़ा घोषित प्रेम कुमार राजग के पहले शासनकाल में भी मंत्री बने. ज़ाहिर है, मंत्री बनने के लिए एक विधायक को संविधान के नाम पर शपथ भी लेनी होती है, सो प्रेम कुमार भी जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली पहली सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए तो उन्होंने उसी संविधान के नाम पर शपथ ली, जिसके मुताबिक़ अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था. इस पूरे मामले का गंभीर पहलू यह भी है कि प्रेम कुमार ने चुनाव लड़ते वक़्त जो नामांकन पत्र भरा था, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया था कि अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है. ज़ाहिर है, ऐसा करना सरासर रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 33-ए और 125-ए का उल्लंघन है. आरपी एक्ट की धारा 33-ए के मुताबिक़ उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र में उन मुक़दमों का ज़िक्र करना ज़रूरी है, जिसमें उसे दो वर्ष या उससे अधिक सज़ा का प्रावधान हो. ग़ौरतलब है कि इन धाराओं के उल्लंघन की वजह से सदस्यता तक रद्द की जा सकती है.

वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रेम कुमार अपना नामांकन पत्र भर रहे थे, तब उनके प्रतिद्वंद्वी ने यह मामला उठाया और उनकी गिरफ़्तारी की मांग की. तब तत्कालीन ज़िला अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रेम कुमार को चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में मदद की. उसके बाद प्रेम कुमार ने सीजेएम गया द्वारा भगोड़ा घोषित करने वाले आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका दायर करके उक्त आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की. यह मामला अभी भी विचाराधीन है और सीजेएम गया द्वारा पारित 23 मार्च, 1996 के आदेश को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है. हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में यह कहा है कि इस बीच याचिकाकर्ता (प्रेम कुमार) के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस मसले पर नीतीश कुमार ने सिर्फ़ इतना कहा है कि मामला अदालत में विचाराधीन है. लेकिन सवाल यह है कि आख़िर सुशासन की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार को क्या प्रेम कुमार की इस हक़ीक़त का पता नहीं था? अगर था तो आख़िर किस दबाव में नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया? अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो यह और भी ज़्यादा दु:ख की बात है. क्योंकि क़ानून का राज स्थापित करने का दावा करने वाले नीतीश कुमार से जनता यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह एक ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाएं, जिसे अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हो.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र
शीतयुद्ध थमने के आसार नहीं

राजेश नामदेव

राज्य के वर्तमान परिदृश्यों को देखकर बिल्लियों से जुड़े दो किस्से याद आते हैं. पहला किस्सा है दो बिल्लियों का जो रोटी के लिए आपस में झगड़ा कर रही थीं. जब दोनों में सहमति नहीं बनी तो वे पड़ोसी बिल्ले के पास इस अपेक्षा के साथ गईं कि वह दोनों के बीच रोटी बराबर-बराबर बांट देगा, लेकिन बिल्ला बड़ा चालाक था. उसने रोटी को बराबर होने नहीं दिया और जब वह टुकड़े-टुकड़े करके पूरी रोटी खा गया, तब बिल्लियों की समझ में आया कि वे चालाक बिल्ले के चक्कर में फंसकर अपनी रोटी गंवा चुकी हैं. दूसरा किस्सा है, भाग्य से छींका टूटा. एक बिल्ली छींके में टंगी दूध की हंडिया पाने के लिए बहुत उछल-कूद करती है, पर असफल रहती है, किंतु जब हार मानकर वहां से जाने की सोचती है, तभी छींका टूट जाता है और हंडिया नीचे गिरकर फूट जाती है, दूध बिखर जाता है. बिल्ली बिखरे दूध को चाटकर ख़ुश होती है. इनमें से पहली कहानी सत्तारूढ़ गठबंधन पर लागू होती है तो दूसरी विपक्ष पर. सत्तारूढ़ गठबंधन की दोनों बड़ी भागीदार कांग्रेस-राकांपा में जिस तरह तनातनी चल रही है, उससे नहीं लगता कि यह शीतयुद्ध शीघ्र थमने वाला है. दोनों की इस तनातनी से विपक्ष खुश है और उसे यह लग रहा है कि अगली बार सत्ता पर उसका क़ब्ज़ा होगा. जबसे राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल को बर्खास्त करके प्रशासक बैठाया गया है, तबसे कांग्रेस और राकांपा के बीच पड़ी दरार को भरने के सारे प्रयास विफल ही साबित हुए हैं. पूरे फॉर्म में चल रही राकांपा की गति को एकदम से लगाम लग गई है. राकांपा के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इसके लिए सीधे-सीधे कांग्रेस को ज़िम्मेदार मानते हैं. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा बार-बार सफाई देने के बाद भी अजीत यह मानने को तैयार नहीं हैं कि यह कार्रवाई रिजर्व बैंक ने की है.

दरअसल, उनकी नाराज़गी की मुख्य वजह यह है कि उन्हें राज्य सहकारी बैंक पर हुई कार्रवाई की भनक तक नहीं लगने दी गई. मुख्यमंत्री चव्हाण को इसके लिए वह ज़िम्मेदार मानते हैं. यही कारण है कि उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा मई के पहले पखवाड़े में बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में भी शिरकत करने की ज़रूरत नहीं समझी. उनकी पार्टी के कई मंत्री भी उनका अनुसरण करते हुए बैठक में नहीं गए और अंतत: बैठक रद्द हो गई. राजभवन में आयोजित कार्यक्रम का भी अघोषित बहिष्कार किया गया, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले थे. राकांपा प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री चव्हाण के बीच मामले का पटाक्षेप करने के लिए सहमति बनने के बाद भी अजीत मानने को तैयार नहीं हैं.

दिल्ली में आयोजित योजना आयोग की बैठक में भाग लेने जाने से पहले दोनों ने औपचारिक विचार-विमर्श करने की ज़रूरत भी नहीं समझी, जबकि चव्हाण राज्य के मुखिया हैं और पवार वित्त एवं नियोजन मंत्री हैं. दिल्ली भी दोनों अलग-अलग गए. वहां भी पवार की नाराज़गी क़ायम रही और बैठक कक्ष में ही दोनों एक-दूसरे के सामने आए. यह अलग बात है कि केंद्र सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए मांग से कहीं अधिक 42,000 करोड़ की भारी-भरकम रकम दे दी, मगर राज्य के शीर्ष पद पर बैठे दो नेताओं के आपसी तनाव से जनता का उद्धार कैसे होगा? उधर विपक्ष ख़ुश है, वह चाहता है कि लड़ाई और बढ़े. दोनों के बीच कटुता जितनी बढ़ेगी, विपक्ष को उतना फ़ायदा होगा. यह बात अजीत पवार को समझ में नहीं आ रही है कि दो लोगों की लड़ाई का फ़ायदा तीसरे को मिलता है, जबकि दोनों को रहना साथ है.

राज्य के बिखरे विपक्ष को अब यह ख़ुशफहमी होने लगी है कि भविष्य में उसकी सरकार बनने का रास्ता साफ होने लगा है. कांग्रेस और राकांपा के बीच की कलह उनके लिए सुनहरा ख्वाब बनकर आई है. विपक्ष जानता है कि दोनों के बीच शुरू हुआ यह द्वंद्व जितना लंबा चलेगा, उसे उतना अधिक फ़ायदा होगा. इस लड़ाई के चलते उसकी सत्ता की ओर जाने की डगर आसान होगी. सोने पे सुहागा यह हुआ कि इसी दरम्यान पेट्रोल के दाम में पांच रुपये का इज़ाफ़ा हो गया. इसी के मद्देनज़र शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने हुंकार भरी कि यह बढ़ोत्तरी राज्य सरकार को भस्म कर देगी. उनके उत्साहित होने के दो कारण हैं, पहला, सत्तारूढ़ गठबंधन में जारी कलह, दूसरा रिपब्लिकन नेता रामदास आठवले का उनकी गोद में बैठ जाना. ध्यान रहे कि जब शिवसेना-भाजपा की सरकार को अपदस्थ कर 1999 में कांग्रेस-राकांपा की सरकार बनी थी तो उसे छह माह में गिराने की घोषणा बालासाहब ठाकरे ने की थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे. उसके बाद 2004 के चुनाव में कांग्रेस-राकांपा गठबंधन ने सत्ता में जो वापसी की, उसकी वजह भी विपक्ष का बिखरा होना था. इस बार भी विपक्ष बिखरा हुआ है. शिवसेना के साथ ही भाजपा एवं मनसे को भी को लगता है कि सारे घटनाक्रम का फ़ायदा आने वाले दिनों में उनको मिलेगा. विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव तो अभी दूर हैं, पर इसका फ़ायदा कुछ समय बाद होने वाले मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिचवड एवं नासिक महानगर पालिका चुनावों में उठाया जा सकता है. मगर विपक्ष जिस तरह बिखरा हुआ है, उससे उसकी सत्ता में वापसी आसान नहीं लगती. विपक्ष अपने सारे प्रयासों के बाद भी सत्तारूढ़ गठबंधन को कभी संकट में नहीं डाल सका है.

शिवसेना विधायकों के तेवर पहले से ढीले हैं. पार्टी नेतृत्व के इशारे के बिना वे सिर तक नहीं हिला सकते. भाजपा में भी अंदरूनी गुटबाज़ी हावी है. उसमें भी विपक्ष का तीखापन नज़र नहीं आता. गोपीनाथ मुंडे और भाजपा अध्यक्ष गुट के बीच के मतभेद जगज़ाहिर हैं. शिवसेना से भी उसके रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं हैं. दोनों के नेता एक-दूसरे की टांग खींचने में ज़रा भी देर नहीं लगाते. रिपब्लिकन पार्टी अपने नेताओं के अहम के चलते विभाजित है. रिपब्लिकन नेता आपसी एकता की बात तो करते हैं, पर उनके दिल कभी एक नहीं होते. रामदास आठवले जहां शिवसेना-भाजपा से यारी बढ़ाने में लगे हैं, वहीं प्रकाश अंबेडकर राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं. इन हालात में कांग्रेस-राकांपा के बीच जारी कलह को विपक्ष भले यह मान रहा हो कि उसके भाग्य से छींका टूटा है, वह फूटी हंडिया से गिरे दूध को सहजता से आपस में बांट पाएगा, यह संभव नहीं लगता. जहां तक मनपा चुनाव की बात है तो सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन के दल ही एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कमर कसे हुए हैं. पुणे में राकांपा शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का फ़ार्मूला ईजाद कर चुकी है. पिंपरी-चिचवड में भी यही हालात राकांपा द्वारा पैदा किए जा रहे हैं. कई जगह शिवसेना और भाजपा के भी आमने-सामने होने के आसार हैं.

feedback@chauthiduniya.com

खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के आतंकवादी भुल्लर को वर्ष 1993 में कार विस्फोट के एक मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी.

देश में जल्लादों की कमी

अब कौन देगा फांसी

मम्मू जल्लाद नहीं रहा. बड़े-बड़े अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटकाने वाले मम्मू को देश की दुर्दशा का काफी मलाल था. राजनेताओं की लूट-खसोट से वह भी उतना ही आहत रहता था, जितना एक आम आदमी. अब उसके परिवार में इस पेशे को कोई नहीं अपनाएगा. मम्मू के दादा रामरखा ने अंग्रेजी हुकूमत में जल्लाद का काम शुरू किया था. पिता कल्लू के सहयोग से मम्मू ने 1973 में पहली बार एक अपराधी को फांसी के फंदे पर लटकाया. कल्लू और मम्मू 1982 में तब चर्चा में आए, जब उन्होंने तिहाड़ जेल में रंगा-बिल्ला को फांसी पर लटकाया था. मम्मू का पूरा परिवार काफी तंगहाली में जी रहा था, उस पर मम्मू की बीमारी. इस हालत में भी उसे खुद से ज्यादा देश की चिंता थी. उसकी हसरत मुंबई हमले के दोषी आतंकवादी कसाब और संसद पर हमले के मामले में मौत की सजा पाए अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर झुलाने की थी. उसे दु:ख इस बात का था कि हत्यारों को तो फांसी दी जाती है, लेकिन कभी देश को लूटने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं को फांसी पर नहीं लटकाया जाता.

मम्मू के दादा ने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पंजाब जाकर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह को फांसी पर लटकाया था, जिसका गम आज भी उसके पूरे परिवार को सताता है. भगत सिंह को फांसी अंग्रेज सरकार के हुक्म पर हुई थी, लेकिन इस फांसी से मम्मू का परिवार ही नहीं, पूरा मेरठ कलंकित हुआ था. मम्मू कहता था कि आतंकवादी कसाब और अफजल गुरु को यदि मैं फांसी पर लटकाने के लिए जिंदा न रहा तो उन्हें मेरा बड़ा बेटा पवन फांसी पर लटकाए, यह मेरी इच्छा है, जिससे मेरठ और मेरे परिवार पर भगत सिंह को दी गई फांसी से लगा कलंक का दाग धुल सके. डेढ़ साल की लंबी बीमारी के बाद बीती 19 मई की शाम मम्मू ने अपने छोटे से घर पर अंतिम सांस ली. 65 वर्षीय मम्मू दमा से पीड़ित था. टीपी नगर की नई बस्ती स्थित तंग गलियों में वह अपने भरे-पूरे परिवार के साथ रहता था. उसके छह बेटे, तीन बेटियां और ढाई दर्जन नाती-पोते हैं. मम्मू के बड़े बेटे पवन उर्फ सिंधी के अनुसार, बीते मार्च महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके पिता का कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिया था. मम्मू अपने काम के प्रति काफी गंभीर रहता था. उसकी कोशिश रहती थी कि मरने वाले को फांसी के समय कम से कम तकलीफ उठानी पड़े. इसीलिए वह फंदे की रस्सी काफी मुलायम, लेकिन मजबूत बनाता था. फांसी के फंदे की रस्सी वह विशेष प्रकार से तैयार करता था. रेशम और जूट के धागों को बट कर यह रस्सी बनाई जाती थी. फांसी के रस्सी में विशेष प्रकार का तेल और इत्र भी लगाया जाता था. मम्मू की मौत के बाद उत्तर भारत में अब केवल एक ही जल्लाद अहमद बचा है. अहमद लखनऊ में रहता है. मम्मू को इस बात की शिकायत थी कि इतना दर्दनाक काम करने वाले जल्लाद को एक फांसी देने के बदले मात्र सौ रुपये मिलते हैं. अंग्रेजों के जमाने में यह रकम दस रुपये थी, जो अब बढ़ते-बढ़ते दस गुनी हुई है. मम्मू ने दाता राम से लेकर कामता प्रसाद तक अपने जीवनकाल में 15 लोगों को फांसी पर लटकाया. वर्ष 1973 में उसने बुलंद शहर के रहने वाले दाता राम को सबसे पहले मेरठ जेल में फांसी दी थी. 1982 में उसने तिहाड़ जेल में बंद शातिर अपराधी रंगा और बिल्ला को फांसी पर लटकाया था. दिल्ली में रहने वाले कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला ने मासूम भाई-बहन संजय-गीता चोपड़ा का कार में लिफ्ट देने के बहाने अपहरण कर लिया था और उनके मां-बाप से फिरौती मांगी और गीता को अपनी हवस का शिकार भी बना लिया. बाद में दोनों ने संजय और गीता की हत्या कर दी थी.

उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों सहित जबलपुर, दिल्ली और पंजाब में कई अपराधियों को फांसी पर लटका चुके मम्मू ने आखिरी बार 1997 में जयपुर में कामता प्रसाद तिवारी को फांसी दी थी. मम्मू ने अपने पिता कल्लू के साथ मिलकर 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी पर लटकाया था. मम्मू को विदेशों से भी फांसी देने के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन वह कभी विदेश नहीं गया. मम्मू को फांसी पर लटकाने के बदले प्रदेश सरकार की ओर से तीन हजार रुपये महीने की पगार मिलती थी, लेकिन काफी समय से वह भी बंद थी. मम्मू की मौत के बाद देश में अब केवल अहमद जल्लाद बचा है. मम्मू की मौत के साथ ही अब उसके बेटे पवन को जल्लादी का काम दिए जाने की मांग उठने लगी है. बदायूं जिला पंचायत के सदस्य अशोक कुमार ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मम्मू की अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए कसाब और अफजल गुरु को फांसी पवन के हाथों दिलाई जाए. पवन कई बार पिता मम्मू के साथ फांसी देने के काम में सहयोग कर चुका है, लेकिन वह अब इस पेशे को नहीं अपनाना चाहता. यह और बात है कि पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वह कसाब और अफजल को फांसी पर लटकाने को तैयार है. 2004 के बाद देश में अभी तक किसी को फांसी नहीं दी गई है. 2004 में पश्चिम बंगाल में एक 14 वर्षीय लड़की की बलात्कार के बाद हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए धनंजय नामक व्यक्ति को जल्लाद नाटा मलिक ने फांसी दी थी. नाटा ने अपने जीवन में करीब 25 लोगों को फांसी पर लटकाया था. कहा जाता है कि जब उसकी पुत्रवधू ने ही फांसी लगाकर जान दे दी तो वह सहम और टूट गया और इसी सदमे में उसकी मौत हो गई. मम्मू के पुत्र पवन की तरह नाटा मलिक का बेटा प्रभात मलिक भी इस पेशे में नहीं आना चाहता है. आने वाले समय में मौत की सजा पाने वाले अपराधियों को फांसी पर लटकाने के लिए जल्लाद खोजे नहीं मिलेंगे. सरकार के पास जल्लादों की भर्ती के लिए कोई नीति नहीं है. पुराने लखनऊ में रहने वाला अहमद जल्लाद (65) भी इन दिनों काफी बीमार चल रहा है. अहमद की अगली पीढ़ी भी इस पेशे से दूर रहना चाहती है. पाकिस्तानी आतंकी कसाब को फांसी की सजा सुनाए जाने पर महाराष्ट्र की नागपुर और यरवदा सेंट्रल जेल में कोई जल्लाद न होने की खबर ने प्रदेश के जेल अफसरों को भी इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. प्रदेश की विभिन्न जेलों में 108 अपराधी ऐसे हैं, जिन्हें मृत्यदंड की सजा मिली है. इस सजा के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में दया याचिका दाखिल कर रखी है. यदि उनकी सजा बहाल रही तो उन्हें फांसी पर लटकाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार को करनी पड़ेगी. प्रदेश में 1992 में विक्रम नामक अपराधी को फांसी पर लटकाने के बाद अभी तक किसी को फांसी नहीं दी गई. राज्य के एडीजी (जेल) वी के गुप्ता का कहना है कि मम्मू और अहमद को विभाग हर माह 3 हजार रुपये बतौर गुजारा भत्ता देता है. उन्हें सरकारी खर्चे पर दूसरे प्रदेशों की जेलों में भी फांसी देने के लिए भेजा जाता रहा. इन दोनों ने दिल्ली और पंजाब सहित कई राज्यों की जेलों में कई अपराधियों को फांसी दी. गुप्ता कहते हैं कि अब केवल अहमद ही बचा है. देश में जल्लादों की कमी के मद्देनज़र अब इस पर ध्यान देना होगा. वह मानते हैं कि इन जल्लादों के बच्चे इस पेशे में उतरने को राजी नहीं हैं. इस समस्या का हल राष्ट्रीय नीति बनाकर निकाले जाने की जरूरत है. वरना कुछ समय बाद जल्लाद ढूंढे नहीं मिलेंगे. अहमद कहते हैं, यह मेरा पेशा है और इसे मैं ईमानदारी से अंजाम दे रहा हूं. एक बार तब बहुत तकलीफ हुई थी, जब मैंने लखनऊ जेल में तीन भाइयों को उनके पिता के सामने फांसी पर लटकाया था. उसे सोचकर आज भी मैं अंदर से परेशान हो जाता हूं. सरकार को फांसी देने पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि चर्बीदार गर्दनों को फांसी नहीं लगती. चर्बीदार से अहमद का मतलब सफेदपोश अपराधियों और देश को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों से है. आतंकवादी भुल्लर और असम के महेंद्र नाथ दास को अब फांसी पर कौन लटकाएगा. यह एक अहम सवाल है. भुल्लर और महेंद्र नाथ दास की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा पिछले दिनों खारिज कर दिया गया है. पूरे देश में इस समय केवल एक ही जल्लाद अहमद बचा है. बीमारी और वृद्धावस्था के कारण वह इस समय किसी को फांसी पर लटकाने की स्थिति में नहीं है.

खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के आतंकवादी भुल्लर को वर्ष 1993 में कार विस्फोट के एक मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी. इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी और युवक कांग्रेस के एम एस बिट्टा सहित 29 लोग घायल हो गए थे. भुल्लर 11 सितंबर, 1993 को दिल्ली के रायसीना रोड स्थित युवक कांग्रेस कार्यालय के सामने बिट्टा पर हमले का मास्टर माइंड था. इस आरडीएक्स विस्फोट से समूचा देश सकते में आ गया था. इस घटना के बाद बिट्टा ने आतंकवाद विरोधी मोर्चा गठित किया. भुल्लर को 25 अगस्त, 2001 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी. भुल्लर को इस समय तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा वाले वार्ड में रखा गया है. इसी प्रकार राष्ट्रपति ने असम निवासी महेंद्र नाथ दास की भी दया याचिका खारिज कर दी. महेंद्र नाथ पर सरेबाजार एक व्यक्ति की गर्दन काटकर हत्या करने का आरोप था. उसे 1999 में मौत की सजा दी गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सजा बहाल रखी. राष्ट्रपति के पास उसकी दया याचिका 21 अक्टूबर, 2010 से विचाराधीन थी.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

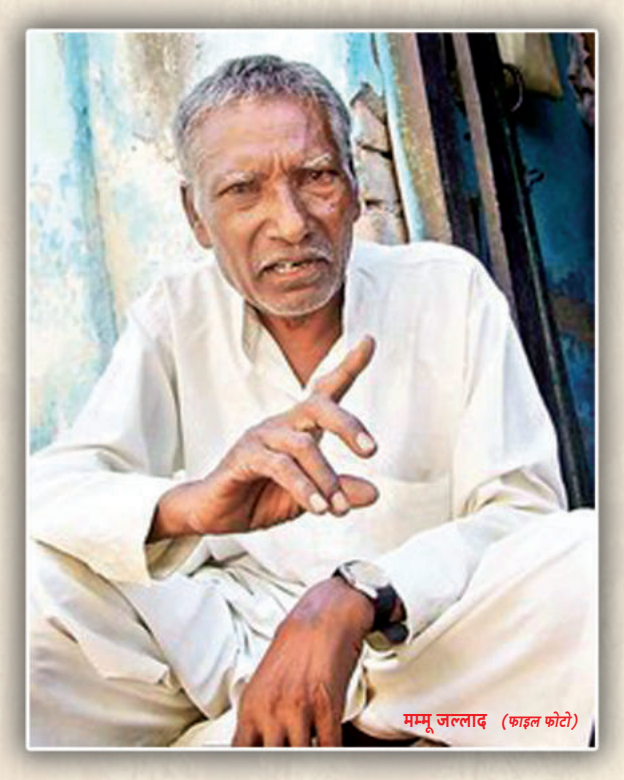

मम्मू जल्लाद (फाइल फोटो)

मेहनताना सिर्फ़ सौ रुपये!

मुंबई हमले के दोषी आतंकी अजमल कसाब की सुरक्षा पर सरकार अब तक लगभग 49 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन उसे फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद को इस काम के लिए फीस के रूप में सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे. ब्रिटिश शासनकाल में यह फीस 10 रुपये प्रति फांसी की दर से तय की गई थी, जो अब बढ़ते-बढ़ते किसी राज्य में 25 तो किसी राज्य में 100 रुपये तक पहुंच गई है.

मेरी दुनिया.... महंगाई का विकास

विश्वनाथ का कहना है कि हमने तो अपने गांव में सरकार के क़ानून लागू करने से पहले ही क़ानून को लागू कर लिया है.

कोस्का

ख़ुद खोज ली जीवन की राह

रजनीश

देश भर के जंगली क्षेत्रों में स्व:शासन और वर्चस्व के सवाल पर वनवासियों और वन विभाग में छिड़ी जंग के बीच उड़ीसा में एक ऐसा गांव भी है, जिसने अपने हज़ारों हेक्टेयर जंगल को आबाद करके न सिर्फ़ पर्यावरण और आजीविका को नई ज़िंदगी दी है, बल्कि वन विभाग और वन वैज्ञानिकों को चुनौती देकर सरकारों के सामने एक नज़ीर पेश की है. उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर जनपद नयागढ़ में बसा यह गांव कोस्का अपने जंगल का ख़ुद मालिक है. इस गांव के लोगों ने अपने उजड़े हुए जंगल को ख़ुद आबाद किया है, वे ख़ुद इसकी सुरक्षा करते हैं और तय की गई व्यवस्था के तहत ख़ुद ही जंगल से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज का बंटवारा भी करते हैं. ग्रामवासियों के अनुसार, 1970 के दशक तक आते–आते वन विभाग और लालची तत्वों ने यहां के जंगल को काट–काटकर बर्बाद कर दिया था. कभी बैंबू, साखू और बरगद आदि कई तरह के पेड़ों से हरा–भरा और महुआ की ख़ुशबू से महकता हुआ यहां का जंगल मात्र कटे हुए पेड़ों की जड़ों का क़ब्रिस्तान बनकर रह गया था. इस कारण यहां का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया और मौसमी परिवर्तन भी अपना रंग दिखाने लगा. यहां पीढ़ियों से बसे कंध आदिवासी, दलित समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का जंगल और पानी के बिना जीना मुहाल हो गया था.

इन सारी स्थितियों को देखते हुए यहां के मुखिया विश्वनाथ ने तब 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में पहल करते हुए ग्रामवासियों के साथ मिलकर तय किया कि हम अपना जंगल ख़ुद आबाद करेंगे और उसकी सुरक्षा भी करेंगे. 1970 में उन्होंने यह क्रांतिकारी शुरुआत करते हुए कोस्का व हाथी मुंडा जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया. यह शुरुआत भले ही कोस्का से की गई, लेकिन यहां के लोगों ने अपनी सामुदायिक शैली से जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति का परिचय देते हुए शुरू से ही आसपास बसे दूसरे गांवों के लोगों को भी अपने साथ शामिल किया. जंगल लगाने और उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था क़ायम की, जिसे ठेंगापाली नाम दिया गया. ठेंगापाली एक ऐसी सर्पाकार मुड़ी–तुड़ी लाठी है, जो आज जंगल की सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है. जंगल की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी के लिए बारी–बारी से रोज़ाना ठेंगापाली को किसी एक घर की दहलीज पर रख दिया जाता, जिसका अर्थ होता कि आज जंगल में पहरा देने की ज़िम्मेदारी उस परिवार की है. यह पहरा शुरुआत में दिन और रात दोनों समय दिया जाता था, जो कि अब केवल रात में ही दिया जाता है. 1970 में क़रीब एक हज़ार हेक्टेयर वनक्षेत्र में यह शुरुआत की गई. उस वक़्त गांव के 51 परिवारों के 51 सदस्यों की बनाई गई समिति द्वारा दी गई व्यवस्था रंग लाने लगी और कुछ ही सालों में देखते ही देखते यहां का जंगल फिर से आबाद होने लगा. जंगल आबाद होने पर समिति द्वारा तय किए गए क़ायदे के अनुसार वर्ष में तीन बार ज़रूरत के हिसाब से तय की गई मात्रा में गांव के सभी परिवारों को बैंबू, हल बनाने और जलावन के लिए लकड़ी तथा महुआ जैसी लघु वनोपज उपलब्ध कराई जाती. हल बनाने के लिए लकड़ी उसी को दी जाती, जिसे ज़रूरत होती, अन्यथा नहीं, क्योंकि यहां के लोग नाहक पेड़ काटने से हमेशा बचना चाहते थे.

हालांकि शुरुआत में इस ठेंगापाली व्यवस्था से आसपास के 16 अन्य गांव भी जुड़ गए और क़रीब 16,000 हेक्टेयर वनक्षेत्र में यह काम शुरू किया गया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस व्यवस्था को क़ायम नहीं रख पाए. आज कोस्का एवं हाथी मुंडा जैसे इक्का–दुक्का गांव ही हैं, जो जंगल पर स्व:शासन स्थापित करने वाली इस ठेंगापाली व्यवस्था को न सिर्फ़ अपने लिए बदस्तूर जारी रखे हुए हैं, बल्कि आसपास के दूसरे गांवों में बसे परिवारों की ज़रूरतों को भी अपने आबाद किए जंगल से पूरा करने का काम करते हैं. इसकी एवज में उनसे बाकायदा एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है, जो जंगल सुरक्षा समिति के कोष में जमा हो जाता है. दूसरे गांव के लोगों को जंगल में पेड़ अथवा लघु वनोपज काटने के काम आने वाले औज़ार ले जाने की अनुमति भी ठेंगापाली व्यवस्था का क़ानून नहीं देता. लोगों की मांग एवं जमा किए गए शुल्क के आधार पर समिति स्वयं उनकी मांग पूरा करती है. समिति के को–आर्डिनेटर कैलाश चंद्र साहू बताते हैं कि समीपवर्ती गांवों में यहां पैदा होने वाले महुआ के फूलों की सबसे ज़्यादा मांग है, जिससे भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाला तेल निकाला जाता है. समिति द्वारा बनाए गए कायदे तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें जुर्माने से लेकर गांव निकाला तक शामिल है. दंड के नाम पर किसी भी तरह का शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जाता. नगद जुर्माना भी जंगल को हुए नुक़सान के आधार पर तय किया जाता है. इस सामुदायिक व्यवस्था में अगर किसी परिवार को कभी अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो उस अतिरिक्त लघु वनोपज का भी शुल्क लिया जाता है. लघु वनोपज के बदले और दंड द्वारा समिति में जमा किया गया कोष वर्ष के अंत में गांव के सभी परिवारों में बराबर–बराबर बांट दिया जाता है. यहां पूर्व में बसे 51 परिवारों, जो अब बढ़ते–बढ़ते क़रीब 80 हो गए हैं, में भले ही देसुआ कंध एवं मालवा कंध जनजातियों और अन्य जातियों के दलित–पिछड़े वर्गों के लोग निवास करते हों, लेकिन उन्हें गांव और समिति में कभी भी जातियों के आधार पर बांटकर अलग–अलग नहीं देखा जाता. ठेंगापाली व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी रखी गई है.

एक जनवरी, 2008 को देश भर में वनाधिकार क़ानून लागू होने के बाद जब उड़ीसा सरकार ने राज्य में यह क़ानून लागू कराने संबंधी आदेश जारी किए तो कोस्का में भी वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया समिति द्वारा पहल करते हुए शुरू की गई. ज़ाहिर है, यहां भी इस क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का हश्र वही हुआ, जो वन विभाग और सामंती सोच से ग्रस्त नौकरशाही द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है. लेकिन कोस्का के लोगों ने सरकारी तरीक़े से यह क़ानून लागू करने की प्रक्रिया को एक प्रकार से ठेंगा दिखा दिया है. विश्वनाथ का कहना है कि हमने तो अपने गांव में सरकार के क़ानून लागू करने से पहले ही क़ानून को लागू कर लिया है. अब जंगल हमारे नियंत्रण में है और जंगल पर कैसे हमारा मालिकाना हक़ हमें मिलेगा, यह हमारी ग्रामसभा तय करेगी. यहां के लोगों को कहना है कि अफसरशाही किसी भी तरह इस क़ानून को हमारे पक्ष में लागू नहीं करेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वन संपदा हमारे हाथ में आए. इसलिए जब यहां क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी स्थानीय वन विभाग और प्रशासन गांव वालों को 75 वर्ष के निवास प्रमाण की अनिवार्यता के मकड़जाल में फंसा कर इनके क़ानूनी अधिकारों की प्राप्ति के रास्ते में रोड़े अटकाने लगा. 18 मार्च, 2009 को कोस्का सहित क़रीब 20 गांवों के लोगों ने अपने दावे उपखंड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिए थे, जिन्हें समिति ने पास भी कर दिया, लेकिन डीएफओ ने यह आपत्ति लगाकर दावों को निरस्त कर दिया कि दावा की गई जंगल की ज़मीनें पहाड़ किस्म की हैं और वे वनभूमि में नहीं आतीं. जबकि लोगों का कहना है कि ये सारी ज़मीनें वन विभाग के खातों में राजस्व वन के रूप में अंकित हैं. प्रमाण प्रस्तुत करने पर इन गांवों के दावे पुन: 2009 में ही उपखंड स्तरीय समिति के पास जमा कराए गए, जो क़रीब दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक ज़िला स्तरीय समिति के पास लंबित पड़े हैं.

यह बात तो बिल्कुल साफ है कि इस गांव में वनाधिकार क़ानून को कैसे लागू किया जाना है, इसके लिए सरकार को ही इस गांव से प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि कोस्का इस मामले में नज़ीर साबित हुआ है और एक संदेश दे रहा है कि अगर वनाधिकार क़ानून को वास्तविक रूप में लागू कराना है तो पहल समुदायों को ही करनी होगी और वह भी बिना किसी याचना के अधिकारों को स्थापित करके. दूसरी ओर यह गांव एक और नज़ीर का भी चश्मदीद है, जो वनाधिकार क़ानून की मूल मंशा वन समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति की धज्जियां उड़ाकर वन विभाग द्वारा एक ऐसे गांव के अधिकारों को मान्यता न देकर प्रस्तुत की जा रही है, जिसे न सिर्फ़ राज्य सरकार पुरस्कृत कर चुकी है, बल्कि जिसकी ठेंगापाली वन रक्षा पद्धति फारेस्ट्री की शिक्षा पा रहे छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल है और जिसे विदेशों में भी एक सीख के रूप में लेते हुए अपनाया गया है. बहरहाल, पूरे देश के वनक्षेत्रों में वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर अगर निगाह डालें तो जो सूचनाएं मिल रहीं हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह क़ानून भी वहीं लागू हो पा रहा है, जहां समुदाय के लोग पहल कर रहे हैं. वरना सरकारी तंत्र तो मात्र खानापूरी करने में ही लगा हुआ है. यह सच्चाई भी खुलकर सामने आ रही है कि जो लोग संगठित और अपने अधिकारों को लेकर सचेत हैं, उन्होंने वनाधिकार क़ानून आने से पहले ही अपने अधिकारों को हासिल करना शुरू कर दिया था. उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में वहां के वन समुदायों द्वारा महिलाओं की अगुवाई में क़रीब 20,000 एकड़ ज़मीनों पर क़ानून आने से पहले ही पुनर्दखल क़ायम करना, जिन्हें प्रदेश सरकार अब वनाधिकार क़ानून के तहत नियमित करने जा रही है, को भी एक ऐसी ही मिसाल के रूप में देखा जा सकता है.

अगर केंद्र व राज्य सरकारें वास्तव में वन समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के प्रायश्चित के रूप में वनाधिकार क़ानून लागू करना चाहती हैं तो उन्हें उड़ीसा के इस छोटे से गांव से सीख लेनी होगी, क्योंकि यहां के सीधे–सादे, लेकिन पूरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले वन समुदाय ने अपनी ठेंगापाली पद्धति से सरकारों को ठेंगा दिखाने का काम किया है, जो कि उड़ीसा में पास्को और वेदांता बनाम आदिवासी समुदाय के सवाल पर नित नए फ़ैसले करके लगातार अपने दोगले रुख़ को उजागर कर रही हैं.

feedback@chauthiduniya.com

एक जनवरी, 2008 को देश भर में वनाधिकार क़ानून लागू होने के बाद जब उड़ीसा सरकार ने राज्य में यह क़ानून लागू कराने संबंधी आदेश जारी किए तो कोस्का में भी वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया समिति द्वारा पहल करते हुए शुरू की गई. ज़ाहिर है, यहां भी इस क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का हश्र वही हुआ, जो वन विभाग और सामंती सोच से ग्रस्त नौकरशाही द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है.

चौथी दुनिया

रतन टाटा सच ही कहते हैं कि ब्रिटिश मैनेजर कठिन परिश्रम करने की आदत भूल चुके हैं, जबकि भारतीय मैनेजर अपने काम को पूरा करते समय यह नहीं देखते कि इसमें कितना समय लगेगा या उनके पास कितना समय बचा है.

सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामास्वामी के ख़िलाफ़ अभियोग चला, लेकिन संसद में यह ढह गया. लोगों ने कहा कि न्यायपालिका असफल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है.

चौथी दुनिया

महावीर प्रसाद आर मोरारका

व्यक्ति और समाज

मान लीजिए देश की समस्त संपत्ति आपके हाथ में सौंप दी जाए और कह दिया जाए कि आप उचित ढंग से उसका वितरण कर दीजिए. आप बंटवारा किस ढंग से करेंगे? एक बार आप अपने परिवार के आदमियों और इष्ट मित्रों को भूल जाइए, क्योंकि आप वितरणकर्ता हैं. तो लाज़िमी तौर पर आपको पक्षपात रहित होकर सर्वसाधारण को एक समान मानकर वितरण करना होगा. आपको पंच परमेश्वर का बाना पहनना होगा. आप और हम सब जानते हैं कि यह काम कितना कठिन है. हम में से कोई भी यह काम कर नहीं सकेगा. वही मुश्किल आएगी, दूसरों की राय से प्रभावित होना होगा और परिणाम होगा ग़लत वितरण. यह समस्या नई नहीं है, विश्व में आजमाई जा चुकी है. कोई भी सही मायने में बिल्कुल उचित ढंग से बंटवारा करने में सफल नहीं हो पाया है.

छोटा सा उदाहरण ले लीजिए. भारत में संयुक्त हिंदू परिवार एक ऐसी ही प्रथा है, परिवार का हर व्यक्ति अपनी आय या संपत्ति संयुक्त कोष में दे देता है और हर व्यक्ति आवश्यकतानुसार उस संयुक्त कोष का उपभोग करता है. सैकड़ों वर्ष पहले संयुक्त परिवार की यह प्रथा भारत का आदर्श साम्यवाद था. पर क्या वह प्रथा सही मायने में आज जीवित है? क्या संयुक्त हिंदू परिवार का हर व्यक्ति यह कह सकता है कि उसे उचित बंटवारे के अनुसार सालाना ख़र्च करने को मिला या मिल रहा है? बात यह हुई कि मानव की महत्वाकांक्षाएं प्रेरणा देती हैं कि उस संयुक्त कोष में से भी अपने लिए कुछ अलग रख लें. इसी तरह के विचार परिवार के अन्य सदस्य भी करने लगते हैं. परिणामस्वरूप यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उचित ढंग से एक परिवार में ही संपत्ति का वितरण संभव नहीं हो पाता, तो फिर इतने बड़े देश की समस्त संपत्ति के वितरण भार की तो बात ही और है.

परिवार को छोड़ दीजिए शायद संभव हो भी. पर आपके घर में जो रोटी बनती है, वह आपके पड़ोसी को उपलब्ध नहीं. लेकिन आपको जो पानी प्राप्त है, वह आपके पड़ोसी को भी प्राप्त है. जिस सड़क पर चलते-फिरते हैं, उस पर आपका पड़ोसी या आपका दुश्मन भी चल-फिर सकता है. सड़क पर नगरपालिका द्वारा लगाई गई बिजली की रोशनी का लाभ सारी जनता समान रूप से उठा सकती है. शहर के बड़े अस्पताल में जनता के हर एक व्यक्ति का इलाज हो सकता है. ऐसी अनेक सुविधाएं सरकार द्वारा या नगरपालिका द्वारा आपको, हमको, सबको प्राप्त हैं. इन सुविधाओं को चालू रखने के लिए नगरपालिका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स इत्यादि लेती है. आपका मकान ज़रा बड़ा है, आप कर का ज़्यादा भाग अदा करते हैं. हमारा मकान छोटा है, हम कम भाग देते हैं. बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो बिना एक पैसा दिए भी इन सुविधाओं का उपभोग करते हैं.

आप यह नहीं कह सकते कि हम तो रात को कहीं बाहर जाते ही नहीं, हमें सड़क पर रोशनी क्यों चाहिए, इसलिए रोशनी पर ख़र्च होने वाली रकम में हम नगरपालिका का हिस्सा नहीं बटाएंगे. यह भी नहीं कह सकते कि हमारे पास सुरक्षा के लिए धन तो है ही नहीं, हमें गली में पहरा देने के लिए पुलिसमैन की क्या आवश्यकता है, हम तो इस ख़र्च में कुछ भी हिस्सा नहीं देंगे. यह भी नहीं कह सकते कि पब्लिक अस्पताल में हम कभी इलाज कराने गए ही नहीं, जाएंगे भी नहीं, फिर क्यों हम अस्पताल के ख़र्च में भाग बटाएं. पब्लिक लाइब्रेरी की पुस्तक भी हम कभी पढ़ते नहीं, पब्लिक स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं. फिर इन सब कार्यों में सरकार या नगरपालिका का जो ख़र्च होता है, उसमें हम हिस्सा क्यों दें? आप भले ही उसके उपभोक्ता न हों, पर ये सब सुविधाएं समाज कल्याण के लिए हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी हैं, सबके उपयोग के लिए समान रूप से प्राप्य हैं. अतएव इन्हीं और ऐसी सब सुविधाओं को साम्यवादी सुविधाएं कहा जा सकता है. आप स्वयं चाहे इन सुविधाओं के उपभोक्ता हों या न हों, आपको अनिवार्य रूप से इनके ख़र्चों में निर्धारित अनुपात से अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा.

यह अनुपात निश्चित किया जाएगा आपकी आय के हिसाब से, आपका जो मकान है उसके साइज़ से या उसकी क़ीमत से. पर जो थोड़े से थोड़े अनुपात में हिस्सा बंटाने वाले हैं या जो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, उन्हें भी इन सब सुविधाओं का उपभोग करने का समान अधिकार है. चाहे युवा हो या वृद्ध, अमीर हो या ग़रीब, पापी हो या पुण्यात्मा, गोरा हो या काला, कंजूस हो या उदार, बढ़ई, दर्जी, मोची, सिपाही, सैनिक, भिखारी, चोर, डाकू सबको इन आम सुविधाओं को भोगने का अधिकार है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझुनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

अर्थव्यवस्था का केंद्र तीसरी दुनिया है

नेपोलियन एक बार विश्व का नक्शा देख रहा था. अचानक एक जगह उसकी नज़र ठिठकी. उसने कहा, ओह चीन, सोया हुआ एक विशाल दैत्य, इसे सोने ही दो. इस बात को दो शताब्दियां बीत चुकी हैं. हम एक बार फिर इसी बात को यूरोप के लिए दोहराने के रास्ते पर हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उत्तराधिकार को लेकर चल रहे ताज़ा संघर्ष में असल में पिछले 20 सालों के उदारीकरण और ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हुए भारी फ़ेरबदल की परछाई ही देखने को मिल रही है. अर्थव्यवस्था का केंद्र अब मध्य अटलांटिक नहीं रहा, बल्कि कहीं मध्य एशिया में बन चुका है. अभी विकास एवं समृद्धि एशिया और लैटिन अमेरिका में है. यहां तक कि अफ्रीकी देश भी 5 फ़ीसदी वृद्धि की दर से आगे बढ़ रहे हैं. इसके विपरीत यूरोप की विकास गति कम हुई है. यह एक प्रौढ़ क्षेत्र बन गया है. क़र्ज़ संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं. यह क्षेत्र अपनी बूढ़ी होती जनसंख्या के लिए पेंशन की समस्या से भी दो-चार हो रहा है. अमेरिका पर भी मंदी का असर पड़ा, हालांकि यह अस्थायी हो सकता है. बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जहां एक ओर क़र्ज़दार बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एशिया और लैटिन अमेरिका के क्षेत्र साहूकार की भूमिका में आते जा रहे हैं. आख़िर यह सब कैसे हुआ?

बहुत पहले की बात नहीं है, तीसरी दुनिया जैसा शब्द निराशा का प्रतीक हुआ करता था. उत्तर माने दक्षिण का बंधक था. केवल दक्षिण-दक्षिण का सहयोग ही तीसरी दुनिया के ग़रीबों के लिए आशा की एक किरण थी. संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य था कि 2025 तक निर्माण क्षेत्र में दक्षिण की हिस्सेदारी 25 फ़ीसदी हो जाए. अब तीसरी दुनिया और दक्षिण जैसे शब्द बेकार हो गए हैं. 70 के दशक में एशिया देश तेज़ी से औद्योगीकरण की ओर बढ़े और आगे बढ़ते गए. एशियन टाइगर्स ने सोवियत मॉडल को ख़त्म कर दिया और वे निर्यात आधारित विकास के रास्ते पर चले गए. इस सब में राज्य ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि निजी क्षेत्रों को रोका गया, बल्कि एक ख़ास रणनीति के तहत उनकी मदद ही की गई. तब बचत की दर बढ़ती गई, कड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लोगों में कठिन परिश्रम करने की इच्छा जगी. बजाय इसके कि श्रम और पूंजी के बंटवारे को लेकर बेकार की लड़ाई में उलझें. एशियन टाइगर्स ने चीन और शेष साउथ-ईस्ट एवं ईस्ट एशिया के लिए एक मिसाल पेश की. 40 सालों तक समाजवादी आर्थिक मॉडल को ढोने के बाद भारत को भी एशियन टाइगर्स से एक संदेश मिला.

इसके बाद एक बड़ी घटना हुई, ग्लोबलाइज़ेशन की. निवेश का रास्ता खुला. पश्चिम के निजी खिलाड़ी दक्षिण की ओर मुड़े. यहां तक एशियन फ्राइसिस से भी निवेश का यह प्रवाह नहीं रुका. घरेलू बचत, विदेशी निवेश और लोगों में काम करने की उत्कंठा ने एशियाई देशों में विकास की रफ़्तार और तेज़ कर दी. यहां की जनसंख्या कमज़ोरी नहीं, ताक़त बन गई. विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार को मुक्त बनाने में मदद की. उत्पादन और निर्माण क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ा. विकसित देश 1950 के बेबी बूम के बाद से अपनी जनसंख्या का फ़ायदा उठाने में असफल रहे. यूरोप की समृद्धि ने उन्हें कल्याणकारी राज्य तो बनाया, लेकिन ग्रेट रिसेशन से मालूम हुआ कि इस समृद्धि की जड़ें बहुत कमज़ोर थीं. अब विकसित देश अपने निर्यात बाज़ार को धीरे-धीरे खो रहे हैं. कल्याणकारी राज्य की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ी, मानव संसाधन बेकार होते चले गए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य को अप्रशिक्षित एवं अर्द्ध प्रशिक्षित लोगों को काम और पैसे देने के लिए नहीं सुधारा जा सकता.

रतन टाटा सच ही कहते हैं कि ब्रिटिश मैनेजर कठिन परिश्रम करने की आदत भूल चुके हैं, जबकि भारतीय मैनेजर अपने काम को पूरा करते समय यह नहीं देखते कि इसमें कितना समय लगेगा या उनके पास कितना समय बचा है. ब्रिटेन चाहता तो भारत जैसा बनने की, लेकिन अब इसके लिए समय नहीं बचा. हर ओर बचत दर कम हो रही है और काम में शिथिलता दिख रही है. यह असल में अनवरत समृद्धि का ही नतीजा है. एक धनी देश अपने उच्च लाभ की वजह से कम काम और ज़्यादा आराम की राह चुन सकता है. रतन टाटा के पूर्वजों से एक बार एक ब्रिटिश इंजीनियर ने कहा था कि भारत एक इस्पात मिल तक नहीं बना सकता. अब टाटा ब्रिटिशों से यह कह रहे हैं कि वे अब ज़्यादा कुछ भी नहीं बना सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

क़लम और तलवार

बचपन में सुनी थी एक कहानी
बड़े-बुज़ुर्गों की ही ज़ुबानी
तलवार से कलम ताक़तवर है
नहीं है क़लम का कोई सानी
लेकिन जमाना बदल गया है
अब तो सब कुछ उलटा है
कलम अब कमज़ोर लगती है
क्योंकि तलवार बन गई कुलटा है
चमचे, दलाल और भ्रष्टाचारी
सबके पास तलवार की ताक़त है
सब जगह उनकी ही चलती है
क़लम के पास सिर्फ़ शिकायत है
चौथी दुनिया के पास ताक़त है
वह चाहे तो धमाल कर सकता है
क़लम को फिर ताक़तवर बना दे
तो सचमुच कमाल कर सकता है.

-सुरुचि शर्मा, *गुड़गांव, हरियाणा.*

ज़िम्मेदार कौन

चौथी दुनिया में 26 लाख करोड़ के कोयला घोटाले के बारे में पढ़ा. हमारा देश कोयले के मामले में समृद्ध है और देश की सरकार घोटाला करने के मामले में. पहले भी घोटाले हुए, जिसकी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों पर डाल दी. अब यह 26 लाख करोड़ का घोटाला उनकी ही नाक के नीचे यानी उनके ही कोयला मंत्री रहते हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदारी वह किस पर डालेंगे. जिस तरह घोटाले हो रहे हैं, उनसे लगता है कि हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा. सरकार को जनता का ज़रा भी ख्याल नहीं है. जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, दूसरी तरफ़ सरकार घोटालों में व्यस्त है.

-रविकांत आनंद, *खगड़िया, बिहार.*

ईमानदार कोशिश की ज़रूरत

आधुनिक अधिकार और राज्य संस्थाएं हमारे अपने संघर्ष से नहीं, बल्कि पश्चिम की देन हैं. भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसे देश के पिछड़े और उप सामंतवादी समाज पर थोप दिया. समानता के प्रावधान आधुनिक मूल्यों पर टिके हैं, जबकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पिछड़े एवं सामंती मूल्यों पर टिकी है, यह विषमता मूलक है. इसे दूर करने में काफ़ी समय लग सकता है. भारत मोटे तौर पर अप्रवासियों का देश है. इस देश में 92 प्रतिशत निवासी द्रविड़ नहीं, बल्कि मीन, कोल, संथाल, गौड़ और टोड़ा जैसी जनजातियों से हैं. इनका हिस्सा 8 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं है. हमारे देश में काफी विविधता है. यहां चीन की तरह एक नस्ल के लोग नहीं हैं. विविधता में एकता ही भारतीय संविधान का मूल तत्व है. संविधान के अनुच्छेद 301 में राजनीतिक एवं आर्थिक एकता को पूरक बताया गया है. हमारे देश के न्याय शास्त्र में शोध को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. न्याय में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ईमानदार प्रयास की ज़रूरत है. यह राजनेताओं की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है. उन्हें जांच-पड़ताल के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, वर्तमान में इसका सर्वथा अभाव देखा जा रहा है.

-प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

असंतोष, आक्रोश और अराजकता

इतिहास साक्षी है कि विश्व में कहीं भी, राजशाही एवं सामंतशाही के एकछत्र शासन में भी सत्ता के दुरुपयोग, मनमाने व्यवहार एवं अन्याय के प्रति उपजे असंतोष एवं आक्रोश को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सका. जनतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है. हमारे देश में भी विदेशी शासकों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा गांधी ने देश को अहिंसक सत्याग्रह, हड़ताल, जुलूसों एवं रैलियों का जो अस्त्र दिया था, वह इतना सफल रहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा. स्वाधीन भारत में जब तक सत्ता की बागडोर योग्य नेताओं के हाथों में रही, देश में प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन ज्यों-ज्यों शासक वर्ग और राजनीति में स्वार्थ, अनैतिकता, पक्षपात, वंशवाद एवं भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जनता की परेशानियां भी बढ़ती गईं. इसके साथ ही व्यवस्था के प्रति जनता का रोष भी बढ़ता गया. धरना, प्रदर्शन और हड़तालें जनाक्रोश का ही प्रतीक हैं.

-एम सी बरला, *कोटा, राजस्थान.*

बिहार की तस्वीर

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-नीतीश सरकार: एक और भगौड़ा मंत्री पढ़ा. कहना सिर्फ़ इतना चाहूंगा-

देखी रिपोर्ट तेरी तो यह महसूस हुआ
बदले हुए बिहार की तस्वीर यही है
शायद नीतीश जी भी समझ जाएं तेरी बात
झिंझोड़ दे जो फ़िक्र को, तहरीर यही है.

-सलमान अहमद, *ईमेल से.*

■ एक बिहार ही क्या, देश के सभी राज्यों की यही हालत है. जो जितना बड़ा अपराधी है, वह उतना ही बड़ा नेता है. किसी में कोई नैतिकता नहीं है. एक राजनेता के लिए निष्पक्ष और नैतिकता से परिपूर्ण होना पहली शर्त है, लेकिन हमारे यहां भ्रष्ट ही नेता बन जाते हैं.

-ख़दीजा सिद्दीक़ी, *ईमेल से.*

राजकमल प्रकाशन समूह

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जाने वाली 700 रुपए की किताबें

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएंगे।

मूल्य ₹ 1000 पृ. : 448
राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सरकार इस ख़तरे को पहचाने

सिर्फ़ भारत सरकार ही नहीं, सभी सरकारों के जागने का वक़्त आ गया है. जागने का वक़्त इसलिए कि अगर कोई सरकार सुशासन करते हुए नहीं दिखाई देती या कोई सरकार लोगों के लिए काम करते नहीं दिखाई देती तो अब लोगों का गुस्सा जल्दी फूटता दिख रहा है. अन्ना हज़ारे के आंदोलन ने यह दिखाया कि लोग सड़कों पर आ सकते हैं. किसानों ने यह दिखाया कि अगर उनके हितों के ख़िलाफ़ कोई सरकार काम करेगी तो वे सड़क पर आ जाएंगे और सिर्फ़ सत्याग्रह ही नहीं करेंगे, बल्कि उग्र सत्याग्रह करेंगे. सरकार को या तो गोली चलानी पड़ेगी या किसानों से बात करके मसले का हल निकालना होगा. बाबा रामदेव का सत्याग्रह भी यही बताता है कि आप अगर लोगों की बात नहीं सुनते हैं, आप सरकार चलाते हैं, लेकिन आप लोगों की समस्याओं से, लोगों की चिंताओं से ख़ुद को दूर रखते हैं तो फिर आप परेशानी में पड़ते हैं. फिर आपको अपने मंत्रियों को भेजना पड़ता है. और जब मंत्री कहीं बातचीत करने जाएं और आंदोलनकारी मंत्रियों की बात से सहमत न हों तो इससे इज़्ज़त अगर किसी की जाती है तो वह सरकार की जाती है.

इससे पहले राजस्थान में दो बार गुर्जरों ने दिल्ली-मुंबई का रास्ता बंद कर दिया था. उनकी मांग थी कि उन्हें आरक्षण मिले. पहले वसुंधरा जी की सरकार और बाद में अशोक गहलोत की सरकार ने आश्वासन देकर उन्हें टालना चाहा. सरकार ने यह साफ़ नहीं कहा कि वह आरक्षण नहीं दे सकती. सरकार ने कहा कि वह आरक्षण के मसले पर विचार करेगी और केंद्र से बातचीत करेगी. दो बार गुर्जर सड़क पर आ चुके हैं. जाट समाज कई बार दिल्ली और आगरा का रास्ता बंद कर चुका है. ये वे क़िस्से हैं, जो दिल्ली के आसपास के शहरों में घट रहे हैं, जहां की ख़बरें आसानी से अख़बारों में छप जाती हैं, टेलीविजन पर आ जाती हैं. पर देश के बहुत सारे हिस्से हैं, जहां बंद होता है, चक्का जाम होता है, लोग सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर उग्र आंदोलन करते हैं, पर उनकी ख़बरें सामने नहीं आ पातीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां समस्या नहीं है. चिंता की बात यह है कि न सिर्फ़ सरकार देश के दूर के हिस्सों में काम करती नहीं दिखाई देती, बल्कि जहां सरकार का केंद्र है, राज्यों की राजधानी और देश की राजधानी, वहां भी वह काम करती नहीं दिखाई देती है.

चिंता की बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार को काम करने न देने के पीछे मंत्रियों का कम दिमाग़ काम कर रहा है? मंत्रियों को समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ का फ़ैसला कब लेना है और किस चीज़ को किस पैमाने पर लागू करना है? या फिर मंत्री यह नहीं समझ पाते कि भविष्य में आने वाली चुनौतियां क्या-क्या हैं, जिनके बारे में वे दिशानिर्देश जारी कर सकें? या फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास वक़्त ही नहीं है कि अपने मंत्रियों से कह सकें कि वे लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए किस तरह की कुशलता विकसित करें? यह कहना अतिशयोक्ति होगी या शायद बड़बोलापन होगा कि इन दिनों जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं, उनमें यह क्षमता नहीं है. लोकतंत्र है तो मानना चाहिए कि क्षमता है. पर वह क्षमता दिखाई क्यों नहीं देती? दूसरा पहलू यह है कि मंत्री अगर काम करना चाहते हैं तो क्या नौकरशाही उन्हें काम करने से रोकती है? क्या नौकरशाही का देश में काम न होने, देश में परेशानी और दु:ख बने रहने, लोगों के पास तक विकास या समस्याओं का हल न पहुंच सकने के पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है तो यह बहुत ख़तरनाक है और अगर यह वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग में कोई कमज़ोरी आ गई है? वे यही कला सीखते हैं कि किस तरह समस्याओं का हल निकालें और किस तरह कुशल मैनेजमेंट कर सकें. क्या इसमें कोई कमी आई है? इस कमी को अच्छे अधिकारी न पहचानें और बुरे अधिकारी इसे अपनी ताकत बनाएं, यह ख़तरनाक स्थिति है. शायद इसीलिए देश में जगह-जगह उग्र आंदोलन हो रहे हैं, जगह-जगह सड़कें रोकी जा रही हैं, रेल रोकी जा रही है. इसके बावजूद हमारी नौकरशाही नहीं चेत रही.

अन्ना हज़ारे और बाबा रामदेव के आंदोलनों के बीच में कम से कम चार महीने का फ़र्क़ दिखाई दिया. इन चार महीनों में न भारत सरकार चेती, न राज्यों की सरकारें चेतीं. अब जिन मुद्दों को लेकर देश के लोग चिंतित हैं, जिनमें किसान शामिल हैं, छात्र शामिल हैं, मज़दूर शामिल हैं, नागरिक समाज शामिल है और इन चिंताओं को अगर सरकार चिंता नहीं समझती तो यह समस्या जनता की नहीं है, यह समस्या सरकारों की है.

नौकरशाही या राजनेताओं, जो सरकार में हैं या वे भी जो सरकार में नहीं हैं, विरोधी पक्ष में हैं, उनका न चेतना या न जागना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. अब लोग अपनी समस्याओं को लेकर सिर्फ़ मांग पत्र देने तक अपना कर्तव्य नहीं मानते. पहले यह होता था कि सरकार को, सरकार के किसी मंत्री को या सरकार के किसी बड़े अधिकारी को अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र दे दो और फिर उसकी कॉपी ले जाकर अख़बार के दफ़्तर में दे दो और इसके बाद लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते थे. राजनीतिक दल, जो लोगों की समस्याओं से जुड़ने में गर्व महसूस करते थे, उन मांगों को लेकर आंदोलन करते थे. एक चक्र पूरा होता था, पर अब न राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं और न समस्याग्रस्त समुदाय सिर्फ़ मांग पत्र देकर संतुष्ट होता है. अब वह चाहता है कि उसकी मांगों पर फ़ौरन काम हो और इसके लिए वह उग्र आंदोलन करने में नहीं हिचकता. संपूर्ण राजनीतिक तंत्र इस समय अचेतावस्था में हैं. भारत के कई बड़े अधिकारियों से पिछले दिनों मेरी बातचीत हुई. उनका मानना है कि पूरा लोकतांत्रिक ताना-बाना थोड़ा सा हिल रहा है. शासन का तंत्र मजबूत नहीं रहा. अब अगर भारत सरकार के बड़े अधिकारी यह मानने लगें तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बुनियादी गड़बड़ी है, कमज़ोरी है. इस कमज़ोरी को दूर करने में उन सभी को हाथ बंटाना होगा, जो लोकतंत्र को मज़बूत होते हुए देखना चाहते हैं. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा लोकतंत्र सीमित लोकतंत्र में बदलने लगेगा. सीमित लोकतंत्र पाकिस्तान में है, सीमित लोकतंत्र बांग्लादेश में भी है. इन देशों में लोकतांत्रिक गतिविधियां नहीं होतीं और अगर होती भी हैं तो वे कहीं न कहीं से निर्देशित होती हैं. परिणाम यह होता है कि आम आदमी की समस्या इन दोनों देशों में कभी हल ही नहीं हो पाती. सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है. लेकिन हमारे देश में अगर सरकारों ने लोगों की समस्याओं को न सुना, लोगों की चिंताओं को न समझा और लोगों की परेशानियों से लड़ते हुए वे नहीं दिखाई दीं तो शायद हम भी सीमित लोकतंत्र के रास्ते पर चलने लगेंगे.

यह ख़तरा आज के राजनेता, जिनमें सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, स्वयं मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, प्रकाश करात, जयललिता, करुणानिधि, मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सब इसमें शामिल हैं, लंबी फ़ेहरिस्त है. वे सारे नेता जो देश को चलाते हैं, अगर इस ख़तरे को नहीं समझेंगे और ख़ुद को छोटे- छोटे हितों तक या छोटी-छोटी दूरी की यात्रा का राही मानेंगे तो देश में लोकतंत्र कितने दिनों तक बचा रहेगा, कहा नहीं जा सकता. हमें मालूम है कि हम नक्कारख़ाने में तूती की तरह हैं. हमें मालूम है, मीडिया में हमारे साथियों को इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि देश में लोकतंत्र रहे, न रहे और इसीलिए वे अपने को सही पत्रकारिता की दिशा में नहीं चलाना चाहते. उनके लिए इस देश की सरकार को, इस देश के प्रशासन को चेताना उनका कर्तव्य नहीं है. पर हम भले नक्कारख़ाने में तूती हों, हम अन्याय के ख़िलाफ़ अपना हाथ हमेशा खड़ा करेंगे. सरकारों का निकम्मापन, प्रशासन का निकम्मापन, राजनेताओं का निकम्मापन और जनता की आवाज़ को, जनता के दर्द को, जनता के सपने को न सुनने की आदत को विकसित करना इस देश के लोगों के साथ और लोकतंत्र के ख़िलाफ़ एक आपराधिक उदासीनता है. यह उदासीनता दूर हो, इसके लिए जनता को अपनी आवाज़ थोड़ी और ऊंची करनी पड़ेगी.

अन्ना हज़ारे और बाबा रामदेव के आंदोलनों के बीच में कम से कम चार महीने का फ़र्क़ दिखाई दिया. इन चार महीनों में न भारत सरकार चेती, न राज्यों की सरकारें चेतीं. अब जिन मुद्दों को लेकर देश के लोग चिंतित हैं, जिनमें किसान शामिल हैं, छात्र शामिल हैं, मज़दूर शामिल हैं, नागरिक समाज शामिल है और इन चिंताओं को अगर सरकार चिंता नहीं समझती तो यह समस्या जनता की नहीं है, यह समस्या सरकारों की है. और सरकारें अगर आज भी नहीं चेतीं तो जनता एक सही विकल्प के अभाव में अराजकता की ओर भी बढ़ सकती है. इसका ख़तरा लगातार हमारे सामने दिखाई दे रहा है. अफ़सोस की बात है कि इस ख़तरे को हम देख रहे हैं, लेकिन इस ख़तरे को सरकार नहीं देख रही है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

जस्टिस कुलदीप सिंह

जवाबदेही का इन हाउस सिस्टम ज़रूरी है

आज भारत की न्यायपालिका को किन बीमारियों ने जकड़ रखा है, यह एक कठिन विषय है. सीधे-सीधे इसका जवाब हां या ना में देना संभव नहीं है. आज ज़रूरत है सच्चाई से रूबरू होने और उसका सामना करने की. न्यायपालिका का ट्रैक रिकॉर्ड या इतिहास आज़ादी के बाद से आज तक बहुत ही गौरवशाली है. हमेशा से न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है जनता के अधिकारों को बचाए रखने के संदर्भ में और यह संविधान के अनुसार न्यायपालिका की सबसे पहली ज़िम्मेदारी भी है. जब भारत की बाक़ी सभी संस्थाएं असफल हो गईं तो बार-बार न्यायपालिका ने जनता के हितों की रक्षा की. इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न देखा जाना चाहिए. आज न्यायपालिका अपनी सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चुनौतियों से जूझ रही है.

पहले यह देखना है कि बाक़ी देश में क्या हो रहा है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो न्यायपालिका के साथ दो और संस्थाएं भी आईं और वे थीं विधायिका और कार्यपालिका. आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार की है. 1948 में जब सबसे पहला घोटाला हुआ था यानी जीप घोटाला, तबसे आज तक देश ने लगभग 50 घोटाले देखे हैं. अभी हाल में सामने आए 2-जी घोटाले ने देश में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. यह घोटाला देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले के रूप में दर्ज हुआ. इस घोटाले में इतना पैसा इधर-उधर हुआ कि कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता और जो भी जैसा कहेगा, जितना बड़ी रकम आंकेगा, उसे सही माना जाएगा.

दूसरी ओर अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखी जाए तो भारत काले धन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है. भारत का 1460 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक धन बाहरी देशों में जमा है. वाशिंगटन पोस्ट ने जुलाई 2008 में चुनावों के बाद लिखा था कि 545 सांसदों में से एक चौथाई आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. साथ ही एक पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त ने बताया कि भारत के 30 फ़ीसदी लोग भ्रष्ट हैं और 50 फ़ीसदी भ्रष्ट होने के कगार पर हैं. पहले रिश्वत ग़लत काम कराने के लिए दी जाती थी, लेकिन आज सही काम सही समय पर कराने के लिए देनी पड़ती है. कहने का मतलब यह है कि भारत आज एक बहुत ही नकारात्मक स्थिति में है, जहां जीवन का हर पहलू भ्रष्टाचार से ग्रस्त है. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायपालिका ख़ुद को इस बीमारी से दूर रख सकती है? अगर हां तो कैसे? क्योंकि अगर न्यायपालिका ख़ुद को इस बीमारी से दूर रख पाती है तो फिर बाक़ी समस्याएं बहुत ही छोटी हैं.

जजों की नियुक्ति हो या उनका स्थानांतरण, कोई नहीं जानता कि यह सब कैसे होता है. सबसे आवश्यक जो सूचना आई, वह थी जजों के स्थानांतरण की योजना, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस योजना को किस कोलिजियम ने बनाया. मैं ख़ुद नहीं जानता, जबकि तब मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था. कोलिजियम के कामकाज का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. इस बारे में मुझे दो वाकये याद आते हैं.

यदि पूछा जाए कि न्यायपालिका में खामियां हैं कि नहीं, तो मेरी समझ से हैं, लेकिन न्यायपालिका की बीमारियां दूसरे संगठनों को देखते हुए पहली स्टेज पर हैं और इन्हें रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, यदि सभी लोग एकमत होकर प्रयास करें. आज दो ऐसे पक्ष हैं, जिनके बारे में न्यायपालिका को सोचना होगा. हमने देखा नहीं है कि न्यायपालिका में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ हो. कहीं इक्का-दुक्का कोई एक या दो जजों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जैसे बंगाल में, लेकिन यह भी अपने आप में बहुत है. जवाबदेही का मसला बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ासकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए. जस्टिस कपाड़िया ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वे सारी संस्थाएं, जिनके पास अधिकार हैं, कहीं न कहीं और किसी न किसी के सामने जवाबदेह होनी चाहिए. मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफ़ाक़ रखता हूं. लेकिन सवाल है, किसके सामने और कैसे? न्यायपालिका ने अपने घर के भीतर ही ऐसा करने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रही.

सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामास्वामी के ख़िलाफ़ अभियोग चला, लेकिन संसद में यह ढह गया. लोगों ने कहा कि न्यायपालिका असफल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसलिए, क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि यह मामला किसी व्यक्ति की याचना या शिकायत से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि वहीं के जजों ने रामास्वामी पर आरोप लगाए थे और वहीं उन पर जांच चल रही थी, तभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन दे दिया गया. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीवान ने ऑडिटरों की एक टीम को इन आरोपों की जांच का काम दिया और तब मामला बहुत ही संगीन हो गया, जब टीम की रिपोर्ट में सारे आरोप सही पाए गए. तब सवाल उठा कि अब क्या किया जाए? तब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुख़र्जी थे और मैं उन्हें दाद देता हूं इस मामले में. उन्होंने पूछा कि अब कैसे काम होगा, जब अमुक जज पर आरोप लगे हैं. तब मैं भी सुप्रीम कोर्ट में था. इस पर बहुत चर्चा चली और एक सुबह पता चला कि जस्टिस रामास्वामी का मामला खुली अदालत में सुना जाएगा, सबके सामने, अधिवक्ताओं के सामने, जनता के सामने. जस्टिस मुख़र्जी ने जस्टिस रामास्वामी से सारा न्यायिक कार्य छीन लेने का आदेश दिया और जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत तीन जजों की एक समिति बनाई कि यह इस मामले की तफ्तीश करेगी. यानी न्यायपालिका अपना कर्तव्य निभाने में नहीं चूकी. इस समिति ने सारे आरोप सही ठहराए और तब यह मसला संसद के सामने गया. और उसके बाद जो हुआ, वह जाना-माना इतिहास है. संसद में क्या हुआ और रामास्वामी को क्यों नहीं निकाला जा सका, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता. लेकिन एक बात है, जस्टिस मुख़र्जी इन हाउस क़ानून बना सकते थे, इस तरह की बातों से निपटने के लिए, लेकिन वह कुछ ही समय बाद स्वर्गवासी हो गए. यह तरीक़ा, जिसके तहत एक मुख्य न्यायाधीश किसी भी जज से सारे कार्यभार ले लेता है, इसके बाद कभी भी ठीक से लागू नहीं किया गया. इस तरह कभी भी न्यायपालिका ख़ुद अपने भीतर ही जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं बना सकी.

दूसरे जज के मामले के बाद सारी शक्तियां न्यायालय को ही दे दी गईं सरकार से वापस लेकर और वह जजमेंट जस्टिस वर्मा ने ही लिखा था. तभी से न्यायपालिका अपने यहां होने वाली नियुक्तियों और बाकी बातों के लिए ज़िम्मेदार है. दो दशक हो गए हैं, लेकिन आज तक न्यायपालिका अपने भीतर जवाबदेही का कोई सिस्टम तैयार नहीं कर सकी है. अगर सरकार जजों की जवाबदेही के लिए कोई क़ानून लाना चाहती है तो उसका स्वागत होना चाहिए. न्यायपालिका में जवाबदेही परमावश्यक है. दूसरा जो बहुत आवश्यक पक्ष है, वह है पारदर्शिता. कोई भी नहीं जानता है कि जजों का कोलिजियम कैसे काम करता है. यह सब बहुत ही रहस्यमयी है. जजों की नियुक्ति हो या उनका स्थानांतरण, कोई नहीं जानता कि यह सब कैसे होता है. सबसे आवश्यक जो सूचना आई, वह थी जजों के स्थानांतरण की योजना, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस योजना को किस कोलिजियम ने बनाया. मैं ख़ुद नहीं जानता, जबकि तब मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था. कोलिजियम के कामकाज का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. इस बारे में मुझे दो वाकये याद आते हैं. पहला, जब मैं और वर्मा जी कोलिजियम में थे, तब कोलिजियम सिर्फ़ तीन जजों का बन पाया था. एक सुबह मैंने अख़बारों में पढ़ा कि केरल में किसी जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जो वरिष्ठता में आठवें नंबर पर था. मैं अवाक रह गया कि यह कैसे हो सकता है और मेरे कोलिजियम में रहते किसी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं. मैंने वर्मा जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि यह तो मैं सबसे पहले आपसे ही सुन रहा हूं. हम दोनों चीफ जस्टिस के पास गए और वहां जो हुआ, मैं बताना नहीं चाहता. वैसे जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था, मैं यही कह सकता हूं. दूसरी घटना भी तभी की है. एक मुख्य न्यायाधीश के सामने मैंने और वर्मा जी ने तीन नाम दिए, जिन्हें प्रमोट करना था सुप्रीम कोर्ट के लिए. उन्होंने कहा कि उनके सेवानिवृत्त होने में केवल कुछ ही महीनों का समय था तो उनके बाद आने वाला ही यह काम करे तो ठीक है. बात सही थी. उनके बाद जो आए, उन्हें भी हमने कोलिजियम में होने के नाते नाम दिए, लेकिन उन्होंने कोलिजियम के विरुद्ध जाकर एक नियुक्ति अपने मन से कर दी. सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने भी इस पर ध्यान देने से इंकार कर दिया. इसलिए पारदर्शिता भी न्यायपालिका के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी जवाबदेही.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं)

feedback@chauthiduniya.com

आॅस्ट्रेलियाई बच्चों के टीवी पर काम करने वाले समूह द विग्ल्स ने इस टोपी के लिए क़रीब 10.28 लाख रुपये की बोली लगाई थी, लेकिन अब इससे बड़ी बोलियां लग चुकी हैं.

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

कब करें द्वितीय अपील और शिकायत

पिछले अंक में हमने आपको प्रथम अपील के बारे में बताया था, साथ ही उसका एक प्रारूप भी प्रकाशित किया था. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में द्वितीय अपील एवं शिकायत की जा सकती है. अगले अंक में हम शिकायत एवं द्वितीय अपील का प्रारूप भी प्रकाशित करेंगे.

आरटीआई की दूसरी अपील

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी सूचना की अभिगम्यता प्रदान करने से मना किया गया हो तो आप केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील/शिकायत दायर कर सकते हैं.

एक अपील कब दर्ज करें

धारा 19 (1) के तहत कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) अथवा धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट समय के अंदर निर्णय प्राप्त नहीं होता है अथवा वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से पीड़ित है, जैसा भी मामला हो, वह उक्त अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर अथवा यह निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उस अधिकारी के पास एक अपील दर्ज करा सकता है, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का है, जैसा भी मामला हो–

1. बशर्ते कि उक्त अधिकारी 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर लेता है, यदि वह इसके प्रति संतुष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा समय पर अपील करने से रोकने का पर्याप्त कारण है.

धारा 19 (2) के तहत जब एक अपील केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की सूचना का प्रकटन किया जाता है, तब संबंधित तीसरा पक्ष आदेश की तिथि के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है.

धारा 19 (3) की उपधारा 1 के तहत निर्णय के विरुद्ध एक दूसरी अपील उस तिथि 90 दिनों के अंदर की जाएगी, जब निर्णय किया गया है अथवा उसे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है:

1. बशर्ते कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा समय पर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण हैं.

धारा 19 (4) के तहत यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा कि मामला हो, दिया जाता है और उसके विरुद्ध तीसरे पक्ष की सूचना से संबंधित एक अपील की जाती है, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनने का एक पर्याप्त अवसर देगा.

धारा 19 (7) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, बाध्यकारी होगा.

धारा 19 (4) के तहत यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा कि मामला हो, दिया जाता है और उसके विरुद्ध तीसरे पक्ष की सूचना से संबंधित एक अपील की जाती है, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनने का एक पर्याप्त अवसर देगा.

धारा 19 (8) के तहत अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित का अधिकार होगा.

(क) लोक प्राधिकरण द्वारा वे कदम उठाए जाएं, जो इस अधिनियम का प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें, जिसमें शामिल हैं:–

- सूचना तक पहुंच प्रदान करने द्वारा, एक विशेष रूप में, यदि ऐसा अनुरोध किया गया है.
- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो.
- सूचना की कुछ श्रेणियों या किसी विशिष्ट सूचना के प्रकाशन द्वारा.
- अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और नष्ट करने के संदर्भ में प्रथाओं में अनिवार्य बदलावों द्वारा.
- अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान बढ़ाकर.
- धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करना.

(ख) लोक प्राधिकरण द्वारा किसी क्षति या अन्य उठाई गई हानि के लिए शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देना.

(ग) इस अधिनियम के तहत प्रदान की गईं शक्तियों को अधिरोपित करना.

(घ) आवेदन अस्वीकार करना.

धारा 19 (9) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील के अधिकार सहित अपने निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को देगा.

धारा 19 (10) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उक्त प्रक्रिया में निर्धारित विधि द्वारा अपील का निर्णय देगा.

आरटीआई शिकायत

यदि आपको कोई जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में अपनी अपील/ शिकायत दाख़िल कर सकते हैं.

शिकायत कब दाख़िल करें

इस अधिनियम के प्रावधान 18 (1) के तहत यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वह ऐसे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और पूछताछ करे–

- जो आवेदक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास अपना अनुरोध दाख़िल करने में सफल नहीं होते.
- यदि केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो.
- जिसे इस अधिनियम के तहत किसी जानकारी तक पहुंचने से मना कर दिया गया हो. ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर न दिया गया हो.
- जिस शुल्क के भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता/ मानती है.
- जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है.
- इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले को अस्वीकृत कर दिया गया हो.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301,
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

किसकी टोपी किसके सिर

इसकी टोपी उसके सिर वाली बात तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन जब टोपी 10 लाख की हो तो सोचिए कि वह किसके सिर जाएगी. राजकुमारी बिट्रेस की शाही टोपी ई-बे पर नीलाम हो रही है. अगर आप ब्रितानी राजकुमारी बिट्रेस की अजूबी टोपी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको दस लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च करना होगा. ग़ौरतलब है कि किसी ने इस शाही टोपी की तुलना टॉयलेट सीट से की थी, किसी ने सांप से और किसी ने किसी और अजूबी चीज़ से, लेकिन अब यह टोपी लाखों में बिक रही है. ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और केट मिडल्टन की शादी में राजकुमारी बिट्रेस ने जो टोपी पहनी थी, वह अब ई-बे पर नीलाम हो रही है. इस टोपी के लिए अब तक दस लाख रुपये से ऊपर की बोली लग चुकी है. फिलिप ट्रेसी ने यह टोपी डिज़ाइन की थी. यह टोपी शादी के समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी. अब फ़ेसबुक पर इसका अपना एक अलग से पेज है. इसकी नीलामी से आने वाला पैसा यूनिसेफ़ और चिल्ड्रन इन क्राइसिस नामक संस्थाओं को दिया जाएगा.

ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के टीवी पर काम करने वाले समूह द विग्ल्स ने इस टोपी के लिए क़रीब 10.28 लाख रुपये की बोली लगाई थी, लेकिन अब इससे बड़ी बोलियां लग चुकी हैं. द विग्ल्स के एंथनी फ़ील्ड मज़ाक करते हुए कहते हैं, हमने स्टेज पर कुछ बहुत ही अजीबोग़रीब चीज़ें पहनी हैं, लेकिन यह टोपी तो अपने आप अकेले एक ऑस्ट्रेलिया बना सकती है. फील्ड आगे कहते हैं, जब हमने इसकी नीलामी के बारे में सुना तो लगा कि हमें बोली लगानी ही होगी. हम यूनिसेफ़ के दूत हैं और हमें लगता है कि राजकुमारी बिट्रेस ने ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए पैसा ख़र्च करना तय किया है. द विग्ल्स ने यह टोपी खरीद कर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान को देने की सोची है. फ़ील्ड कहते हैं कि अगर माइकल क्लार्क यह टोपी पहन कर बैटिंग करेंगे तो शर्तिया गेंदबाज़ का ध्यान बंट जाएगा. कुछ भी हो, इस टोपी की तो बात ही निराली है.

तोता-मैना की कहानी...

तोता-मैना की कहानी तो बचपन में सभी ने सुनी होगी, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि तोता और मैना दोनों हमेशा साथ में काम करना पसंद करते हैं. पेरिस में हुए एक शोध के मुताबिक़, कुछ पक्षी अकेले काम करना पसंद करते हैं और कुछ समूह में. शोधकर्ताओं ने पक्षियों को कई काम दिए, ताकि उन्हें देखकर यह समझा जा सके कि पक्षियों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की समझ है या नहीं. एनिमल कॉग्निशन नामक पत्रिका में छपे इस शोध में पाया गया कि स्लेटी रंग के अफ़्रीकी तोते किसी परेशानी का समाधान करने में अपने व्यक्तित्व के विशिष्ट पहलुओं को उभार सकते हैं. इसकी जांच के लिए शोधकर्ताओं ने जो तकनीक अपनाई, वह सबसे पहले समूह में काम करने में चिम्पांज़ी की दक्षता जांचने के लिए इस्तेमाल की गई थी. अब इसी तरीक़े से हाथियों में एक-दूसरे को सहयोग करने की क्षमता जांची जा रही है. वैज्ञानिकों ने जो कार्यप्रणाली तैयार की, उसमें दो तोतों को एक रस्सी एक साथ खींचनी थी, ताकि उससे बंधी तश्तरी उनके नज़दीक आ जाए और वे उस पर रखा खाना खा सकें.

शोधकर्ताओं की प्रमुख डॉ. डालिला बोवे ने बताया, तोते आपस में सहयोग कर सके और समझ गए कि यह काम पूरा करने के लिए उन्हें एक सहयोगी की ज़रूरत है, जिसका उन्होंने इंतज़ार भी किया. सामूहिक कार्य का सिद्धांत समझने की काबिलियत होने से ये अफ़्रीकी तोते जानवरों की एक उच्च श्रेणी का हिस्सा बन जाते हैं. चिम्पांज़ी और हाथी जैसे जानवरों की श्रेणी, जिनमें अन्य जानवरों के मुक़ाबले पहचान करने, फ़ैसले लेने और कारण समझने की ज़्यादा क्षमता होती है. एक अन्य कार्य में एक तोते को एक छज्जे के ऊपर चढ़ना था, ताकि दूसरा तोता तश्तरी खींच पाए. यह भी तोतों ने सामंजस्य बनाकर कर दिखाया. शोध में हिस्सा लेने वाले तोतों के हाव-भाव देखकर शोधकर्ताओं ने कहा कि दिए गए कार्य को हर तोते ने अपने व्यक्तित्व और दूसरे तोतों के साथ अपने रिश्ते के मुताबिक अलग तरीक़े से किया. तो देखा आपने, तोता- मैना की कहानी अभी इतनी भी पुरानी नहीं हुई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): किसी अज्ञात कारण से इस सप्ताह चिंताएं उभर सकती हैं. किसी परिवारीजन की मांग को पूरा करने में आपको कुछ आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ सकता है. कभी-कभी उलझनों के बीच में कोई समस्या अकस्मात सुलझ जाती है. ऐसा ही समय आपके लिए भी आ रहा है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): इस सप्ताह स्वास्थ्य और कारोबार को लेकर आपको कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है. थोड़ा-बहुत प्रयास करना ज़रूरी है. उसके बल पर ही आपको इच्छित सफलता मिल सकती है. शुभचिंतकों एवं मित्रों का सहयोग आपके प्रति बना रहेगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून): अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छापूर्ति के लिए आपको कोई अच्छा मौक़ा मिलने वाला है. यदि आप किसी प्रेमी या रोमांस से जुड़े हैं तो अचानक ही आपकी मुलाकात हो सकती है. अपने कामकाज को छोड़कर आप मौजमस्ती का सहारा ले सकते हैं.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): व्यवसाय से संबंधित प्रयासों को पूरा करने में कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है. यदि आप धैर्य और सब्र से काम लें तो आपके विरोधी और प्रतिद्वंद्वी नरम पड़ सकते हैं. यह सब आपको सजग होकर देखना होगा कि कब सही मौक़ा मिले और कब आप खुद को उनसे बाहर निकाल लाएं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): किसी अटके हुए सरकारी काम को निपटाने में आपकी रुचि बढ़ेगी. कुछ और पैसा कमाने के लिए आप शेयरों या सट्टा बाज़ार का सहारा लेना भी मुनासिब समझेंगे, लेकिन यह सब जोख़िम और अनिश्चितता भरे क़दम हैं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो यह सप्ताह आपके लिए तारीफ हासिल करने योग्य है. आपके वरिष्ठ सहयोगी और अधिकारी आपको कोई पेचीदा काम पूरा करने का मौक़ा दे सकते हैं. आपके लिए ऐसा करना बहुत आसान रास्ता हो सकता है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): कोई काम बिगड़ जाने से उदासी और खिन्नता हो सकती है. जिस बड़े काम को जल्द पूरा करने का आपने इरादा बनाया था, उसकी राह में कई प्रकार की रुकावटें आने से आपका उत्साह भंग हो सकता है. स्वास्थ्य भी कुछ नरम रहेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): किसी घरेलू या सामाजिक काम के लिए इस सप्ताह आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य पूरा करने में आपका योगदान बहुमूल्य साबित हो या फिर किसी अस्वस्थ व्यक्ति की सहायता करना आपके लिए ज़रूरी हो जाए.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): यदि आप किसी सरकारी या ग़ैर सरकारी संस्था से जुड़े हुए काम या फिर अपने घर के रखरखाव के लिए किसी कारगर व्यक्ति को खोज रहे हैं तो उसके लिए सप्ताह मध्य तक इंतज़ार करना होगा. हो सकता है, कोई योग्य व्यक्ति आपकी समस्याओं को एक साथ सुलझाने में मददगार हो जाए.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि हो रही है. रचनात्मक प्रयासों में मनोवांछित सफलता मिलने की उम्मीद है. यदि कहीं आसपास की व्यवसायिक यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए भी सप्ताह मध्य अनुकूल रहेगा. समाज में यश और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ बेहतर काम भी आप करेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): किसी विरोधी या अप्रिय व्यक्ति से मुलाक़ात या झड़प हो जाने से यह सप्ताह आपके लिए नीरस और बेकार साबित न हो जाए. यदि आप अपने आसपास के बिगड़े हुए काम को सुधारने के लिए कुछ समय निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा आप सीधे अपने घर-परिवार का रुख़ करें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): कुछ अच्छे उत्साहवर्द्धक समाचार मिलेंगे. कारोबार में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी तरकीब कुछ आगे बढ़ सकती है. कोई धन लाभ आपको होगा, लेकिन अचानक किसी भारी व्यय का आ जाना भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

पश्चिमी देश ऐसा भी सोचते हैं कि ब्रिक्स संगठन बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं है. ऐसा इसलिए, क्योंकि इसके सदस्य देशों में आपस में ही स्पर्धा और मनमुटाव है.

ब्रिक्स नई दुनिया का नायक बन सकता है

ब्रिक्स देशों के उद्देश्य

- बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का दमन
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार
- डॉलर की सत्ता का अंत
- संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों-अमेरिका की प्रभुसत्ता का अंत

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने पूरे विश्व पर अपनी प्रभुसत्ता लादनी शुरू कर दी थी. वह कामयाब भी हुआ, लेकिन तब विश्व दो ध्रुवीय था. संयुक्त रूस ने अमेरिका को बांधने का बहुत प्रयास किया, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति और रूस के विघटन के बाद से पूरे विश्व पर अमेरिका का एकछत्र राज हो गया. ब्रेटन वुड्स कांफ्रेंस से जन्मे संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक एवं आईएमएफ़ ग़रीब और तीसरे विश्व के देशों पर हावी होते चले गए और नव उदारवाद एवं वैश्वीकरण के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर मानो अमेरिका का क़ब्ज़ा हो गया. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को भी जहां-तहां प्रयोग किया. विश्व की अर्थव्यवस्था अमेरिका और डॉलर की गुलाम बनकर रह गई.

सिद्धार्थ राय

पिछले कुछ दशकों में अमेरिका को इसी तीसरे विश्व के देशों ने चुनौती देने का काम किया है. इन देशों की बड़ी आबादी इनका अभिशाप न रहकर इनकी शक्ति बन गई और उसी वैश्वीकरण ने, जिसने अमेरिका को चोटी पर पहुंचाया था, इन देशों को वह दिया, जिसकी तलाश पश्चिमी देशों को थी, मार्केट या बाज़ार. साथ ही आर्थिक विकास के चलते यह देश विश्व के कारखाने बनकर उभर गए और अपने अंतरराष्ट्रीय दोहन के विरुद्ध लामबंद होने लगे. तीसरे विश्व के सबसे अग्रणी देशों का ऐसा ही संगठन है ब्रिक्स (ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रूस और दक्षिण अफ्रीका), जिसका तीसरा शिखर सम्मेलन चीन के सान्य शहर में संपन्न हुआ. ब्रिक्स इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसी बार से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना है. ब्रिक्स देशों की इस लामबंदी का मुख्य कारण हैं अमेरिका की एकतरफा और भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतियां, क्योंकि ये देश भी अब बाक़ी पश्चिमी देशों की विकास दर के नज़दीक पहुंच गए हैं, इसलिए इनमें और पश्चिमी देशों के बीच टकराव तो इतिहास की कारणता में ही निहित है.

इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका पर केंद्रित था. पिछले कई वर्षों से चीन और भारत अफ्रीकी बाज़ार में बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं. ज़ाहिर सी बात है कि चीन इस दौड़ में कहीं आगे है, लेकिन भारत भी इस विषय को गंभीरता से ले रहा है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि अफ्रीकी देश ग़रीब ज़रूर हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वहां प्राकृतिक संपदा का अभाव है, बल्कि इसलिए, क्योंकि वहां राजनीतिक अस्थिरता और ग़रीबी के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का मूल ढांचा ही नहीं है. सही बात तो यह है कि खनिज संपदा में अफ्रीका की कोई सानी ही नहीं है. इस बार दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने पर पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने यह आशंका जताई कि शायद दक्षिण अफ्रीका ब्रिक सदस्यता के लायक़ ही नहीं है. ऐसा इसलिए कहा गया, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत कम है और इसकी अर्थव्यवस्था भी रूस, जो इस संगठन का आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर सदस्य है, की अर्थव्यवस्था की सिर्फ एक चौथाई ही है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना ब्रिक देशों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है. ऐसा इसलिए, क्योंकि यह पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे संगठित और अग्रणी अर्थव्यवस्था है और अफ्रीकी देशों का नया नेता भी. इस वजह से दक्षिण अफ्रीका पूरे अफ्रीका की चाबी के रूप में देखा जा सकता है. इसी कारण चीन ने अफ्रीका में 2005 तक 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया. 2005 से 2010 के बीच चीन ने सब सहारा अफ्रीका में 43.6 बिलियन डॉलर और मध्य एवं उत्तरी अफ्रीका में 52.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया. चीन का यह विश्व में सबसे बड़ा निवेश है.

पश्चिमी देश ऐसा भी सोचते हैं कि ब्रिक्स संगठन बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं है. ऐसा इसलिए, क्योंकि इसके सदस्य देशों में आपस में ही स्पर्धा और मनमुटाव है. ये देश प्राकृतिक मित्र नहीं हैं और इनमें आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मतभेद भी हैं. एक चीन है, जिसके साथ बाक़ी के देश संबंध साधने पर जुटे हैं और एक-दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं. चीन एवं भारत के बीच और चीन एवं रूस के बीच सीमा विवाद है, जो समय-समय पर बहुत जटिल हो जाता है. ब्राज़ील विश्व के दूसरे छोर पर है और शेष सभी सदस्यों से अधिक पश्चिमी सभ्यता वाला है. इन देशों के बीच असहमति इस बात से देखने को मिलती है कि पिछले सत्र में, जो ब्राज़ील में हुआ था, चीन ने सदस्यों को अपनी मुद्रा के बारे में विचार करने से मना कर दिया था. दक्षिण अफ्रीका को भले ही सम्मिलित कर लिया गया हो, लेकिन लीबिया की बात पर दक्षिण अफ्रीका ने नाटो का साथ देते हुए नो फ्लाई जोन की हिमायत की थी, जबकि बाक़ी सभी सदस्य देशों ने इसका खुला विरोध जताते हुए जर्मनी के साथ वोटिंग में भाग नहीं लिया था.

वैसे यह संगठन पश्चिमी देशों और अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका है. ओबामा के पिछले भाषण देखे जाएं तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये देश अमेरिका के कारोबार और रोज़गार को खा रहे हैं, क्योंकि इन देशों में मेहनताने की दर कम है. वहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका अब फोर्ड मॉडल की अर्थव्यवस्था से निकल कर गूगल और एंड्रोयड मॉडल पर चला गया है, जहां भले ही ये फोन एप्लीकेशन सस्ते देशों में बनते हैं, लेकिन ब्रैंड अमेरिकी ही रहता है और अमेरिका को बड़ी आमदनी होती है. साथ ही इन देशों के बड़े और बढ़ते हुए संपन्न बाज़ार अमेरिका के लिए नित नए आयाम पेश कर रहे हैं. संपन्नता आने पर अमेरिका में इन देशों की कंपनियों ने निवेश भी किया है. सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में रोज़गार छीने वहां के फ़र्ज़ी बैंकों ने, जो मंदी का कारण बने और शिकार भी.

अमेरिकी प्रभुसत्ता को चुनौती देने में ये देश पीछे नहीं रहते हैं. यह चुनौती असल में अमेरिका को नहीं है, बल्कि अनुचित और एकतरफा आर्थिक व्यवस्था को है. इन देशों ने कसम खाई है कि डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रुतबे से उतारा जाए. इसी कारण इन देशों ने आपस में सभी आर्थिक मसौदों को अपनी ही मुद्राओं के संदर्भ में पारित किया है. साथ ही जी-20 को सहयोग और आईएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) एवं संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को देखते हुए भारी बदलावों की मांग की है, ताकि पश्चिमी देशों की प्रभुसत्ता को कम किया जाए और सभी को समान दर्जा मिले. बदलाव की बयार बह निकली है और अब शायद अमेरिकी नियंत्रण और एक ध्रुवीय विश्व जल्द ही इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे.

siddhartha@chauthiduniya.com

पहली सालाना ब्रिक्स सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट

- 21वीं शताब्दी के पहले दशक में ब्रिक्स देशों की औसत सालाना विकास दर 8 फ़ीसदी (जबकि विकसित देशों के लिए यह दर रही 2.6 फ़ीसदी).
- ब्रिक्स देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा 2009 में 24.2 फ़ीसदी (जबकि 2001 में यह था 17.7 फ़ीसदी).
- विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों द्वारा जोड़ी गई संपत्ति 2011 में 70 फ़ीसदी (जबकि 1990 के दशक में यह न के बराबर था).

ब्रिक बनाम अमेरिका

- ब्रिक देशों (दक्षिण अफ्रीका को हटाकर) द्वारा 2015 में विश्व के सकल उत्पादन का प्रतिशत होगा 21.6 फ़ीसदी (जो अभी 14 फ़ीसदी है). आज अमेरिका की विश्व अर्थव्यवस्था में भागीदारी है 25 फ़ीसदी, जो 2015 में गिरकर होगी 22 फ़ीसदी.
- ब्रिक देशों की विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 2015 में होगी 20.1 फ़ीसदी (आज है 12.4 फ़ीसदी). अमेरिका की रहेगी आज के बराबर ही यानी 9.6 फ़ीसदी.
- ब्रिक देशों की विश्व आयात में हिस्सेदारी 2015 में होगी 18 फ़ीसदी (आज है 11 फ़ीसदी). अमेरिका की हिस्सेदारी गिरकर होगी 12 फ़ीसदी (आज है 14 फ़ीसदी).

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

बाबा की शोभायात्रा देखकर गुजराती सेठ चकित रह गए. वह बाबा के पीछे-पीछे चलते हुए अन्य भक्तों के साथ चलते हुए बाबा की धूनी तक आ गए.

बाबा की परीक्षा और ब्रह्म ज्ञान

साई बाबा की प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक फैल गई थी. शिरडी से बाहर के लोग भी उनके चमत्कार के विषय में जानकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके. वह साई बाबा के चमत्कारों के बारे में जानकर श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते थे. एक पंडित जी को छोड़कर शिरडी में उनका दूसरा कोई विरोधी और उनके प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखने वाला न था. बाबा के पास हर समय भक्तों का जमघट लगा रहता था. वह अपने भक्तों को सभी से प्रेम करने के लिए कहते थे. इतनी प्रसिद्धि फैल जाने के बाद भी बाबा का जीवन अब भी पहले जैसा ही था. वह भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरते थे. श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा से जो कुछ दे जाते थे, उनके शिष्य उसका उपयोग मस्जिद बनाने और ग़रीबों की सहायता के लिए करते थे. मस्जिद के एक कोने में बाबा की धूनी सदा रमी रहती थी, उसमें हमेशा आग जलती रहती थी और बाबा धूनी के पास बैठे रहते थे. बाबा ज़मीन पर सोते थे. वह सदैव कुर्ता-धोती पहनते और सिर पर अंगौछा बांधे रहते थे तथा नंगे पैर रहते थे. यही उनकी वेशभूषा थी.

अहमदाबाद में एक गुजराती सेठ थे. उनके पास बहुत सारी धन-संपत्ति थी. सभी तरह से वह संपन्न थे. बाबा की प्रसिद्धि सुनकर उनके मन में भी उनसे मिलने की इच्छा पैदा हुई. इसके पीछे उनके दिल में एक ही मंशा थी. वह मन ही मन सोचते कि सांसारिक सुखों की तो सभी वस्तुएं मेरे पास मौजूद हैं, क्यों न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाए, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो. वह अपना परलोक सुधार लेना चाहते थे, इसलिए बाबा से मिलने को अत्यंत उत्सुक थे. इसी दौरान एक साधु उनके पास आए. वह भी बाबा के भक्त थे. उन्होंने भी उस सेठ को बाबा के बारे में बताया, जिसे सुनकर बाबा से मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई. सेठ जी ने बाबा से मिलने का निश्चय किया और शिरडी के लिए रवाना हो गए. जिस दिन वह शिरडी आए, उस दिन वृहस्पतिवार था यानी बाबा के प्रसाद का दिन. सेठ की सवारी जब द्वारिकामाई मस्जिद के पास आकर रुकी, उस समय वहां पर अपार भीड़ एकत्र थी.

वृहस्पतिवार को शिरडी गांव के ही नहीं, बल्कि दूर-दूर के लोग भी बाबा की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए द्वारिकामाई मस्जिद आते थे. बाबा की शोभायात्रा निकाली जाती थी, जो द्वारिकामाई मस्जिद से चावड़ी तक जाती थी. बाबा के भक्त झांझ, मदृंग, ढोल एवं मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाते, भक्ति गीत और कीर्तन गाते हुए सबसे आगे-आगे चलते थे. शोभायात्रा में महिलाएं भी बड़ी संख्या में होती थीं. उनके पीछे दर्जनों सजी हुई पालकियां होती थीं और सबसे आख़िर में विशेष रूप से सजी हुई एक पालकी होती थी, जिसमें बाबा बैठते थे. बाबा के शिष्य पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चलते थे. पालकी के दोनों ओर जलती हुई मशालें लेकर मशालची चला करते थे. जुलूस के आगे-आगे आतिशबाज़ी छोड़ी जाती थी. सारा गांव बाबा की जय-जयकार, भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो उठता था. चावड़ी तक यह जुलूस जाकर फिर इसी तरह द्वारिकामाई मस्जिद की ओर लौट आता था. जब पालकी मस्जिद के सामने पहुंच जाती थी तो मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा शिष्य बाबा के आगमन की घोषणा करता था. बाबा के सिर पर छत्र तान दिया जाता था. मस्जिद की सीढ़ियों पर दोनों ओर खड़े लोग चंवर डुलाने लगते थे. रास्ते में फूल, गुलाल और कुमकुम आदि बरसाए जाते थे. बाबा हाथ उठाकर वहां एकत्र भीड़ को अपना आशीर्वाद देते हुए धीरे-धीरे चलते हुए अपनी धूनी पर पहुंच जाते थे. सारे रास्ते भर साई बाबा की जय का नारा गूंजा करता था. जुलूस के दिन शिरडी की शोभा देखते ही बनती थी. हिंदू-मुसलमान सभी मिलकर साई बाबा का गुणगान करते थे. बाबा की शोभायात्रा देखकर गुजराती सेठ चकित रह गए. वह बाबा के पीछे-पीछे चलते हुए अन्य भक्तों के साथ चलते हुए बाबा की धूनी तक आ गए. उन्होंने बाबा के चेहरे की ओर देखा, कुछ देर पहले ही बाबा का जुलूस राजसी शानो-शौकत से निकाला गया था, लेकिन बाबा के चेहरे पर किसी प्रकार के अहंकार या गर्व की झलक तक नहीं थी. उनके चेहरे पर सदा की तरह शिशु जैसा भोलापन छाया हुआ था. गुजराती सेठ बाबा के चरणों में झुक गए. बाबा ने उन्हें बड़े स्नेह से उठाकर अपने पास बैठा लिया. गुजराती सेठ ने हाथ जोड़कर कातर स्वर में कहा, बाबा, परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है. धन-संपत्ति, जायदाद एवं संतान सब कुछ है. संसार के सभी सुख मुझे प्राप्त हैं. आपके आशीर्वाद से मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं है. सेठ की बात सुनने के बाद बाबा ने हंसते हुए कहा, फिर आप मेरे पास क्या लेने आए हैं?

सेठ जी ने कहा, बाबा, मेरा मन सांसारिक सुखों से ऊब गया है. मैंने धनोपार्जन करके अपने इस लोक को सुखी बना लिया है. अब मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अपना परलोक भी सुधार लेना चाहता हूं. यह सुनकर बाबा बोले कि सेठ जी, आपके विचार बहुत सुंदर हैं. मेरे पास जो कोई भी आता है, मैं यथासंभव उसकी मदद करता हूं. बाबा की बात सुनकर सेठ को अत्यंत प्रसन्नता हुई. उन्हें विश्वास हो चला था कि बाबा अवश्य ही ज्ञान प्रदान करेंगे. वहां का वातावरण देखकर वह प्रसन्न हो गए थे. गुजराती सेठ बेफिक्र हो गए थे. उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा. अचानक बाबा ने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बोले कि एक छोटा सा काम कर दो. अभी जाकर सेठ से सौ रुपये मांग लाओ. वह शिष्य हैरानी से बाबा के मुख की ओर देखता रह गया कि बाबा को शिरडी में आए इतने वर्ष बीत गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी पैसे को हाथ भी नहीं लगाया था. भक्त और शिष्य उन्हें जो कुछ भेंट दे जाते थे, वह सब उनके दूसरे प्रमुख शिष्यों के पास ही रहता था. उनके आसन के नीचे पांच-दस रुपये अवश्य रख दिए जाते थे. वह इसलिए कि यदि बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्त को कुछ देना चाहें तो दे सकें. बाबा जब कभी-कभार किसी भक्त पर प्रसन्न होते थे तो अपने आसन के नीचे से निकाल कर दो-चार रुपये उसे दे देते. आज बाबा को अचानक इतने रुपयों की क्या आवश्यकता पड़ गई? शिष्य इसी सोच में डूबा हुआ धनजी सेठ के पास चला गया.

कुछ देर बाद उसने लौटकर बताया कि धनजी सेठ तो पिछले दो दिनों से बंबई (मुंबई) गए हुए हैं.

कोई बात नहीं, तुम बड़े भाई के पास चले जाओ, वह तुम्हें सौ रुपये दे देंगे. हैरान-परेशान सा वह शिष्य फिर से चला गया. तभी वृहस्पतिवार को होने सामूहिक भोजन का कार्यक्रम शुरू हो गया. उस दिन जितने भी लोग शोभायात्रा में शामिल होते थे, वे सभी मस्जिद में ही खाना खाते थे जाति-पांत, ऊंच-नीच और छुआछूत की भावना का त्याग करके सभी लोग एक साथ बैठकर बाबा के भंडारे का प्रसाद पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते थे. बाबा ने उस गुजराती सेठ से कहा, सेठ जी, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए. मैं तो भोजन कर चुका हूं बाबा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है. आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे लिए यही आपका सबसे बड़ा प्रसाद होगा, सेठ ने हाथ जोड़कर कहा. तभी शिष्य सेठ की दुकान से वापस लौट आया. उसने बताया कि सेठ का भाई भी अपने किसी संबंधी के यहां गया हुआ है. दो-तीन दिनों बाद लौटेगा. कोई बात नहीं, तुम जाओ, बाबा ने एक लंबी सांस लेकर कहा. शिष्य की परेशानी की कोई सीमा न थी. उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा को अचानक इतने रुपयों की क्या आवश्यकता पड़ गई? साई बाबा उठकर मस्जिद के चबूतरे के पास चले गए, जहां शोभायात्रा से आए हुए लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे. बाबा चबूतरे के पास ही एक टूटी दीवार पर जा बैठे और अपने शिष्यों एवं भक्तों को देखने लगे. इस समय उनके चेहरे पर ठीक वैसी ही प्रसन्नता के भाव थे, जैसे किसी पिता के चेहरे पर उस समय होते हैं, जब वह अपनी संतान को भोजन करते हुए देखता है. गुजराती सेठ साई बाबा के पास खड़े होकर कार्यक्रम देखते रहे. कुछ देर बाद जब बाबा अपने आसन पर आकर बैठ गए तो गुजराती सेठ ने फिर से अपनी प्रार्थना दोहराई. बाबा इस बार खिलखिला कर हंस पड़े. उन्होंने गुजराती सेठ की ओर देखते हुए पूछा, सेठ जी, क्या आपने यह सोचा है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं भी अथवा नहीं?

मैं कुछ समझा नहीं, सेठ जी बोले. देखो सेठ जी, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वह व्यक्ति होता है, जिसके मन में कोई मोह न हो, सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए लालसा न हो, त्याग की भावना हो और जो संसार के प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कीट-पतंग, अपने समान समझ कर समान भाव से प्यार करता हो.

आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुजराती सेठ बोले. नहीं सेठ, तुम झूठ बोलते हो. तुम्हारे मन में सारी बुराइयां अभी भी मौजूद हैं. यदि तुम्हारे मन में धन के प्रति आसक्ति न होती और त्याग की भावना होती तो जब मैंने अपने शिष्य को दो बार रुपये लाने के लिए भेजा था और वह दोनों बार खाली हाथ लौट आया था, तब तुम अपनी जेब से भी निकाल कर रुपये दे सकते थे. जबकि तुम्हारी जेब में सौ-सौ के नोट रखे हुए थे, पर तुमने यह सोचा कि मैं सौ रुपये बाबा को मुफ्त में क्यों दूं? मैंने तुमसे भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा तो तुमने प्रसाद ग्रहण करने से तुरंत इंकार कर दिया, क्योंकि वहां सभी जातियों- धर्मों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे. इसलिए तुम किसी भी दशा में ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो. जिस व्यक्ति के मन में लोभ नहीं होता है, जिसकी दृष्टि में समभाव होता है, उसे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है. तुम ज्ञान पाने के अधिकारी तभी हो सकते हो, जब तुम्हारे अंदर ये बातें पैदा हो जाएंगी. गुजराती सेठ को ऐसा लगा, जैसे बाबा ने उनकी आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया हो. उनका चेहरा उतर गया. बाबा ने सेठ को वापस चले जाने के लिए कह दिया. वह चुपचाप उठे और बाबा के चरण स्पर्श करके वापस चल दिए. उनके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था. तब बाबा के शिष्य को समझ में आया कि बाबा के हर आदेश के पीछे कोई न कोई महिमा ज़रूर छिपी होती है.

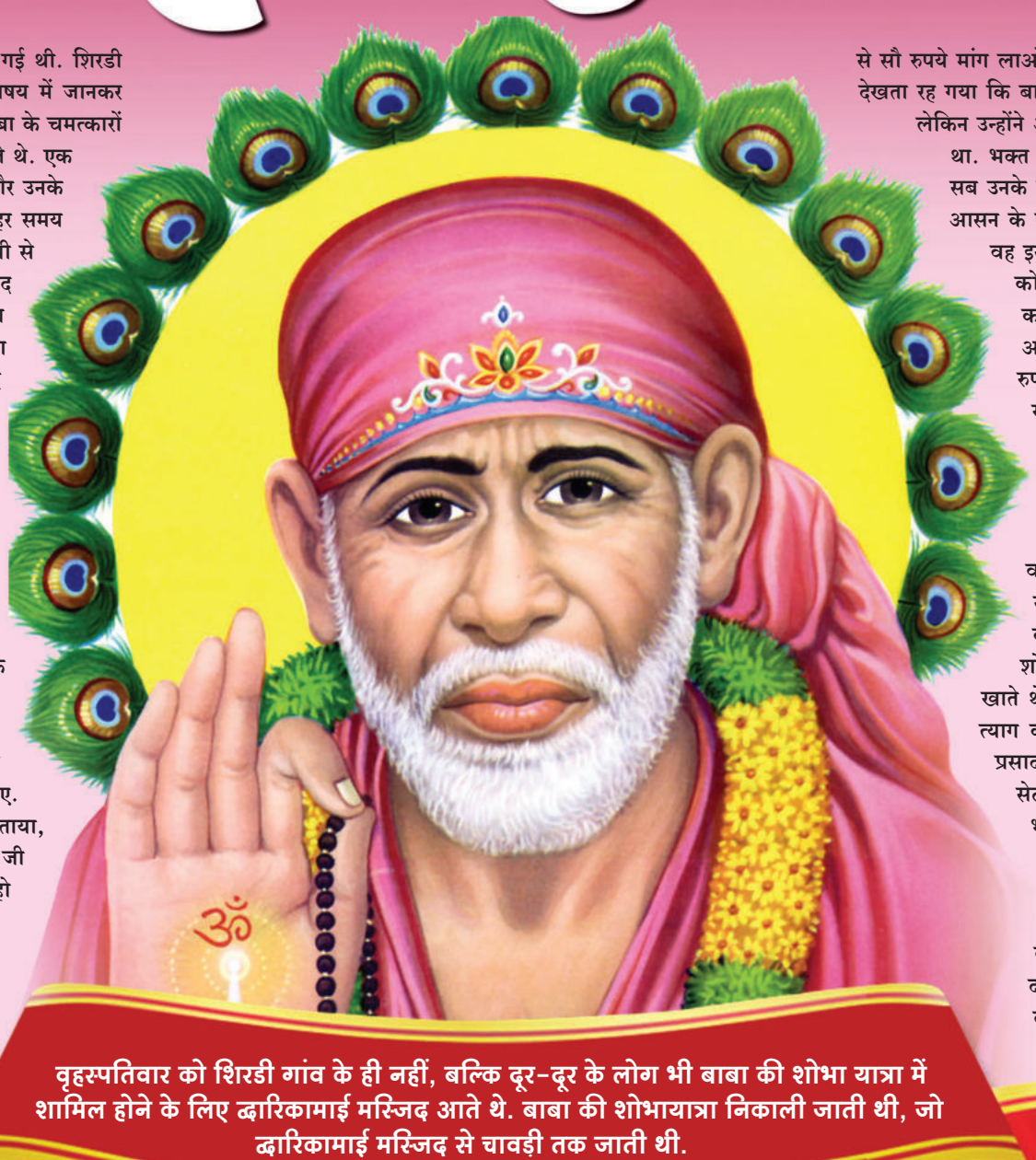

वृहस्पतिवार को शिरडी गांव के ही नहीं, बल्कि दूर-दूर के लोग भी बाबा की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए द्वारिकामाई मस्जिद आते थे. बाबा की शोभायात्रा निकाली जाती थी, जो द्वारिकामाई मस्जिद से चावड़ी तक जाती थी.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

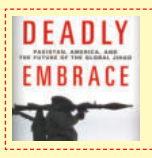

बूस रीड्ल की यह किताब भारत के लिए अहम है, क्योंकि इसमें भारत के रुख़ का समर्थन है.

अनंत विजय

आतंक का चक्रव्यूह

दो मई की सुबह दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराए जाने के बाद यह बात साफ हो गई कि पाकिस्तान में आतंकियों को लंबे समय से पनाह मिल रही है. लादेन की मौत के साथ ही आतंक का पाकिस्तान कनेक्शन एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हो गया. यह भी साफ हो गया कि लादेन एबटाबाद में पिछले पांच सालों से सिर छुपाकर रह रहा था और पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंक के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी कर रहा था. दरअसल जब भी अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी लादेन के क़रीब पहुंचती, पाकिस्तान की बदनाम ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई को उसकी लोकेशन के बारे में बताती, यह जानकारी लीक होकर लादेन के पास पहुंच जाती और वह जगह बदल लेता. इससे सतर्क होकर इस बार अमेरिका ने नई चाल चली और बिना पाकिस्तान को बताए उसके ही घर में घुसकर ओसामा को मार गिराया.

पाकिस्तान में लादेन के मारे जाने के बाद अगर हम कई ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़ें तो उस मुल्क की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर बनती है. जिस आतंक के आका लादेन को पाकिस्तान ने अपनी सरजमीं पर पनाह दी, वह वहीं मारा गया. बेनज़ीर भुट्टो, जिनके प्रधानमंत्रित्वकाल में तालिबान और अन्य कट्टरपंथी संगठन फले–फूले, वही उनकी मौत की वजह बने. पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने जिस मोहाजिर परवेज़ मुशर्रफ़ को कमज़ोर समझ कर सेना की कमान सौंपी, उसी मुशर्रफ़ ने नवाज़ शरीफ का तख्ता पलट कर दिया. जिस परवेज मुशर्रफ़ ने खूंखार आतंकवादी इलियास कश्मीरी को सम्मानित किया, उसी के संगठन ने मुशर्रफ़ को जान से मारने की नाकाम साजिश रची. और तो और, जिस अमेरिका ने अपनी ख़ुफ़िया एजेंसी के माध्यम से अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत रूस की लाल सेना को परास्त करने के लिए ओसामा बिन लादेन को आईएसआई की मदद से खड़ा किया, उसी ने अमेरिका में घुसकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नेस्तनाबूद कर दिया.

इन बातों को ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में सिलसिलेवार और विस्तार देते हुए सीआईए के पूर्व अफसर ब्रूस रीड्ल ने अपनी नई किताब डेडली एमबैरेस–पाकिस्तान, अमेरिका एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल जेहाद में दुनिया के सामने पेश किया है. ब्रूस रीड्ल अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए के बड़े अधिकारी रहे हैं. उन्हें वहां के चार राष्ट्रपतियों के साथ काम करने का मौक़ा मिला. व्हाइट हाउस से कार्यमुक्त होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ब्रूस ने ओबामा को कई मुद्दों पर अहम सलाह दी और उनकी कोर टीम का हिस्सा रहे. इस किताब में ब्रूस ने इस बात की पड़ताल की है कि किन वजहों से अमेरिकी शासकों ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारों को अहमियत नहीं दी और सैन्य तानाशाहों को बढ़ावा दिया. साथ ही उन वजहों पर भी रोशनी डाली गई है कि किन कारणों से अमेरिका ने इस्लामी कट्टरपंथियों को पर्दे के पीछे से हर तरह की मदद की. इससे भी अहम बात जो इस किताब में सामने आती है, वह यह है कि ब्रूस ने जोर देकर इस बात को साबित किया है कि पाकिस्तान आतंक का अगुवा बन चुका है और मानवता के दुश्मनों को वहां पनाह मिलती है.

ग्लोबल जेहाद को ब्रूस रीड्ल ने फिलिस्तीन के अब्दुल्ला यूसुफ मुस्तफा आजम के दिमाग़ की उपज बताया है. अब्दुल्ला यूसुफ मुस्तफा आजम के बारे में माना जाता है कि उसने ही ओसामा बिन लादेन को ग्लोबल जेहाद के लिए उकसाया और तैयार

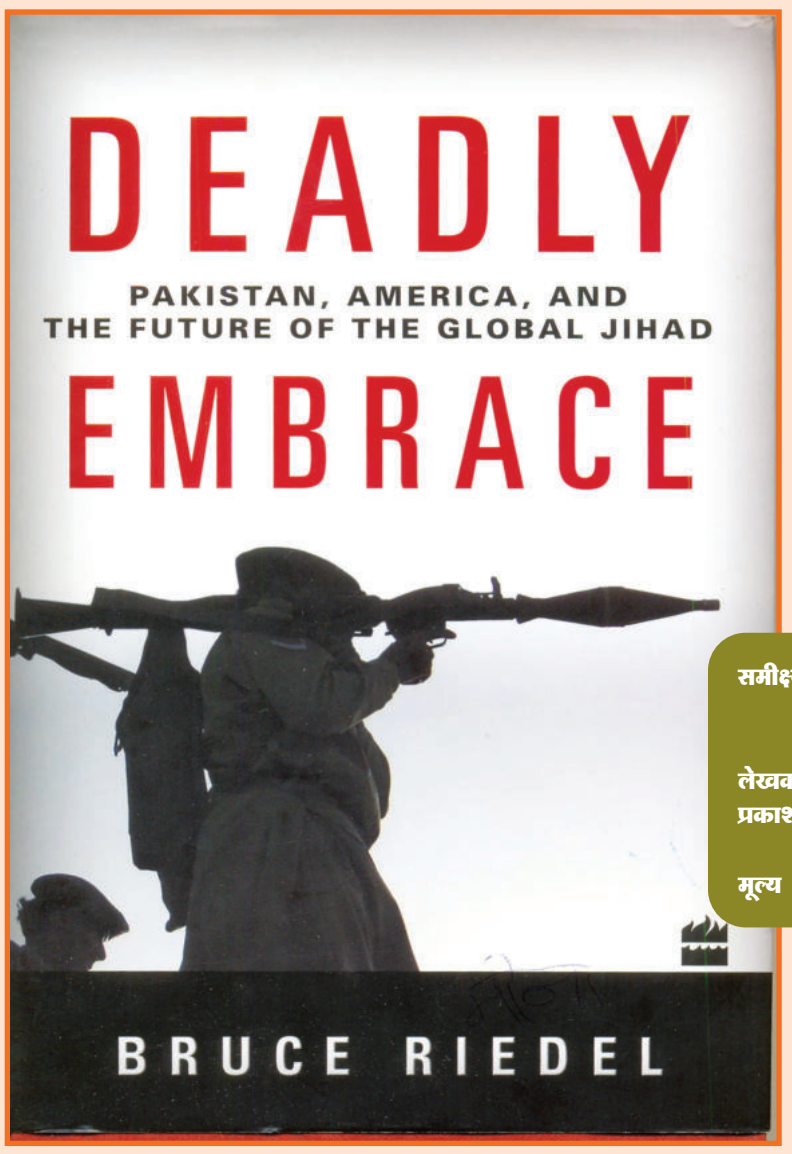

किया. ओसामा ने जब जेहाद की शुरुआत की तो उसे सबसे सुरक्षित राष्ट्र पाकिस्तान ही लगा. ओसामा ने पाकिस्तान में सक्रिय पाकिस्तानी तालिबान और लश्कर–ए–तैयबा से हाथ मिला लिया. ब्रूस के मुताबिक़, दुनिया भर के आतंकी संगठनों के मुख्यालय या तो पाकिस्तान में हैं या फिर खूंखार दहशतगर्द वहां शरण लिए बैठे हैं.

ब्रूस ने अपनी इस किताब में पाकिस्तान के एक राष्ट्र बनने से शुरुआत की है. उन्होंने यह ऐतिहासिक तथ्य दोहराया है कि पाकिस्तान का आइडिया 1930 में कैम नदी के किनारे कैंब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे चौधरी रहमत अली का था, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बड़े पैरोकार के तौर पर उभरे और पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें बाबा–ए–कॉम (फादर ऑफ द नेशन) या कायदे आजम (द ग्रेट लीडर) का दर्जा हासिल हुआ. जिन्ना के मशहूर जीवनीकार स्टेनले वोलपर्ट ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए बताया था कि उन्होंने धर्म के नाम पर राष्ट्र का निर्माण किया, लेकिन वह क़रीब–क़रीब नास्तिक थे. वह जमकर शराब पीते थे, दिन भर में पचासों सिगरेट फूंक डालते थे और शान–ओ–शौकत की ज़िंदगी बसर करते थे. पाकिस्तान बनाने की मुहिम में जिन्ना को चुनाव हार चुके विंस्टन चर्चिल का ज़बरदस्त समर्थन हासिल था. हिंदुस्तान को आज़ादी न देने के पक्ष में रहे चर्चिल ने चुनाव हारने के बाद यह मंसूबा पाला था कि अगर भारत को आज़ादी मिलती है तो उसका बंटवारा भी हो. ब्रूस कहते हैं कि अगर जिन्ना पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन थे तो चर्चिल अंकल ऑफ द नेशन.

ब्रूस रीड्ल की यह किताब भारत के लिए अहम है, क्योंकि इसमें भारत के रुख़ का समर्थन है. पिछले तक़रीबन बीस सालों से भारत आतंकवाद को लेकर जो भी आरोप पाकिस्तान पर लगा रहा है, वह इस किताब में प्रमाणिक रूप से सामने आता है. प्रमाणिक इस वजह से, क्योंकि पुस्तक के लेखक पिछले दो–तीन दशकों से अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े रहे हैं. इस किताब में कई तथ्य और सबूत इस बात की चीख–चीखकर गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान सालों से भारत में जारी आतंकवादी गतिविधियों को न सिर्फ़ हवा दे रहा है, बल्कि उसकी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई सक्रिय तौर पर परोक्ष रूप से समर्थन भी दे रही है. इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात इस किताब में सामने आती है, वह यह कि पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों से अमेरिका पूरी तरह से अवगत था. अपनी इस किताब में ब्रूस ने तथ्यों और कूटनीतिक चालों के आधार पर पूरे तौर पर यह साबित कर दिया है कि इस वक़्त जेहाद एक वैश्विक समस्या है, जिसका केंद्र पाकिस्तान में है. इस वैश्विक जेहाद का भविष्य पाकिस्तान और उसके रुख़ से जुड़ा है. इस वैश्विक जेहाद पर काबू करने में न केवल पाकिस्तान, बल्कि अमेरिका की भी अहम भूमिका है. अमेरिका की भूमिका इस वजह से है कि उसे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी सरकार को सैन्य और आर्थिक हर तरह का समर्थन देना होगा. इस समर्थन का नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता आएगी और सरकारें बेख़ौफ़ होकर आतंकवाद पर काबू पाने की दिशा में क़दम उठा सकेंगी. यह न सिर्फ़ पाकिस्तान के हित में होगा, बल्कि अमेरिका और अन्य देशों का भी भला होगा.

समीक्ष्य पुस्तक – डेडली एमबैरेस : पाकिस्तान, अमेरिका एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल जेहाद
लेखक – ब्रूस रीड्ल
प्रकाशक – हॉर्पर कॉलिंस, ए– 53, सेक्टर–57, नोएडा, उत्तर प्रदेश.
मूल्य – 499 रुपये

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

मन की शक्ति का राज कैसे जानें

कनुप्रिया

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. यह बात कब से सुनते आ रहे हैं और हर बार सोचते हैं कि यह किसी और के लिए है, हमारा मन तो हमारे वश में नहीं. लेकिन ज़रा सोचें, मन किसके वश में है? मन कहां जाता है, जहां उसे ख़ुशी मिलती है, जहां उसे आज़ादी मिलती है. एक चंचल बच्चे की तरह जितना रोकते हैं, उतना ही उधर भागता है और उसी ज़िद्दी बच्चे की तरह, एक बार ज़िद पकड़ ले तो जब तक पूरी न हो जाए, मानता नहीं. वह रोता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है या फिर रुठ जाता है. ऐसे में जब बच्चा ज़िद में है, तब कुछ नहीं कर सकते और उसकी ज़िद मान लेते हैं. लेकिन जब ठीक हो, तब उसे समझाते हैं कि सही क्या है और ग़लत क्या. उसी तरह ज़रूरत है मन को हर पल समझाने की. जब शांति है, उथलपुथल नहीं, तब मन से बात करो और समझाओ कि उस बार जब ज़िद पकड़ी थी तो कितनी परेशानी हुई थी और फिर पछताए भी थे. लेकिन अब पहले से ही समझना है कि ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करना है. मन को

समझने–समझाने की यही कोशिश मेरे साथ. मन की उलझनें खोलें, मन की बात करें, साथ मिलकर निकालेंगे जवाब...

आपके सवाल और हमारे जवाब

■ *मेरे पति एक अच्छी जगह नौकरी करते हैं. हमारी एक बेटी भी है. मैं अध्यापिका हूं. हमने प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब 6 महीने से देख रही हूं कि पति और मुझमें दूरियां हैं. शक है कि उनकी सेकेट्री के साथ उनका अफेयर है. मेरी सहेली एक तांत्रिक के पास लेकर गई थी. उसने कहा कि उन पर वशीकरण किया गया है और वह मुझसे दूर हो जाएंगे. क्या करूं?*

–सविता, बिहार.

मैं आपका दर्द समझ सकती हूं, लेकिन यहां बता दूं कि यह आज घर–घर की कहानी बन गई है. वजह आपस में प्रेम की कमी नहीं, बल्कि बातचीत और विश्वास की कमी है. हो सकता है, आप जो सोच रही हैं, वह सही हो या फिर ग़लत. सबसे पहले ख़ुद से पूछें कि आप करना क्या चाहती हैं. पति के साथ रिश्ता रखना चाहती हैं या नहीं. अगर हां तो तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो, चाहे उनके अफेयर भी हों, तब भी आपको इस रिश्ते में रहना है. यह आप तय करेंगी. अब यह समझें कि कोई भी तंत्र हमारे मन की ऊर्जा पर ही सबसे पहले काम करता है तो अगर कुछ ऐसा है भी तो आप दोनों के मन की कमज़ोरी या मनमुटाव रहे होंगे. पहले उन्हें याद करें और आज की समस्या से पहले पति के साथ उस समस्या का समाधान ढूंढे. आज जो मुश्किल आई है, उसे सुलझाने के लिए पिछले, चाहे वे आपकी ससुराल या किसी और वजह के झगड़े होंगे, उन्हें सुलझाना ज़रूरी है. ख़ुद को हालात का शिकार न समझें. किसी भी दूसरे व्यक्ति, चाहे वह आपकी दोस्त, बहन, मां या सहयोगी हो, उनसे सलाह लेना बंद करें. ख़ुद में विश्वास रखें और पति को प्रेम दें, उनसे नफरत या नाराज़गी न करें. उस लड़की के बारे में कोई भी बात न सोचें, न करें. पिछले दिनों जिस बात को लेकर झगड़े थे, उसे सुलझाएं. अगर लगे कि आपकी ग़लती थी तो माफी मांग लें और पति को बिना शर्तें रखे स्वीकार करें. ख़ुद को प्रेम दें. मन से शक, भय और नफरत नामक शब्दों को निकाल दें. 15 दिन भी अगर आप यह कर पाईं तो आपके पति आपके पास हमेशा के लिए लौट आएंगे, केवल ख़ुद पर विश्वास बनाए रखें.

■ *मैं 40 साल का हूं और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता हूं. मेरे दो बच्चे हैं और पत्नी सामान्य गृहिणी. मुझे हमेशा लगता है, मैं जीवन में ज़लील ही हुआ हूं. पहले पिता ने ज़लील किया. मैं शुरू से दुबला–पतला और कम बोलने वाला रहा. पिता की मार खाता रहा. नौकरी में भी हमेशा तरक्की दूसरों की हो जाती, मेरी नहीं. पत्नी और बच्चों को भी ख़ुशियां नहीं दे पा रहा. सोचता हूं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है और इसे ख़त्म करना चाहता हूं. बच्चों के बारे में सोचकर रुक जाता हूं. डरता हूं, मेरे बाद इनका क्या होगा.*

–विजय, मुज़फ़्फर नगर, उत्तर प्रदेश.

सबसे पहले यह ग़लतफहमी दूर करें कि कोई और हमारे जीवन की घटनाएं तय करता है. यह बिल्कुल ग़लत है. हम ख़ुद अपने जीवन की घटनाएं तय करते हैं. जन्म से पहले अपने मां–बाप का चुनाव भी हम करते हैं, क्योंकि इस जन्म में हमें जो सीखना है, वह हम उनसे सीखते हैं. रही क़िस्मत की बात कि क्यों हम दु:ख ही पाते हैं, क्योंकि कहीं सोच की गहराई में आपने तय कर लिया है कि आपको जीवन में दु:ख ही मिलना है और आप इसी लायक़ हैं. सबसे पहले आप कुछ चीज़ें नियम से अगले 15 दिनों तक करें. एक डायरी लें, उसमें दो कॉलम बनाएं, एक तरफ़ लिखें अपनी सारी ख़ूबियां, सारी का मतलब सारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी. छोटी में किसी को प्यार करना या सलाह देना शामिल है. दूसरी तरफ़ अपनी सारी बुराइयां–कमज़ोरियां लिखें. यक़ीन मानिए उसकी लिस्ट बहुत बड़ी होगी. अब बुराइयों की लिस्ट को फाड़ दें और आग में जला दें और ख़ुद से कहें कि ये कमज़ोरियां आज से ख़त्म. अब यह डायरी पूरे दिन अपने साथ रखें. जब भी कुछ अच्छा काम करें या अपनी ख़ूबी याद आए, उसे डायरी में लिख लें. रात को सोने से पहले इन सभी ख़ूबियों को पढ़ें और सो जाएं. अगले दिन सुबह उठकर उसी निश्चित समय पर अपनी अच्छाइयों और बुराइयों की लिस्ट एक बार फिर बनाइए और बुराइयों की लिस्ट पकड़ कर जला दें और ख़ुद से वादा करें कि ये कमज़ोरियां आज से ख़त्म. यह काम 15 दिनों तक लगातार एक निश्चित समय पर सुबह और सोने से पहले करें. इन 15 दिनों में आप पाएंगे कि धीरे–धीरे आपकी अच्छाइयों की लिस्ट बढ़ती जाएगी और कमज़ोरियों की लिस्ट छोटी होती जाएगी. 15 दिनों बाद ख़ुद को देखें, घरवालों से पूछें, ऑफिस वालों से पूछें, सबको आप में परिवर्तन महसूस होगा. अगर यह परिवर्तन अच्छा होगा तो दवा आपके लिए काम कर गई है और आप इसे लगातार करते रहिएगा.

firdaus@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
गुनाह बेगुनाह
लेखिका
मैत्रेयी पुष्पा
प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन
मूल्य
350 रुपये

यह उपन्यास हमें बताता है कि मनुष्यता के ख़िलाफ़ सबसे वीभत्स दृश्य कहीं दूर युद्ध के मोर्चों और हमलों में नहीं, बल्कि हमारे घरों और थानों में देखने को मिलते हैं.

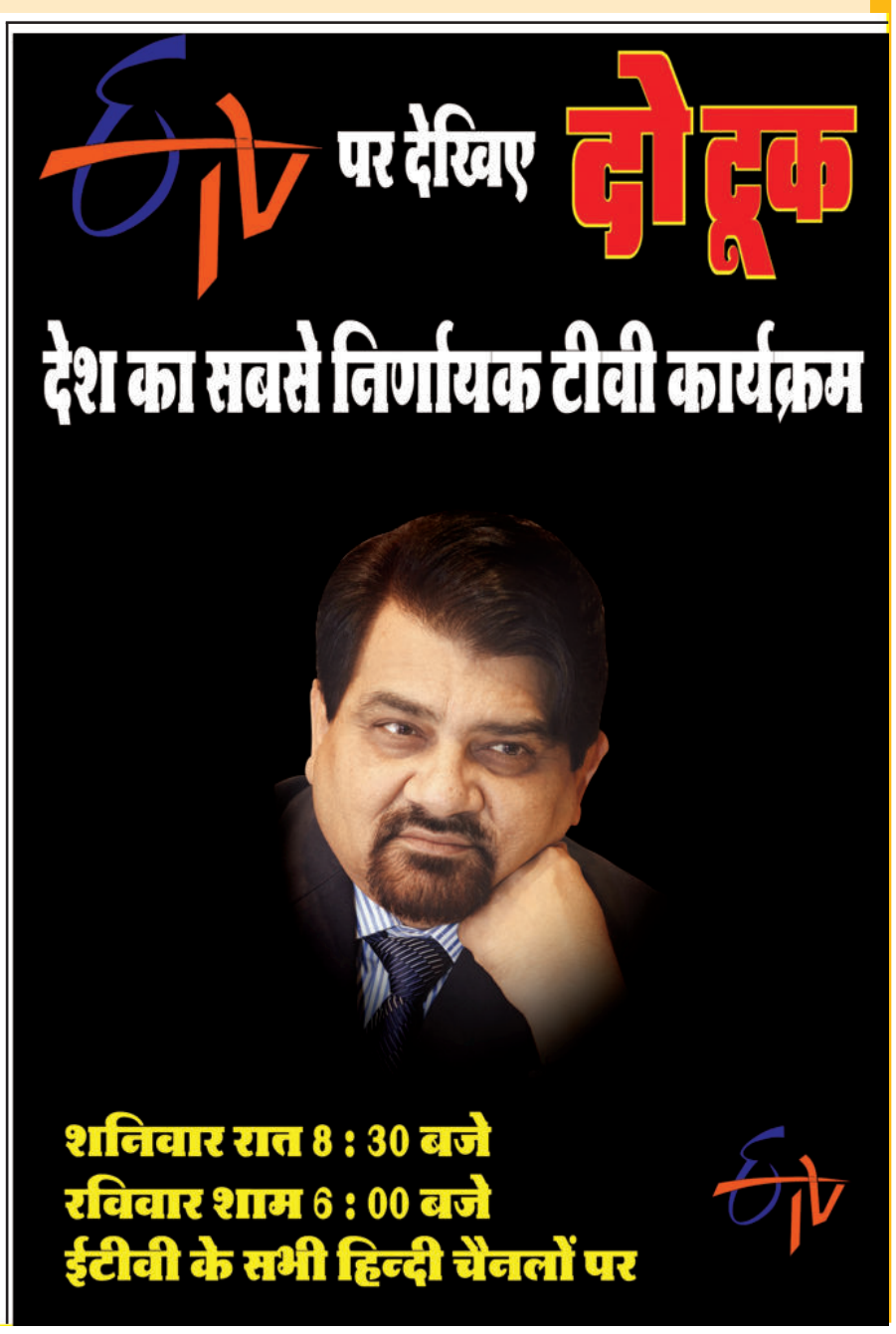

नैनो के नए मॉडल लांच करने की तैयारी कर रही है. ये नए मॉडल 2011-12 के दौरान ही लांच किए जाएंगे.

कंप्यूटर रीसाइक्लिंग की नई तकनीक

कंपनी ने इस तकनीक के तहत लेजर प्रिंटर के रिबन और रिफिल किट्स बाज़ार में उतारे हैं. इसके साथ ही एंटी ग्लेयर स्क्रीन, डेटा बाइंडर, प्रिंटर स्टैंड और सीपीयू ट्रॉली आदि भी कंपनी के उत्पादों में शामिल हैं.

कंप्यूटर काट्रेज रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में अग्रणी भारतीय कंपनी प्रोडॉट ने एक नई तकनीक विकसित की है. इस तकनीक के माध्यम से रीसाइकिल किए गए कंप्यूटर उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध अन्य उत्पादों के मुक़ाबले सस्ते पड़ते हैं. कंपनी ने इस तकनीक के तहत लेजर प्रिंटर के रिबन और रिफिल किट्स बाज़ार में उतारे हैं. इसके साथ ही एंटी ग्लेयर स्क्रीन, डेटा बाइंडर, प्रिंटर स्टैंड और सीपीयू ट्रॉली आदि भी कंपनी के उत्पादों में शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इनके अलावा उसके द्वारा कंप्यूटर से जुड़ी लगभग 150 वस्तुएं रीसाइक्लिंग तकनीक से बनाकर बाज़ार में बेची जाती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

माइक्रोमैक्स का लेडीज स्पेशल

मोबाइल फोन बनाने वाली भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स ने आधुनिक महिलाओं के लिए एक बेहतरीन एंड्रॉयड फोन लांच किया है. यह फोन माइक्रोमैक्स के पहले से आ रहे ब्लिंग का एक्सटेंशन है. इसे नाम दिया गया है ब्लिंग-2. इस फोन में एंड्रॉयड 2.2 फ्रोयो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. वहीं कंपनी ने इस फोन के लुक पर भी काफी काम किया है. इसे स्वोरोस्की से सजाया गया है. साथ ही कंपनी इसे सफेद रंग के एक ख़ास लेदर केस में दे रही है, जिसके पीछे एक छोटा मिरर भी मौजूद है. ब्लिंग-2 में 2 इंच का मल्टीकैप्टिव टचस्क्रीन, जीपीएस, पॉकेट वायरलेस इंटरनेट, 3 मेगापिक्सल कैमरा और 3-जी जैसी ख़ूबियां भी मौजूद हैं. भारतीय बाज़ार में इस हैंडसेट की क़ीमत 8999 रुपये रखी गई है.

एमवीएल का नया मोबाइल फोन

दो सिम वाले इस मोबाइल में कैमरा भी है, जो उच्च गुणवत्तायुक्त ऑडियो और वीडियो पिक्चर्स बना सकता है. इसके साथ ही इस फोन में ओपेरा ब्राउजर, जावा, मोडम, कांफ्रेंस कॉलिंग और ब्लूटूथ जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

एमवीएल मोबाइल्स ने नया स्लिम फोन बाज़ार में उतारा है. कंपनी का कहना है कि सिजेरो नामक इस फोन को विशेष रूप से युवाओं एवं प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है. इसमें कई ख़ासियतें हैं. इस फोन में 2.8 इंच की टच स्क्रीन लगाई गई है. दो सिम वाले इस मोबाइल में कैमरा भी है, जो उच्च गुणवत्तायुक्त ऑडियो और वीडियो पिक्चर्स बना सकता है. इसके साथ ही इस फोन में ओपेरा ब्राउजर, जावा, मोडम, कांफ्रेंस कॉलिंग और ब्लूटूथ जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. इसके साथ ही इस फोन में ज़रूरी रिकॉर्ड भी रखे जा सकते हैं. इस फोन में 2 जीबी की मेमोरी है. इसकी क़ीमत 4349 रुपये रखी गई है.

बाजार में अब नई नैनो

फ़िलहाल बाज़ार में नैनो के तीन अलग-अलग पेट्रोल वैरिएंट्स उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 1.41 लाख रुपये से लेकर 1.97 लाख रुपये के बीच है. नैनो की बिक्री अब लगातार बढ़ती जा रही है.

अगर आप टाटा मोटर्स की लखटकिया कार नैनो ख़रीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए ख़ुशख़बरी है. दरअसल कंपनी नैनो के नए मॉडल लांच करने की तैयारी कर रही है. ये नए मॉडल 2011-12 के दौरान ही लांच किए जाएंगे. कंपनी ने हालांकि मॉडलों का ब्योरा तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि वह नैनो का डीजल मॉडल ला सकती है. इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कंपनी ने कहा है कि वह वर्ष 2011-12 में अपनी कारों के कुछ नए मॉडल लाएगी. वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रस्तावित उत्पादों में नैनो, विस्ता, मान्जा सफारी, एरिया 2-डब्ल्यूडी आदि नए मॉडल शामिल होंगे. फ़िलहाल बाजार में नैनो के तीन अलग-अलग पेट्रोल वैरिएंट्स उपलब्ध हैं, जिनकी क़ीमत 1.41 लाख रुपये से लेकर 1.97 लाख रुपये के बीच है. नैनो की बिक्री अब लगातार बढ़ती जा रही है. बड़े शहरों में पार्किंग की समस्या के कारण छोटी कारों का महत्व बढ़ता जा रहा है और छोटे शहरों में इसे कम क़ीमत की वजह से पसंद किया जा रहा है.

क्रेटिव के नए हेडफोन

अपने हेडफोन पर कोई पैसा ख़र्च करना चाहता है तो फिर वह आरामदायक और स्टाइलिश होने जैसी ख़ूबियों की भी अपेक्षा करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए क्रेटिव स्कल्प्ट्स ने बाज़ार में हेडफोन की नई सीरीज उतारने की घोषणा की है. कंपनी के मुताबिक़, इस सीरीज में नए डब्ल्यूपी-450, डब्ल्यूपी-350 और डब्ल्यूपी-250 हेडफोन बाजार में उतारे जाएंगे. इन हेडफोन में ब्लूटूथ म्यूजिक सुनने के साथ ही बातचीत करने के लिए एक अदृश्य माइक भी है. ये हेडफोन आईपॉड, आईफोन, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड फोन और दूसरे स्मार्ट कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए हैं. इन हेडफोन में आवाज की क्वालिटी को अच्छा बनाया गया है, साथ ही वायरलेस कनेक्टिविटी और एक बहुत छोटा सा माइक भी है. यह माइक स्पीकर के पास लगाया गया है, जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता. यह माइक शोर को कम करने के साथ ही आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर बनाता है. इन हेडफोन की क़ीमत 2850 से लेकर 6098 रुपये के बीच रखी गई है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

वेस्टइंडीज़ दौरे पर गौतम गंभीर के खेलने के संशय को लेकर बीसीसीआई चिंतित थी कि अचानक युवराज सिंह ने भी उसे एक करारा झटका दे दिया.

टीम इंडिया सब कुछ ठीक नहीं है

राजेश एस कुमार

पिछले दिनों भारत ने जब विश्व कप जीता तो लगा कि टीम इंडिया अपने बेहतरीन दौर में चल रही है, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ बदल गया है. इस वक़्त टीम इंडिया विवादों और संकटों के ऐसे दलदल से गुज़र रही है, जिसमें लगभग हर खिलाड़ी फंसा हुआ है. कुछ दिनों पहले ख़बर आई थी कि वेस्टइंडीज़ दौरे के लिए जाने वाली भारतीय टीम में वीरेंद्र सहवाग भाग नहीं लेंगे. उसके बाद ख़बर आई कि सांस की शिकायत को लेकर युवराज़ भी इस दौरे से छुट्टी चाहते हैं. यहां तक तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद ख़बर आती है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए इस दौरे पर न जाने का फ़ैसला किया है. पता चला कि धीरे–धीरे करके सभी दिग्गज इस दौरे से दूर होते जा रहे हैं. इतना सब होने के बाद गौतम गंभीर को कप्तान और सुरेश रैना को उप कप्तान बनाकर टीम इंडिया को वेस्टइंडीज़ के लिए रवाना करने की बात तय करके सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन असली धमाका होना अभी बाक़ी था. ठीक उसी वक़्त एक और बम फटा, जब वर्तमान कप्तान गौतम गंभीर ने अपने कंधे की चोट की दुहाई देते हुए इस दौरे से ख़ुद को दूर रखने की घोषणा कर दी. फिर क्या था, सीन यह बना कि एक–एक करके टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज़ दौरे से तौबा कर ली.

अब यह इतना बड़ा संयोग तो हो नहीं सकता कि सभी खिलाड़ी एक साथ कोई न कोई बहाना करके छुट्टी ले लें. जरूर कोई न कोई खिचड़ी पक रही है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीम इंडिया के अंदर कोई नई कलह शुरू हो गई हो. वेस्टइंडीज़ दौरे से दूरी की दूसरी वजह यह भी हो सकती है, जो खिलाड़ियों के मुताबिक़ है, यह कि वे लगातार होने वाले क्रिकेट से इतने थक गए हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता. अगर ऐसा है तो और भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं. मसलन, खिलाड़ी अगर ज़्यादा क्रिकेट से इतने थक गए हैं तो उन्होंने बोर्ड को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी. दूसरी बात, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो फिर आईपीएल तक इस बात को छिपाकर रखने की क्या ज़रूरत थी. उससे पहले भी इलाज कराया जा सकता था. जैसा कि गंभीर के बारे में कहा जा रहा है. आलोचकों के मुताबिक़, आईपीएल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई खिलाड़ियों ने अपनी चोटें छिपाईं, जिसका असर अब वेस्टइंडीज़ दौरे में दिखाई दे रहा है. अगर इन बातों में ज़रा भी सच्चाई है तो टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है.

दरअसल, यह सारा मामला तब प्रकाश में आया, जब यह घोषणा हुई कि इंडियन प्रीमियर लीग के तुरंत बाद वेस्टइंडीज में होने वाली एकदिवसीय और 20–20 सीरीज में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और ज़हीर ख़ान नहीं खेलेंगे. ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़े खिलाड़ियों ने टीम इंडिया से इस तरह पल्ला झाड़ा है. इन हालात में अब टीम की कमान युवा खिलाड़ी सुरेश रैना के हाथ में होगी. वेस्टइंडीज़ जा रही भारतीय टीम इस बार पूरी तरह युवा है. मज़े की बात यह है कि इस टीम में हरभजन सिंह को छोड़कर एक भी वरिष्ठ खिलाड़ी नहीं है. चयन के बाद एकदिवसीय टीम में मनोज तिवारी और शिखर धवन को शामिल किया गया है.

युवराज और गंभीर ने ऐसा क्यों किया

वेस्टइंडीज़ दौरे पर गौतम गंभीर के खेलने के संशय को लेकर बीसीसीआई चिंतित थी कि अचानक युवराज सिंह ने भी उसे एक करारा झटका दे दिया. वेस्टइंडीज जाने वाली टीम इंडिया में हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह का नाम नदारद है, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई को सूचित किया है कि तबियत ख़राब होने के चलते वह दौरे पर टीम के साथ नहीं जा सकते. उन्होंने बीसीसीआई को बताया कि उनके फेफड़े में संक्रमण है. इससे उबरने के लिए कम से कम 15–20 दिनों का आराम चाहिए. युवराज सिंह ने 21 मई को दिल्ली डेयर डेविल्स के ख़िलाफ़ आईपीएल में अंतिम मैच खेला था. उल्लेखनीय है कि दौरे के लिए गौतम गंभीर का चयन पहले से संदिग्ध है. गंभीर पर आरोप है कि वह चोट के बावजूद आईपीएल खेले. उन्हें कंधे में चोट के चलते आराम की ज़रूरत बताई गई है. अगर इन दोनों खिलाड़ियों की ग़ैर मौजूदगी रही तो तो टीम इंडिया के ज़्यादातर बड़े खिलाड़ी इस दौरे से बाहर ही रहेंगे. सचिन, धोनी, ज़हीर, नेहरा और सहवाग पहले ही वेस्टइंडीज़ जाने से मना कर चुके हैं. टीम इंडिया के चयन को लेकर बीसीसीआई की फ़ज़ीहत हो गई है. पिछले दस सालों में यह पहला मौक़ा है, जब उसे टीम के चयन में इतनी माथापच्ची करनी पड़ी. टीम के चार खिलाड़ी पहले ही आराम करने के लिए दौरे से छुट्टी ले चुके हैं. बची हुई टीम के कप्तान बनाए गए गौतम गंभीर भी आईपीएल की भेंट चढ़ गए और चोट के चलते टीम से बाहर हो गए. अब युवराज सिंह भी फेफड़े में इंफेक्शन को वजह बताकर दौरे से बाहर हो गए हैं. युवराज के बारे में कहा जा रहा है कि वह इस बात से नाराज़ हैं कि धोनी की जगह पहले गौतम गंभीर को कप्तान बनाया गया और गंभीर के ज़ख्मी होने के बाद अब सुरेश रैना को कप्तानी दी जा रही है. युवराज सिंह को यह कतई मंजूर नहीं कि वर्ल्डकप में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी अनदेखी की गई और रैना को कप्तान बनाया गया. ख़ुद से इतने जूनियर खिलाड़ी की कप्तानी में युवी नहीं खेलना चाहते, इसलिए उन्होंने दौरे पर न जाने का फ़ैसला किया. वजह बताई फेफड़े में इंफेक्शन की, जिसके बारे में उन्हें और उनके फीजियो के अलावा शायद ही किसी को पता हो. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गंभीर को आईपीएल में कप्तानी के लिहाज़ से यह मौक़ा दिया गया था. विश्वकप में गौतम गंभीर का प्रदर्शन बेहतर और लाजवाब था, वहीं आईपीएल में केकेआर ने उनकी कप्तानी में जमकर धमाल मचाया. केकेआर ने उनकी कप्तानी में आईपीएल के 11 मैचों में से 7 में जीत दर्ज की है. केकेआर को आईपीएल में प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि वहीं युवी की पुणे वारियर्स लड़ाई से बाहर हो चुकी है. वैसे यह कोई पहला मौक़ा नहीं है कि जब गंभीर को भारत की कमान दी जा रही है. इससे पहले 2010 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पांच मैचों की कप्तानी गंभीर ने की थी, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी. उम्मीद थी कि इस बार भी वह ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरह कप्तानी की घोषणा होने के बाद गंभीर ने अपनी चोट का हवाला देते हुए दौरे से ख़ुद को दूर किया है, उससे तो यही लगता है कि अच्छा होता कि कप्तानी की कमान युवराज को ही दी गई होती.

धीरे-धीरे करके सभी दिग्गज इस दौरे से दूर होते जा रहे हैं. इतना सब होने के बाद गौतम गंभीर को कप्तान और सुरेश रैना को उप कप्तान बनाकर टीम इंडिया को वेस्टइंडीज़ के लिए रवाना करने की बात तय करके सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन असली धमाका होना अभी बाक़ी था. ठीक उसी वक़्त एक और बम फटा, जब वर्तमान कप्तान गौतम गंभीर ने अपने कंधे की चोट की दुहाई देते हुए इस दौरे से ख़ुद को दूर रखने की घोषणा कर दी.

आईपीएल में क्यों ख़ामोश थे

इस पूरे मसले पर खिलाड़ियों सहित ज़्यादातर लोगों ने यही कहकर बचाव किया कि खिलाड़ियों के इस तरह अचानक छुट्टी लेने की वजह उनका लगातार क्रिकेट खेलना और व्यस्त कार्यक्रम है. लेकिन यहां पर यह सवाल भी उठता है कि अगर खिलाड़ी अपने व्यस्त कार्यक्रम से इतने परेशान थे तो इस पर उन्होंने पहले मुंह क्यों नहीं खोला. कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस वक़्त उन्हें पैसे कमाने की सूझ रही थी और जब आईपीएल का सीजन ख़त्म हुआ तो सबकी बारी–बारी अपनी समस्याएं निकल आईं. इसके अलावा इस घटना का एक पहलू यह भी है कि जब खिलाड़ियों पर पैसे के लिए खेलने और राष्ट्र के लिए न खेलने का आरोप लग रहा था तो उस दौरान बोर्ड का ध्यान किधर था. इससे पहले बोर्ड को यह सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत बार–बार क्यों आ रही है. वेस्टइंडीज़ के दौरे के बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड के दौरे पर जाना है यानी सितंबर तक भारतीय टीम का कार्यक्रम बिना रुके चलता रहेगा. इस स्थिति में अगर पुराने और अनुभवी खिलाड़ी आराम की मांग कर रहे हैं तो उनकी बात में दम दिखता है.

इस मामले में कपिल देव खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहते हैं कि खिलाड़ी भी एक आम आदमी होता है, उसकी भी इच्छाएं और पसंद होती है. इसलिए बेहतर होगा कि उसे ही निर्णय लेने दें कि उसे देश के लिए खेलना है या फिर देश के किसी क्लब के लिए. अतिरिक्त दबाव से केवल परेशानी ही पैदा होती है. इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी हां और ना का अधिकार खिलाड़ियों के ही हाथ में रहने दें. कपिल देव ने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं. यहां हर किसी को अपने फ़ैसले लेने का हक़ है. इसलिए मेरी नज़र में यही बेहतर होगा कि खिलाड़ी ख़ुद तय कर लें कि उन्हें क्या करना है. बोर्ड को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. कपिल देव ने ये बातें उस समय कहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि खिलाड़ी देश के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए खेलते हैं. हालांकि कपिल विवादों पर टिप्पणी करने से बचते रहे. कपिल देव को इन बातों पर भी ग़ौर करने की ज़रूरत है कि ये सभी वे खिलाड़ी हैं, जो लगातार आईपीएल खेल रहे थे, लेकिन जब दौरे की बात हुई तो सब बीमार हो गए. इसे मात्र संयोग तो नहीं कहा जा सकता. होना तो यह चाहिए था कि बोर्ड इस बहस में हिस्सा ले और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम बनाए, जिससे आईपीएल और बाक़ी अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबलों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके, ताकि खिलाड़ियों को बहाना बनाने का मौक़ा न मिले.

rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

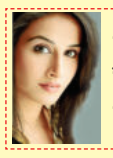

फिल्म के लिए सभी करैक्टर्स को डिफरेंट लुक्स दिए गए हैं. एकता नहीं चाहती हैं कि उनके किसी कास्ट मेंबर का लुक लीक हो. इसलिए उन्होंने अपनी कास्ट को मोबाइल घर पर छोड़कर आने का फ़रमान जारी कर दिया है.

करीना की ग़लती

बॉलीवुड के सभी स्टार्स का यह ड्रीम है कि उनका स्टैच्यू लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में रखा जाए. यहां तक कि इस बात पर तो कई स्टार्स के बीच कई पंगे भी हो चुके हैं. करीना कपूर ने एक गोल्डन चांस खो दिया है. बात किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि उनके स्टैच्यू को लंदन के तुसाद म्यूजियम में रखे जाने की है, लेकिन अब बेबो का वैक्स स्टैच्यू नहीं लगेगा. हालांकि उनकी जगह अब किसी और बॉलीवुड एक्ट्रेस को चांस मिल सकता है. वैसे, अगर ऐसा हो जाता तो बेबो पर कपूर ख़ानदान और इंडस्ट्री के साथ उनके फैंस को भी गर्व होता. मैडम तुसाद म्यूजियम में करीना कपूर का मोम वाला स्टैच्यू लगने की बात हो रही थी, उसकी प्लानिंग अब तो रद्द हो गई है. दरअसल, करीना के मैनेजर और इवेंट मैनजमेंट कंपनी के बीच पंगा हो गया है. अब पता नहीं कि इसके बाद करीना का मोम में ढलने का सपना पूरा होगा भी या नहीं. वैसे तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तुसाद म्यूजियम के ऑफिशल्स से अच्छे रिलेशन हैं. अमिताभ बच्चन का पुतला तुसाद में लगवाने का क्रेडिट भी इसी कंपनी को जाता है. उसके बाद से म्यूजियम के ऑफिशल्स किसी बॉलीवुड सिलेब्रिटी का पुतला लगाने से पहले इस कंपनी से ज़रूर बात करते हैं. नई बॉलीवुड सिलेब्रिटी तलाश रहे म्यूजियम वालों ने प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी और करीना कपूर में से पिछले दिनों करीना का नाम फाइनल किया था. ग़लती तो पूरी तरह बेबो की ही है, लेकिन यह कपूर कन्या अपनी ग़लती कभी नहीं मानती. उनके निशाने पर बिना वजह मधुर भंडारकर और ऐश्वर्या राय आ गए हैं. जैसा कि सभी जानते हैं कि हीरोइन नामक फिल्म करीना कपूर को लेकर मधुर भंडारकर बनाना चाहते थे. करीना ने शर्तों का इतना भारी पहाड़ लाद दिया कि जब बोझ उठाना मधुर केलिए नामुमकिन हो गया तो उन्होंने करीना से पीछा छुड़ाया और ऐश्वर्या राय को राज़ी कर लिया. करीना ने सोचा भी नहीं था कि मधुर ऐसा भी कर सकते हैं. मधुर से तो करीना नाराज़ हैं ही, ऐश्वर्या पर भी वह भड़की हुई हैं. बॉलीवुड में एक अघोषित सा नियम है, जिसके मुताबिक़ किसी कलाकार को हटाकर यदि दूसरे कलाकार को लिया जाता है, तो फिल्म साइन करने के पहले दोनों कलाकारों की बातचीत हो जाती है, पर ऐश्वर्या ने ऐसा शायद इसलिए नहीं किया, क्योंकि करीना ने फिल्म साइन नहीं की थी. उनसे मधुर की बातचीत चल रही थी, लेकिन बेबो की नज़र में यह भी ग़लत है. वैसे भी मधुर की फिल्मों में हीरोइनों के रोल दमदार होते हैं. रवीना टंडन जैसी सामान्य अभिनेत्री भी उनकी फिल्म में काम कर बड़े पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं. ऐसे में करीना के हाथ से फिल्म का फिसल जाना उन्हें कितना साल रहा होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

विद्या ख़ुशक़िस्मत हैं

यह तो मानना पड़ेगा कि फिल्म के लिए जितना एक्टर्स मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत फिल्ममेकर्स भी करते हैं. अपनी आनेवाली फिल्म में एक ख़ास तरह के किरदार में नज़र आने वाली विद्या बालन के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि एकता कपूर ने अपनी फिल्म डर्टी पिक्चर्स के सेट पर मोबाइल फोन बैन कर दिए. ऐसा इसलिए कि पिछले दिनों इस तरह की ख़बरें आई थीं कि करण जौहर की फिल्म अग्निपथ के कई करैक्टर्स केरोल लीक हो गए थे. करण के साथ हुई इस घटना के बाद एकता कपूर पहले ही सावधान हो गई हैं. और तभी उन्होंने अपनी फिल्म डर्टी पिक्चर केसेट पर मोबाइल फोन बैन कर दिए हैं, ताकि फिल्म के करैक्टर का रोल प्रॉपर तरीक़े से रिलीज किया जा सके. फिल्म की कहानी 80 के दशक की आइटम गर्ल सिल्क स्मिता पर बेस्ड है. इस फिल्म में विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर काम कर रहे हैं. फिल्म केलिए सभी करैक्टर्स को डिफरेंट लुक्स दिए गए हैं. एकता नहीं चाहती हैं कि उनकेकिसी कास्ट मेंबर का लुक लीक हो. इसलिए उन्होंने अपनी कास्ट को मोबाइल घर पर छोड़कर आने का फ़रमान जारी कर दिया है. तुषार एक संघर्षशील लेखक का रोल कर रहे हैं, जबकि नसीर 80 केदशक में बच्चों की फिल्मों में काम करने वाले एक्टर बने हैं. यह पहली फिल्म है, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर बेस्ड है. इस फिल्म में मेल करैक्टर को हॉट लुक नहीं दिया गया. नसीर फिल्म में विग पहने नज़र आएंगे, लेकिन विद्या फिल्म में डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसेज में नज़र आ रही हैं. फिल्म में विद्या के तीन से चार लुक्स हैं. तो क्या फिल्म में विद्या सेक्सी ड्रेसेज में होंगी, क्योंकि हवाओं में कुछ ऐसी ही ख़बरें सुनने को मिल रही थीं, लेकिन फिल्ममेकर्स की मानें तो यह कोई सेक्सी फिल्म नहीं है. यह सिर्फ़ कमर्शियल फिल्म है. दरअसल, 80 केदशक में फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ चेंजेज आए थे जिसका सेलिब्रेशन इस फिल्म में दिखाया जा रहा है. विद्या तो ख़ुशक़िस्मत ही हैं, क्योंकि एकता जैसी सीरियस और कैयरिंग फिल्ममेकर के साथ करने का मौक़ा जो उन्हें मिला है.

अमीषा का स्वार्थ

काफ़ी दिनों से ग़ायब सी हो गई थीं अमीषा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ग्लैमर की गलियों को भूल गई हैं या इस इंडस्ट्री से आउट हो गई हैं. उनकी कुछ न कुछ ख़बरें आए दिन सुनने को मिल ही जाती हैं. अमीषा पटेल अक्सर कहती हैं कि इमोशंस का उनकी लाइफ में कोई रोल नहीं है, लेकिन इस हॉट हीरोइन के मौजूदा रवैये को देखकर तो ऐसा क़तई नहीं लगता है. ग़ौरतलब है कि अमीषा ने पिछले दिनों अपना प्रोडक्शन हाउस अनाउंस किया था. अब ख़बर है कि वह पुराने लवर और फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को अपने प्रॉडक्शन हाउस के बोर्ड में शामिल करना चाहती हैं. अमीषा कहती हैं कि उनके प्रोडक्शन हाउस के बोर्ड में पहले डायरेक्टर डेविड धवन थे, लेकिन अब वह विक्रम भट्ट को भी इसमें अपॉइंट करना चाहती है, क्योंकि उनकी फिल्में वाक़ई पैसा वसूल होती हैं. वहीं, विक्रम भट्ट को भी यह आइडिया बुरा नहीं लगा. हालांकि, एक समय में अमीषा और विक्रम लवर थे और उनका ब्रेकअप काफ़ी ख़राब परिस्थितियों में हुआ था. फिर भी दोनों के मन में कोई खटास नहीं है, जो हुआ जब हुआ जैसे भी हुआ, वो हो गया बस, लाइफ आगे बढ़ने का ही नाम है. अमीषा के प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन करने और न करने पर विक्रम को कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि उनका भी मानना है कि यह बिजनेस है. विक्रम कहते हैं कि जब वह अजनबियों के लिए मूवी बना सकते है, तो फिर अमीषा के लिए क्यों नहीं, जो कभी उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी. हालांकि उनकी भी अपनी फिल्म कंपनी है और दूसरे कमिटमेंट्स भी, लेकिन फिर भी कुछ वजहों से तो वह दोस्तों का साथ दे सकते हैं. इसके साथ ही विक्रम ने यह भी कह दिया कि सिर्फ़ पुरानी दोस्ती की वजह से ही किसी के साथ फिल्म नहीं बनाई जा सकती. विक्रम को लगता है कि आजकल फिल्म मेकिंग बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई है. ऐसे में आप किसी के लिए सिर्फ़ इसलिए फिल्म नहीं बना सकते कि आप उसे पहले से जानते हैं. भले ही विक्रम कुछ भी कहें, लेकिन उनकी बातों से ऐसा तो लगता ही है कि वह अमीषा के इंविटेशन का वेट कर रहे हैं. तभी उन्होंने बातों-बातों में कह दिया कि अगर अमीषा उन्हें अपनी कंपनी ज्वॉइन करने का कोई इंविटेशन देती हैं, तो वह ज़रूर शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास मना करने का कोई रीज़न नहीं है. तो हम इंतज़ार कर सकते हैं कि विक्रम और अमीषा एक फिर साथ नज़र आएंगे. बॉलीवुड में लव, सेक्स, धोखा और मिलना-बिछड़ना तो लगा ही रहता है. यहां कब, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता. अब ग्लैमर डॉल अमीषा पटेल पर ही नज़र डाल लें. पहले डायरेक्टर और प्रेमी विक्रम भट्ट से अलगाव हुआ, फिर फिल्मों के ऑफर मिलने बंद हो गए, फिर प्रोडक्शन हाउस खोला और अब उसे चलाने के लिए वापस विक्रम से दोस्ती की कोशिश कर रही हैं. पहले तो बॉलीवुड केगलियारे में चर्चा थी कि अमीषा ने अपने प्रोडक्शन हाउस की पार्टी में विक्रम को बुलाया तक नहीं और अब चाहती हैं कि विक्रम उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए फिल्म डायरेक्ट करें.

बिपाशा की ख़ुशी

हिंदी फिल्मों में दस वर्ष का सफ़र तय करने केबाद अब बिपाशा बसु ने नई उड़ान भरी है. उन्होंने हॉलीवुड का रुख़ कर लिया है. बिपाशा ने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म सिंगुलैरिटी की शूटिंग पूरी कर ली है. वह गर्व केसाथ अपनी ख़ुशी बांटती हैं, रोलैंड जोफ हॉलीवुड केबड़े फिल्मकार हैं. वह कहती हैं कि उनकेसाथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे प्रशंसकों को निश्चय ही मेरी इस उपलब्धि पर गर्व होगा. बिपाशा इस बात से ख़ुश हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी अभिनेत्रियां जहां हॉलीवुड की फिल्में पाने केलिए संघर्ष करती हैं, वहीं सिंगुलैरिटी अपने आप उनकेहिस्से में आ गई. वह बताती हैं, अंग्रेजी फिल्म करने का फ़ैसला उन्होंने नहीं किया था. यह फिल्म उनकी क़िस्मत में थी. वह तो किसी काम केसिलसिले में विदेश गई थीं. वह जिस होटल में ठहरी थीं, वहीं सिंगुलैरिटी केडायरेक्टर से उनकी मुलाक़ात हो गई. उन्होंने उनकेनए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट कहा. बाद में फिल्म में लीड रोल केलिए ही साइन कर लिया. रोलैंड ने द किलिंग फील्ड्स और द मिशन जैसी चर्चित फिल्में बनाई हैं. सिंगुलैरिटी पीरियड ड्रामा है. इसकी शूटिंग ऑस्ट्रलिया और ओरछा (मप्र) में हुई है. दिलचस्प बात यह है कि इसमें बिपाशा को हॉलीवुड केमशहूर अभिनेता जोयश हार्टनेट का साथ मिला है. बिपाशा फिल्म केबारे में जानकारी देती हैं, यह मेरी पहली पीरियड फिल्म है. यह रोमांटिक फिल्म है. इसकी कहानी उन्नीसवीं सदी की है. इसमें मेरा लुक बहुत अलग है. कहानी की पृष्ठभूमि में मराठा युद्ध है. फिल्म में एक्शन सीन बहुत हैं. इस फिल्म की शूटिंग मेरे लिए फिजिकली और इमोशनली चैलेंजिंग थी. एक्शन सीन बहुत टफ थे. इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया केकलाकार हैं. सबके साथ काम करना चैलेंजिंग था. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी. ग़ौरतलब है कि बिपाशा केसाथ सिंगुलैरिटी में अभय देओल भी हैं. उनके साथ भी बिपाशा पहली बार स्क्रीन पर दिखेंगी. बिपाशा फ़िलहाल अपने किरदार और सह-कलाकारों केकिरदार केबारे में ख़ुलासा करने से बचती हैं. सिंगुलैरिटी फिल्म की शूटिंग का अनुभव बिपाशा केलिए अलग रहा. अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों केसेट केमाहौल केफ़र्क़ को उन्होंने बारीकी से नोटिस किया है. वह बताती हैं, मैंने देखा कि अंग्रेजी फिल्मों केसेट पर काम की इज़्ज़त की जाती है. वहां कोई किसी काम को छोटा नहीं समझता. डायरेक्टर भी जाकर सेट से कचरा उठा लेते थे. एक-दूसरे का सम्मान करते थे. एक्शन सीन की शूटिंग से पहले एक्टर को स्पेस देते हैं. एक्टर को पंद्रह मिनट का समय देते हैं, ताकि वे सीन पर कॉन्सन्ट्रेट कर सकें. हमारे यहां एक्शन सीन की शूटिंग से पहले बहुत हो-हल्ला होता है. एक्टर को समय नहीं दिया जाता

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

ऑलवेज कभी-कभी

शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन कंपनी रेड चिल्लीज के बैनर तले बन रही फिल्म आलवेज़ कभी-कभी पूरी तरह से युवाओं पर बनी है. इस फिल्म में युवा कलाकारों को लिया गया है. जिजेल मॉन्टेरियो के अलावा मुख्य भूमिका में अली फजल, जोआ मोरानी और सत्यजीत दुबे बिग स्क्रीन पर पहली बार नज़र आएंगे. फिल्म को डायरेक्ट किया है रोशन अब्बास ने. फिल्म की कहानी एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ने वाले चार लड़के-लड़कियों के ग्रुप की है. वैसे तो ये युवा यहां अपना बेहतरीन करियर बनाने आए होते हैं, लेकिन इन्हें पहले प्यार और दोस्ती में भी खासी दिलचस्पी है. यह कहानी असलियत में लगभग हर युवा के जीवन से मेल खाती है. रिलीज से पहले ही शाहरुख अपने प्रोडक्शन हाउस की इस फिल्म से कुछ नाराज हो गए थे. दरअसल इस फिल्म के एक गाने के कुछ शब्दों पर शाहरुख खान ने आपत्ति जताई थी. उन्हें गाने में अंडी द कंडी जैसे बोल पसंद नहीं आए और उन्होंने निर्देशक रोशन अब्बास और संगीतकार प्रीतम को इस बात से अवगत कराया और उसे हटाने का अनुरोध भी किया. अब्बास ने उन्हें समझाया कि यह बोल अश्लील नहीं हैं, बल्कि अंडरस्टैंड द कंडीशन का शॉर्ट फॉर्म है. मगर शाहरुख को तब तक तसल्ली नहीं हुई, जब तक अब्बास ने उन्हें गाने से जुड़े रिसर्च पेपर नहीं सौंपे. दरअसल शाहरुख को यह शब्द सुनने में कुंडी लगता था, जिसका दक्षिण में मतलब होता है नितंब. तब उन्हें रोशन ने बताया कि अंडी द कंडी का मतलब अंडरस्टैंड द कंडीशन है, जो इन दिनों युवाओं की बोलचाल का हिस्सा है. यह फिल्म भी युवाओं पर बनी है और उनके बीच अक्सर ऐसे शब्द नॉर्मल ही लगते हैं. तब शाहरुख को समझ में आया और उन्होंने कहा कि आजकल के युवा भी निराले हैं. इसके बाद ही फिल्म में इन शब्दों के इस्तेमाल की अनुमति मिली.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 13 जून–19 जून 2011

www.chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में नई भूमि अधिग्रहण नीति

माया फ्रंटफुट, विपक्ष बैकफुट पर

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नई भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा करके मुख्यमंत्री मायावती ने एक ही झटके में किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले विपक्षी नेताओं का खेल बिगाड़ दिया. कांग्रेस और ख़ासकर उसके युवराज राहुल गांधी को माया की चाल से गहरा झटका लगा होगा. भट्टा पारसौल के किसानों के उत्पीड़न के नाम पर राहुल गांधी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनाया था, वह अब शायद ही आगे बढ़ पाए. कांग्रेस ही नहीं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और ख़ुद को किसानों का मसीहा समझने वाला राष्ट्रीय लोकदल भी सदमे में है. पहले टप्पल और इसके बाद भट्टा पारसौल में ज़मीन अधिग्रहण को लेकर उठे विवाद के बाद मुख्यमंत्री मायावती का आनन–फानन में बीती 2 जून को लखनऊ में किसानों की महापंचायत बुलाना. पंचायत के फ़ौरन बाद उसी दिन नई भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा करना, ऐसी चाल थी जिसका प्रभाव 2012 के विधान सभा चुनाव पर भी पड़ सकता है. नई भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा के साथ ही बसपा सरकार एकदम से बैकफुट से फ्रंटफुट पर आ गई है. वहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी बना दिया. अब केंद्र वादे के अनुसार मानसून सत्र में जब भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक लाएगी तो उसकी मजबूरी मायावती द्वारा तैयार की गई ज़मीन को अपने लिए हरा–भरा करने की होगी. बसपा सरकार की नई नीति के अनुसार आगे से निजी कंपनियां परियोजनाओं के लिए किसानों से सीधी बातचीत करके भूमि खरीदेंगी. इसमें अब शासन व प्रशासन की भूमिका सिर्फ़ मध्यस्थ (फैसिलिटेटर) की ही होगी, वहीं राजमार्ग नहर आदि जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी तो वह भी नियमावली के तहत आपसी सहमति से तय किया जाएगा. नई अधिग्रहण नीति तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई है. मायावती सरकार द्वारा घोषित की गई भूमि अधिग्रहण नीति के बाद विपक्ष चारों ख़ाने चित हो गया है. विपक्ष नई अधिग्रहण नीति की आलोचना तो कर रहा है, लेकिन यह आलोचना तार्किक कम, सतही ज़्यादा लगती है.

मुख्यमंत्री मायावती ने नई भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा करने के साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी प्रकार के भूमि अधिग्रहण के मामलों में क़रार नियमावली का पालन करेगी तथा राज्य सरकार की नीति केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति से कई गुना बेहतर व किसान हितैषी साबित होगी. उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तर्ज़ पर भूमि अधिग्रहण की नीति पूरे देश के लिए लागू करने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण की नई नीति का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की ओर से घोषित इस नीति को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए बड़ी निजी कंपनियों की ओर से स्थापित की जानी वाली विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण पर विशेष ध्यान दिया गया है. नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत विकासकर्ता को परियोजना के लिए चिन्हित भूमि से प्रभावित कम से कम 70 प्रतिशत किसानों से गांव में बैठक कर आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार कर के सीधे ज़मीन प्राप्त करनी होगी और ज़िला प्रशासन मात्र मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा. यदि 70 प्रतिशत किसान सहमत नहीं होते हैं तो परियोजना पर पुनर्विचार किया जाएगा. भूमि अधिग्रहण पैकेज के तहत किसानों को दो विकल्प उपलब्ध होंगे. वे 16 प्रतिशत विकसित भूमि ले सकते हैं, जिसके साथ साथ 23 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की वार्षिकी भी 33 साल तक मिलेगी. वहीं, किसान यदि चाहे तो 16 प्रतिशत भूमि में से कुछ भूमि के बदले नक़द प्रतिकर भी ले सकते हैं. नई नीति में किसानों को दी जाने वाली विकसित भूमि नि:शुल्क मिलेगी और इसमें कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी. यदि नक़द मुआवज़े से एक वर्ष के भीतर प्रदेश में कहीं भी कृषि भूमि ख़रीदी जाती है तो उसमें भी स्टांप ड्यूटी से पूरी छूट मिलेगी. 70 प्रतिशत के बाद जो किसान बचते हैं उनके लिए केवल इनकी भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 6 इत्यादि के तहत कारवाई की जाएगी. नई नीति के दूसरे हिस्से की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य क़रार नियमावली के तहत आपसी सहमति से तय किया जाएगा. जिन किसानों की भूमि ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें शासन की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के लिए लाभ भी दिए जाएंगे.

किसानों की पंचायत में मुख्यमंत्री ने भट्टा पारसौल गांव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना का वहां के किसानों की ज़मीन के मुआवज़े को लेकर कोई लेना–देना नहीं और सही मायने में वहां जो घटना घटित हुई उसका मुख्य कारण विरोधी पार्टियों की घिनौनी राजनीति है. प्रदेश सरकार की ओर से घोषित नीति को उनकी पार्टी संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय स्तर पर लागू कराने के लिए पुरज़ोर कोशिश करेगी. केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाती है तो बसपा संसद का घेराव करेगी. मायावती ने लखनऊ आए किसान प्रतिनिधियों की अच्छी मेहमान नवाज़ी करके उनका दिल जितने की कोशिश की तो गांवों को 14 घंटे बिजली, भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों पर दर्ज मुक़दमे वापस लेने, बेक़सूर किसानों की रिहाई, भट्टा पारसौल मे हुई किसानों की हानि की भरपाई का आश्वासन तो दिया ही, इसके साथ–साथ प्रत्येक माह की 22 तारीख़ को किसानों की समस्याओं को लेकर ज़िला मुख्यालयों पर बैठक करने का भी निर्देश दिया. किसान पंचायत में जिन किसान नेताओं ने भाग लिया, उनमें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और टप्पल क्षेत्र के सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामबाबू कटैलिया प्रमुख थे.

मायावती ने नई भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा करने के साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी प्रकार के भूमि अधिग्रहण के मामलों में क़रार नियमावली का पालन करेगी तथा राज्य सरकार की नीति केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति से कई गुना बेहतर व किसान हितैषी साबित होगी.

मायावती की नई भूमि अधिग्रहण नीति किसानों को कितनी लुभाएगी यह तो समय बताएगा, लेकिन अपने आप को किसानो का मसीहा समझने वाली राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने इसे छलावा क़रार दिया. रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि इसमें कई ख़ामियां हैं. नई नीति से किसानों को कोई ख़ास लाभ होने वाला नहीं है. रालोद के महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी की यह मांग है कि अधिग्रहण के लिए 70 प्रतिशत नहीं, कम से कम 95 प्रतिशत किसानों की सहमति होने का क़ानून बनना चाहिए. वहीं तीन फ़सल देने वाली भूमि का किसी भी दशा में अधिग्रहण नहीं किए जाने की बात पर वह अभी भी क़ायम हैं. समाजवादी पार्टी ने भी मायावती की नई भूमि अधिग्रहण नीति को फ़रेब की राजनीति क़रार दिया. सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि किसानों के जख्म ऐसी पंचायतों से नहीं भरे जा सकते हैं, क्योंकि टप्पल, करछना, भट्टा और पारसौल आदि गांवों में किसानों का जो उत्पीड़न हुआ, उस पर राहत देने की कोई घोषणा नहीं की गई. उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के दस बहाने बनाकर मुख्यमंत्री ने किसानों को अफ़सरी भाषा की चाशनी के साथ भरमाने का ही काम किया है.

यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने नई अधिग्रहण नीति को किसानों की आंखों में धूल झोंकने वाला क़रार दिया. उनका कहना था कि भट्टा पारसौल की घटना को राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बाद मुख्यमंत्री ने आनन–फ़ानन में किसानों की पंचायत बुलाकर बिना किसी चर्चा के नई नीति जारी करके अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की है. चार साल बाद बसपा को किसानों की सुध आई, जबकि प्रदेश सरकार के पास अधिकार था कि वह 1894 के भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन करे. भाजपा ने नई भूमि अधिग्रहण नीति को किसानों के साथ धोखा क़रार दिया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि बसपा सरकार ने पूर्व में हो चुके अधिग्रहण पर इस नीति को लागू न करके यह साबित कर दिया है कि वह पूंजीपतियों के दबाव में है. जो किसान अपनी ज़मीन गवां चुके हैं, अब वे ख़ुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. सरकार ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की.

मुख्यमंत्री के बुलावे पर लखनऊ आए किसान नेता चौधरी रामबाबू सिंह कटेलिया ने सरकार की घोषणाओं का स्वागत तो किया, लेकिन अलीगढ़, मथुरा और आगरा में भूमि अधिग्रहण के सरकारी रेट पर सहमति नही बन पाने पर चिंता जताई. इस मुद्दे पर राकेश टिकैत को सरकार से बात करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. उधर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने पंचायत को धोखेबाज़ी क़रार दिया. सभा के अध्यक्ष इम्तियाज़ बेग, उपाध्यक्ष, छीतर सिंह और महामंत्री राम प्रताप त्रिपाठी ने कहा कि किसान पंचायत का आयोजन किसानों के साथ छल–कपट की शर्मनाक कार्रवाई है.

feedback@chauthiduniya.com

महानगर संगठन को विश्वास में लिए बिना चलाए गए जनसंपर्क अभियान एवं क्रमिक अनशन का असर प्रशासन पर बिल्कुल नहीं पड़ा, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी.

धर्मनगरी हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर भारी भीड़ के मध्य मां पूर्णप्रज्ञा ने उमा भारती के हरिद्वार घोषणा पत्र की घोषणा की.

एक नज़र

आंधी ने डेढ़ करोड़ के आम बर्बाद किए

मलीहाबाद-लखनऊ के आम सिर्फ भारत में ही मशहूर नहीं हैं, बल्कि विदेशों में भी उनकी धूम है. लेकिन इस बार आई तेज आंधी ने यहां के आम उत्पादकों को उदास कर दिया है. इस बार वैसे भी टर्न के हिसाब से आम की फ़सल कम होनी थी, इस पर तेज आंधी ने एक तरह से आम उत्पादकों पर कहर ही ढा दिया है. आंधी से लगभग डेढ़ करोड़ के आम गिरे हैं. मई माह में चार बार आंधी आई थी एक दिन की आंधी तो अब तक की सबसे तेज आंधी रही. इसे तो तूफान की संज्ञा देना भी ठीक रहेगा. मलीहाबाद फलपट्टी क्षेत्र में 20 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में आमों के बाग़ हैं. इस साल 45 प्रतिशत ही बौर आया था, जिसमें से 40 प्रतिशत बौर ही फलित हुआ था, इसमें से भी 20 प्रतिशत आम आंधी-तूफान की भेंट चढ़ गया. आम विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग डेढ़ करोड़ के आम इस बार बर्बाद हो गए हैं.

बहराइच में पेयजल संकट

बहराइच जनपद तराई क्षेत्र है. घाघरा और सरयू जैसी नदियों के कारण इसे जलस्रोतों की दृष्टि से समृद्ध कहा जा सकता है. यहां भूजलस्तर इस समय 27-28 फुट है, जिसे तराई क्षेत्र की दृष्टि से गिरावट वाला ही कहा जाएगा. गंभीर समस्या जलस्तर नीचे गिरने की नहीं, बल्कि यह है कि यहां भूजल में आर्सेनिक और आइरन की मात्रा ख़तरनाक स्तर तक पहुंच गई है. यहां की कुल 438 बस्तियों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई. डेढ़ सौ बस्तियों में आयरन की अधिकता मिली. पानी की इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए शासन ने जल निगम के जरिए हैंडपंपों पर छोटे आर्सेनिक और आइरन लेकिन कुछ दिन तो इन प्लांटों ने अच्छा काम किया बाद में रखरखाव के अभाव में लगभग सभी प्लांट बंद हो गए. ये प्लांट इंडिया मार्क-टू हैंडपंपों पर लगाए गए थे. लेकिन इस समय बड़ी संख्या में ये हैंडपंप बंद पड़े हैं. इसलिए पूरे जनपद में शुद्ध पेयजल की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है. आने वाले दिनों में बहराइच जनपद का भारी पानी जनजीवन को भयंकर दुष्परिणाम दिखा सकता है.

आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निरस्त होंगी

आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं इस बार बहुत ही विवादित रहीं. फार्मों के छपने से लेकर उनकी बिक्री, प्रवेशपत्रों में गड़बड़ी और परीक्षाओं में खुलकर नक़ल जैसी अनेक अनियमितताएं इस बार चर्चित रहीं. आगरा विश्वविद्यालय से क़रीब 450 कॉलेज जुड़े हैं. इनमें से एक दर्जन से अधिक कॉलेजों ने क़रीब एक लाख छात्रों के फॉर्म प्राइवेट परीक्षा के लिए भरवाएं. मगर जो प्रवेशपत्र विश्वविद्यालय को सौंपे गए, इन पर किसी प्रवेश 1पत्र पर फोटो नहीं है तो किसी पर लड़की की फोटो है, मगर परीक्षार्थी लड़का है. इस व्यवस्था ने विश्वविद्यालय की पूरी परीक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए. मामला शासन तक पहुंचा तो सचिव उच्च शिक्षा अवनीश अवस्थी ने इस मामले के सतर्कता जांच के आदेश दिए. विभाग के सचिव वी.के.गुप्ता को भी जांच के लिए आगरा भेजा गया. वी. के. गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट सचिव की मार्फत उच्च क्षिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को सौंपी. अंत में निर्णय हुआ कि परीक्षाएं निरस्त की जाएंगी.

फिजिक्स में रुचि बढ़ाने के लिए आसान प्रयोग

आईआईटी कानपुर ने 300 ऐसे प्रयोग तैयार किये हैं, जिनके द्वारा खेल-खेल में बच्चों की फिजिक्स की ओर रुचि बढ़ेगी. इसके लिए देशभर के शिक्षकों को आईआईटी में ट्रेनिंग दी जा रही है. ये शिक्षक इन प्रयोगों के जरिए बच्चों को पढ़ाने के साथ ही अपने प्रदेश के शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देंगे. आईआईटी अब तक 400 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बना चुका है. इन प्रयोगों से कील और माचिस की तीलियों जैसी छोटी चीजों के ज़रिए बच्चों को फिजिक्स की थ्योरी समझाई जा सकती है. इन प्रयोगों में घरेलू और सामान्य वस्तुओं की मदद से बच्चों को फिजिक्स के कठिन सिद्धांत समझाए जाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

तरक्क़ी के लिए परीक्षा का फ़र्ज़ीवाड़ा

महत्वाकांक्षा प्रगति की निशानी है. जो व्यक्ति सपने देखता है और इन सपनों को साकार करने के लिए गंभीरता से प्रयत्न करता है, वह निरंतर विकास की सीढ़ियां चढ़ता है. इसके विपरीत अतिमहत्वाकांक्षा छलावे की निशानी है. यह व्यक्ति को सिर्फ़ छलभरे सपने दिखाती है बल्कि इन सपनों को पूरा करने के लिए छलांग लगाने, शार्टकट अपनाने को प्रेरित करती है और अपयश का भागीदार बनाती है. सिरसागंज क्षेत्रीय इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सनतकुमार चंदेल और गांव पैगू के संजीव कुमार ने चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति पाने के लिए इंटर की परीक्षा पास करनी चाही. इसके लिए उन्होंने रास्ता अपनाया छलावे का. उन्होंने चालाकी यह चली कि अपने नाम से अन्य युवकों से फार्म भरवा दिए. फार्म में फोटो इन युवकों के थे और नाम, वल्दियत, पता और जन्म तिथि उनकी थी. किसी को कोई शक नहीं हुआ. प्रवेशपत्र भी आ गए. परीक्षा केंद्र था फ़िरोज़ाबाद का श्री गुलज़ारीलाल मनीराम इंटर कॉलेज, खैरगढ़, फ़िरोज़ाबाद. परीक्षाएं शुरू हो गईं.

इन दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा फ़र्ज़ी लोगों से परीक्षा दिलाने की ख़बर अमरसिंह पुत्र भूदेवसिंह निवासी मकान नंबर 124, गली नंबर 2, अध्यापक नगर, फ़िरोज़ाबाद को हो गई. उसने 24 मार्च 2011 को इस फ़र्ज़ीवाड़े की लिखित शिकायत ज़िलाधिकारी से की. इस पर ज़िलाधिकारी ने छापामार कार्रवाई के लिए एसडीएम को नियुक्त कर दिया. 25 मार्च 2011 को द्वितीय पाली में हिंदी प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा थी. एसडीएम ने छापा मारा और इन दो फ़र्ज़ी परीक्षार्थियों को पकड़ लिया. भुवनेश कुमार पुत्र शेरसिंह निवासी डडियामई, शिकोहाबाद, सनत कुमार चंदेल के स्थान पर परीक्षा दे रहा था. बृजेश कुमार उर्फ़ बृजेश कुमार पुत्र छोटेलाल, ग्राम कटौरा, तहसील शिकोहाबाद, संजीव कुमार के नाम से परीक्षा दे रहा था. एसडीएम ने दोनों फ़र्ज़ी परीक्षार्थियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस समय दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फ़रार चल रहे हैं. अभियुक्त के रूप में पकड़े गए दोनों युवक भी ज़मानत के बाद से क्षेत्र से ग़ायब हैं.

जन्मतिथि में भी हेराफेरी

अमरसिंह पुत्र भूदेवसिंह द्वारा क्षेत्रीय इंटर कॉलेज से सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न जानकारियां मांगी गईं. कॉलेज ने विलंब से लिखित रूप में बताया गया कि सनतकुमार चंदेल पुत्र लाल कुमार की जन्म तिथि 8 जुलाई 1982 है. अमरसिंह ने इसी प्रकार सूचना के अधिकार के तहत ही लाइसेंस अधिकारी, मोटर वाहन विभाग मथुरा से भी यही जानकारी मांगी थी. वहां से उन्हें लिखित जवाब मिला कि सनतकुमार चंदेल, निवासी चंदनवन, मथुरा को मोटर साइकिल एवं एलएमवी के लिए 6 दिसंबर 1997 को एक लाइसेंस जारी किया गया था. इसमें लाइसेंस धारक की जन्म तिथि 3 जुलाई 1978 अंकित है. इस पर अमरसिंह ने ज़िलाधिकारी फ़िरोज़ाबाद और पुलिस अधीक्षक फ़िरोज़ाबाद को लिखित शिकायत की कि क्षेत्रीय इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सनतकुमार चंदेल की जन्मतिथि में गड़बड़ है. इसकी असल जन्मतिथि 3 जुलाई 1978 है, लेकिन कॉलेज में इसके सर्टिफिकेट में अंकों में गड़बड़ी करके जन्मतिथि 8 जुलाई 1982 कर दी गई है. यह गड़बड़ी कॉलेज के प्रधान लिपिक शिवकुमार चंदेल जो कि सनत कुमार चंदेल के सगे चाचा हैं, द्वारा ही कराई गई है.

अमरसिंह पुत्र भूदेव ने जनसूचना अधिकार के तहत क्षेत्रीय इंटर कॉलेज, सिरसागंज के प्रधानाचार्य से जो विभिन्न जानकारियां मांगीं थीं. वे जानकारियां सनत कुमार से संबंधित थीं और सनतकुमार के चाचा कॉलेज में प्रधान लिपिक हैं, इसलिए जानकारी आसानी से मिलने का सवाल ही नहीं उठता था. बहरहाल क्षेत्रीय इंटर कॉलेज, शिकोहाबाद ने जवाब देने के मामले में चुप्पी साध ली. चक्कर पर चक्कर लगाने पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई. इस पर अमरसिंह ने राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील की. वहां भी तारीख़ पर तारीख़ पड़ती गई और कॉलेज की ओर से टालमटोल का रवैया अपनाया जाता रहा. तब राज्य आयोग ने 14 फ़रवरी 2011 को कड़ा आदेश पारित किया, जिसमें उसने कहा कि 12 नवंबर 2010 को हुई सुनवाई के दौरान सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य क्षेत्रीय इंटर कालेज, सिरसागंज को निर्देशित किया गया था. समस्त सूचनाएं अगली तिथि तक उपलब्ध नहीं करा दी जातीं तो वे बताएं कि इस प्रकरण में उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए? इसके बावजूद वांछित सूचनाएं आज तक उपलब्ध नहीं कराई गईं तथा प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय इंटर कॉलेज, सिरसागंज जनपद फ़िरोज़ाबाद आयोग के समक्ष उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं.

अत: सूचना का अधिकार 20 (1) के तहत 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है. यह अर्थदंड तब तक जारी रहेगा जब तक वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो जाती हैं. हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 25 रुपए हज़ार होगी. इसके बाद अमरसिंह को क्षेत्रीय इंटर कॉलेज से जानकारी फ़टाफ़ट मिल गई. इस तरह कॉलेज से सूचना प्राप्त करने में लगभग एक साल लग गया.

डॉ. प्रवीन कुमार मिश्रा
feedback@chauthiduniya.com

ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की क़द्र नहीं

खेल की दुनिया में ग्रामीण प्रतिभाओं ने अपना एक अलग ही मुक़ाम बनाया है. इसके बावजूद उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाता, जो मिलना चाहिए. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शूटिंग रेंज में पदकों की झड़ी लगाने वाले पंकज चौहान की आजीविका अब खेती पर ही टिकी है. राज्य गठन के दस साल बाद भी न तो प्रदेश की कोई स्पष्ट खेल नीति बन पाई है और न ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को उभारने की दिशा में कोई ठोस क़दम उठाया गया है. नतीजा यह कि राष्ट्रीय निशानेबाज़ी में 13 स्वर्ण, 12 रजत व 4 कांस्य पदक जीतने वाले पंकज चौहान जैसे खिलाड़ी की प्रतिभा दम तोड़ रही है. ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के सरकारी दावों की हक़ीक़त जाननी हो तो जौनसार-बावर क्षेत्र की दुर्गम तहसील त्यूणी के बृनाड़ गांव चले आइए. राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज में पदकों की झड़ी लगाने वाला निशानेबाज़ यहां टमाटर की खेती करता दिखाई देगा. खेती उनका शौक़ नहीं, बल्कि मजबूरी है. पंकज ने वर्ष 1997 से 2002 तक विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई पदक जीते. अक्टूबर 1997 में जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक और स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर वर्ग प्रतियोगिता में रजत पदक भी जीता. 1998 में 41वीं राष्ट्रीय निशानेबाज़ी स्पर्धा में पंकज ने 4 स्वर्ण पदक और अहमदाबाद में हुई छठी ऑल इंडिया जेबीजी शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता. राणा इंस्टीट्यूट चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग की एयर पिस्टल में पंकज ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि इसी साल मद्रास में एनआर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा के रिकॉर्ड की बराबरी भी की. यह उनकी यादगार उपलब्धि है. छात्र जीवन में वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे पंकज बताते हैं कि 1996 में अंतरराष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा से हुई एक मुलाक़ात ने उन्हें शूटिंग के लिए प्रेरित किया. मध्यवर्गीय परिवार का होने के कारण उनके लिए यह राह आसान नहीं थी. वह अब खेती के सहारे रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं. बक़ौल पंकज यह सिर्फ़ उनकी नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी सभी खेल प्रतिभाओं की दास्तां है. जिस राज्य में दस साल बाद भी खेल नीति न बन पाई हो, वहां एक खिलाड़ी के लिए टमाटर उगाने की मजबूरी आश्चर्य की बात नहीं.

> ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के सरकारी दावों की हक़ीक़त जाननी हो तो बृनाड़ गांव चले आइए. राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज में पदकों की झड़ी लगाने वाला निशानेबाज़ यहां टमाटर की खेती करता दिखाई देगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उमा भारती गंगा का उद्धार करेंगी

राजकुमार शर्मा

दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर साध्वी उमा भारती ने समग्र गंगा अभियान को चलाने की घोषणा कर के सूबे की निशंक सरकार द्वारा संचालित स्पर्शगंगा कार्यक्रम की हवा निकाल दी. मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती ने कहा कि निशंक सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान गंगा को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, गंगा के उद्धार के लिए ख़ुद को गंगा पुत्री मानने वाली उमा भारती ने महाशिवरात्रि तक चार चरणों में अभियान चलाने का निर्णय लिया है. गंगोत्री से गंगा सागर तक यह अभियान जनता के समर्थन के बल पर चलाया जाएगा. धर्मनगरी हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर भारी भीड़ के मध्य मां पूर्णप्रज्ञा ने उमा भारती के हरिद्वार घोषणा पत्र की घोषणा की. घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत का अस्तित्व मां गंगा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, गंगा विश्व की नारी शक्ति की अस्मिता की प्रतीक है. इस सत्य को स्वीकार कर उमा ने विश्व नारी जाति से जन जागरण कर समर्थन पाने की आशा व्यक्त की. 11 जून से 09 जुलाई तक गंगा तट पर बसे हुए नागरिकों की चेतना को जगाने का काम किया जाएगा. 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक मानसून सत्र में संसद का घेराव किया जाएगा. वह गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक राष्ट्रीय जन चेतना के साथ गंगा सागर में मकर संक्रांति पर स्नान में समर्थकों सहित भागीदारी करेंगी. उमा ने नारीशक्ति जागरण के तहत हरिद्वार की हरकी पौड़ी पर महिला समर्थकों के साथ सैकड़ों की संख्या में गंगा में डूबकी लगा कर जागरण का प्रथम चरण आरंभ किया और गंगा के मध्य अपनी ईमानदार कोशिश का व्रत धारण किया.

> भारत का अस्तित्व मां गंगा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, गंगा विश्व की नारी शक्ति की अस्मिता की प्रतीक है. इस सत्य को स्वीकार कर उमा ने विश्व नारी जाति से जन जागरण कर समर्थन पाने की आशा व्यक्त की. 11 जून से 09 जुलाई तक गंगा तट पर बसे हुए नागरिकों की चेतना को जगाने का काम किया जाएगा. 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक मानसून सत्र में संसद का घेराव किया जाएगा. वह गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक राष्ट्रीय जन चेतना के साथ गंगा सागर में मकर संक्रांति पर स्नान में समर्थकों सहित भागीदारी करेंगी.

उमा के अभियान को सफल बनाने में भाजपा के थिंक टैंक माने जाने वाले गोविंदाचार्य व अटल सरकार में गृह राज्यमंत्री रह चुके चिन्मयानंद सरस्वती ने कहा कि गंगा के लिए सड़कों पर उतरने का समय आ गया है, अनशन धरने से काम चलने वाला नहीं है. सरकारों को जब तक सड़क से संसद तक घेरा नहीं जाएगा तब तक काम चलने वाला नहीं है. उन्होंने स्वामी जी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कुंज में समग्र गंगा-संवाद एवं समाधान विषय पर आयोजित एक गोष्ठी में यह बात कही. इस गोष्ठी में पर्यावरणविद् डॉ. एनसी मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन एथॉरिटी में उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो गंगा के लिए पूरा समय दे सकें. उन्होंने भारत सरकार के इस क़दम का गर्म जोशी से स्वागत किया और कहा कि उनके क़ानून को पूरी तरह लागू किया जाए, तभी सरकार की मंशा पूरी होगी. इस अवसर पर डॉ. पदमेश बड़ाकोटी ने कहा कि गंगा को बचाने के लिए पूरी मानव जाति को आगे आना चाहिए. इस अवसर पर दर्जनों अल्पसंख्यकों ने उपस्थित होकर गंगा को बचाने के अभियान में हर संभव मदद का आश्वासन दिया. गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मनमोहन सरकार की मुक्त कंठ से सराहना की गई.

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा प्रभारी पद को लेकर भाजपा में खींचतान

मिशन 2012 में सफलता प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ताना-बाना स्थापित करने में प्रदेश भाजपा ही नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीर प्रयास कर रहा है. फ़िरोज़ाबाद महानगर में विधानसभा की दावेदारी मज़बूत करने के प्रयासों में लगे नेतागण एक-दूसरे को चोट पहुंचाने के साथ ही शह और मात का बाज़ी खेल रहे हैं. केंद्रीय प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल, चुनाव संयोजक कलराज मिश्र, राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री सौदानसिंह, राज्यसभा में नेता अरुण जेटली सहित प्रदेशीय नेतृत्व की उपस्थिति में 6 व 16 मई को लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठकें हुईं, जिनमें ज़िला व महानगर अध्यक्षों सहित विधानसभा प्रभारियों के साथ संगठन को बूथ तक विजय वाहिनी के नाम पर 15 सदस्यीय टीम खड़ी करने हेतु निर्देशित किया गया था. इसी कड़ी में 3, 4 व 5 जून को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सम्मेलन भी लखनऊ में आयोजित किया गया. भाजपा नेतृत्व ने इस बार मन बनाया है कि राजनीतिक लड़ाई में महाभारत का मैदान कुरुक्षेत्र के स्थान पर बूथ होगा. केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि कुशल प्रबंधन के बल पर बूथ जीत लिया तो चुनाव भी जीत लिया. विधानसभा प्रभारियों के नाम तय करने हेतु प्रदेशीय नेतृत्व ने एक निश्चित फोरम में चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले भाजपा नेता के नाम पर विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया था. उक्त निर्णय के अनुपालन में फ़िरोज़ाबाद महानगर में लंबे समय से कार्य कर रहे और प्रकोष्ठों में प्रांतीय दायित्वों पर रहे भाजपा नेता रवींद्र मोहन यादव का नाम बहुमत के आधार पर रख दिया गया. बस फिर क्या था, टिकट की आस लगाए चार भाजपा नेताओं को न जाने कहां से इल्म हो गया कि यह तो हमारे पक्ष में बिल्कुल काम नहीं करेगा, भाजपा में सौ तालों की एक ही चाबी माने जाने वाले विभाग संगठन मंत्री रमन जैन को प्रभाव में लेकर भाजपा नेताओं ने विनोद पचौरी का नाम सामने रख दिया. जैन ने पचौरी के साथ अपने को जोड़ते हुए उन्हें विधानसभा प्रभारी बनाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग शुरू कर दिया. आमतौर पर संगठन मंत्रियों का काम सामंजस्य बैठाने का होता है, पक्षधर बनने का नहीं. अंततोगत्वा प्रदेशीय संगठन द्वारा भी विधानसभा प्रभारी पद के लिए रवींद्र मोहन यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई. अपनी हार से खार खाए कुछ भाजपा नेता जो टिकट की लाइन में भी लगे हैं, ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर बैठक करके पेयजल समस्या के समाधान हेतु जनसंपर्क अभियान, क्रमिक अनशन और अंतिम प्रहार के रूप में आमरण अनशन करने का निश्चय करके परचा छपवा दिया. उक्त कार्यक्रम के लिए न तो महानगर संगठन को विश्वास में लिया गया और न वरिष्ठ भाजपा नेताओं का औपचारिक समर्थन ही प्राप्त किया गया. इस मुहिम में वे भाजपा नेता जुड़े हैं, जिन्होंने 10 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक सुनील शर्मा को महानगर अध्यक्ष के रूप में आत्मसात नहीं किया है. उन्हें बड़ी लकीर खींचने के लिए संगठन मंत्री रमन जैन ने वरदहस्त प्रदान किया हुआ है.

महानगर संगठन को विश्वास में लिए बिना चलाए गए जनसंपर्क अभियान एवं क्रमिक अनशन का असर प्रशासन पर बिल्कुल नहीं पड़ा, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी. वैसे उक्त अभियान में उपेक्षा के बावजूद महानगर अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण भाग लेते रहे. क्रमिक अनशन जो 5 दिन तक चला, इसका परिणाम भी ढाक के तीन पात ही रहा तो 25 मई से आमरण अनशन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया, क्योंकि यह बड़ी लड़ाई भाजपा की इज़्ज़त का विषय बन गई थी. महानगर संगठन सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं से परामर्श करके 25 मई को प्रात: 10 बजे आमरण अनशन प्रारंभ किया गया. आमरण अनशन पर भाजपा नेतागण राजेंद्र बौहरे, शिवमोहन श्रोत्रिय, नानकचंद्र अग्रवाल, राजनारायण मुन्ना, विनोद पचौरी, प्रकाश भारद्वाज बैठ गए, जो प्रात:काल ही भोजन अथवा जलपान करके आए थे. अनशनकारियों के उत्साहवर्धन हेतु दिन भर भाषणबाज़ी होती रही. जान ही क्यों न चली जाए, पेयजल आपूर्ति, प्रात:कालीन विद्युत आपूर्ति, ऊबड़-खाबड़ सड़कें, टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के साथ ही उपलब्ध टंकियों को पानी से भरे जाने की प्राथमिकता तय की जाए आदि मांगों को पूर्ण जाशोख़रोश से उठाया जाता रहा. उधर कुछ भाजपा नेता अनशन समाप्त कराने की जुगत भिड़ाते रहे. यह रहस्य की बात है कि एक कांग्रेसी नेता अनशन स्थल पर क्या करने आए थे, क्योंकि अगले दिन ही कांग्रेस सांसद राजबब्बर गांधी पार्क से ज़िलाधिकारी कार्यालय से पदयात्रा करके कांग्रेसजनों के मध्य संघर्ष की घोषणा करने वाले थे. प्रात:काल में अंतिम सांस तक आमरण अनशन चलाने की घोषणा करने वाले भाजपा नेताओं की सायंकाल तक हालत पतली होने लगी और रात्रि 8 बजे तक उनका संकल्प छूमंतर हो चुका था. ए.डी.एम. शेषमणि पांडे जिन पर नगरपालिका का प्रभार भी है, सिटी मजिस्ट्रेट ओ.के.सिंह के साथ आ धमके या बुलाए गए थे, इस समय तक परिस्थितियां बदल चुकी थीं. कुछ के हाव-भाव से तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वह धरनास्थल से कहीं दौड़ ही न जाएं यह हाल तो तब था कि प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही ने आमरण अनशन को गंभीरता से लेते हुए अपने एक प्रदेश महामंत्री को 26 मई व स्वयं 27 मई को स्वयं आने का कार्यक्रम तय कर दिया था. धरना समाप्त करने की पर्याप्त सूचना दिए बिना और हद तो तब हो गई जब मीडिया को भी अवगत कराए बिना अनशन समाप्त कर दिया गया. उक्त क़दम से आमरण अनशनकारी तो दोफाड़ हो गए, वहीं मार्ग निर्देशक संगठन मंत्री रमन जैन एवं चाणक्य जैसी भूमिका निभाने का दंभ करने वाले अश्विनी भारद्वाज भी विरोधी हो गए. इस पूरे घटनाक्रम से भाजपा की साख पर बट्टा लग गया.

> प्रात:काल में अंतिम सांस तक आमरण अनशन चलाने की घोषणा करने वाले भाजपा नेताओं की सायंकाल तक हालत पतली होने लगी और रात्रि 8 बजे तक उनका संकल्प छूमंतर हो चुका था. ए.डी.एम. शेषमणि पांडे जिन पर नगरपालिका का प्रभार भी है, सिटी मजिस्ट्रेट ओ.के.सिंह के साथ आ धमके या बुलाए गए थे, इस समय तक परिस्थितियां बदल चुकी थीं. कुछ के हाव-भाव से तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वह धरनास्थल से कहीं दौड़ ही न जाएं

नरेंद्र सिंह तोमर | कलराज सिंह | अरूण जेटली

चहेते काग़ज़ी घोड़े सिद्ध हुए

फ़िरोज़ाबाद में पेयजल संकट के समाधान के लिए आमरण अनशन पर बैठे भाजपा के वरिष्ठ नेतागण जो कि मिशन 2012 के अंतर्गत टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, ने अपने कार्यकलापों से चरितार्थ कर दिया कि वे विश्वसनीय नहीं हैं. बताते चलें कि विधानसभा की टिकट चाहने वाले भाजपा नेता राजेंद्र बोहरे, शिव मोहन श्रोत्रिय, राजनारायण गुप्ता, नानकचंद्र अग्रवाल व प्रकाश भारद्वाज ने विभाग संगठन मंत्री रमन जैन की सलाह पर कुछ कर गुज़रने की तमन्ना से भाजपा महानगर को दरकिनार करके जनजागरण, क्रमिक अनशन व आमरण अनशन की रूपरेखा बनई थी. तीसरे चरण में 25 मई को गांधी पार्क प्रांगण में जोश-ख़रोश के साथ गला भरकर मालाएं पहनकर आमरण अनशन प्रारंभ किया था. दोपहर तक आमरण को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही ने 27 मई को स्वयं का एवं 26 मई को प्रदेश महामंत्री रामनरेश अग्निहोत्री का कार्यक्रम तय कर दिया. आमरण अनशन प्रारंभ करते समय आख़िरी दम तक बैठने की घोषणा करने वाले भाजपा नेताओं का संकल्प सायंकाल तक डगमगाने लगा और रात्रि 8:30 बजे तक तो यदि ए.डी.एम. व सिटी मजिस्ट्रेट नहीं आते तो कुछ भाजपा नेता उठकर चले जाने का मन भी बना बैठे थे. अपने चहेते टिकटार्थियों को जनता की नज़र में नंबर बढ़ाने की ग़र्ज़ से संगठन मंत्री रमन जैन ने जिन्हें दौड़ाया था वह काग़ज़ी घोड़े साबित हुए.

जमोहन भारद्वाज
feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

ब्राह्मण महासभा ने सामूहिक विवाह कराए

जातिगत संगठनों का एक फ़ायदा यह होता है कि वे अपने समाज की कमी और विशेषताओं से भली भांति परिचित होते हैं. आवश्यकतानुसार ये संगठन समय-समय पर अपने समाज के हित के लिए साहसिक क़दम उठाते हैं. इन दिनों सभी जातिगत संगठन सामूहिक विवाह के आयोजनों का काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सामूहिक विवाह के आयोजन से दहेज के दानव को ख़त्म किया जा सकता है. इसी क्रम में गत दिनों ब्राह्मण महासभा झांसी एवं क्षेत्रीय ब्राह्मण महासमिति सीपरी बाज़ार ने अष्टम ब्राह्मण सामूहिक विवाह का आयोजन किया. इसमें 12 जोड़ों को जिसमें एक जोड़े का पुनर्विवाह भी था को वैवाहिक बंधन बांधा गया. इस मांगलिक कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत बिहारीदास बुंदेलखंड धर्मगुरू ने की. ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संयोजक वरुण कौशिक जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे, ने स्वाजातीय बंधुओं का आह्वान किया कि वे दहेज जैसी कुरीति को समाज से समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएं. दहेज का दानव समाज में विघटनकारी भूमिका निभा रहा है. एक ओर जहां दहेज के कारण सुयोग्य कन्याएं विवाह से वंचित रह जा रही हैं, वहीं दहेज का दानव विवाहित जीवन में भी कलह उत्पन्न कर दंपतियों का जीवन नर्क बना रहा है, उनकी बलि ले रहा है. ब्राह्मण महासभा झांसी के केंद्रीय अध्यक्ष पंडित महेश चंद्र बिंदुआ ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और बताया कि ब्राह्मण महासभा ने अब तक आठ सम्मेलनों में 96 जोड़ों का विवाह कराकर समाज को अपव्यय का संदेश दिया है. 96 जोड़ों अर्थात् 192 पक्षों के न्यूनतम 1 लाख रुपये प्रतिपक्ष के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो महासभा ने समाज के 1 करोड़ 92 लाख रुपये अपव्यय होने से बचाए हैं.

सफाईकर्मी फ़र्ज़ी हस्ताक्षर कर वेतन लेता था

बुलंदशहर के गांव भाईपुरा में एक सफाई कर्मचारी प्रधान के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर और मुहर लगाकर बिना काम के कई महीनों से वेतन ले रहा था. जानकारी होने पर ग्राम प्रधान ने इसकी मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की. गांव की नवनिर्वाचित प्रधान नरगिस ने अपनी शिकायत में कहा है कि गांव में तैनात सफ़ाई कर्मचारी अनिल कुमार उनके कार्यालय में कभी काम पर नहीं आया. इसके बावजूद सफ़ाईकर्मी के दैनिक कार्य विवरणपत्र में न केवल उसके हस्ताक्षर हैं, बल्कि उसने क्या काम किया इसका प्रमाणित ब्यौरा भी दर्ज़ हो रहा है. यही नहीं, वह फ़र्ज़ी हस्ताक्षर और मुहर से वेतन भी ले रहा है. ग्राम प्रधान ने उक्त सफ़ाई कर्मचारी की अन्यत्र तैनाती और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की है.

नए सत्र से बीएड कॉलेजों की फीस अलग-अलग

उत्तर प्रदेश में अगले सत्र से निजी क्षेत्र के बीएड कॉलेजो की फीस अलग-अलग हो सकती है. ऐसा इसलिए हुआ है कि निजी कॉलेज प्रबंधकों ने अपने कॉलेज की अवस्थापना सुविधाओं के आधार पर फीस वृद्धि के दावे पेश किए थे. सरकार ने कॉलेजों के दावों की पुष्टि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट को फीस निर्धारण का दायित्व सौंपा है. फिलहाल 800 से अधिक कॉलेजों के लिए लखनऊ के 62 62 चार्टर्ड एकाउंटेंट को ज़िम्मेदारी दी गई है. उन्हें 20 जून तक हरहाल में कॉलेजवार फीस की राशि तय करके देनी होगी. ज्ञात हो कि बीएड के लिए प्रवेश प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू होगी. प्रदेश में कुल 937 बीएड कॉलेज हैं, शेष कॉलेजों को उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन करने का एक और मौक़ा दिया है.

भवन निर्माण का सपना अधूरा रहेगा

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन रवींद्र सिंह ने पिछले दिनों चालीस हज़ार नए भवन-भूखंड विकसित करने का सपना आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों को दिखा तो दिया लेकिन अब इन भवन-भूखंडों के विकसित होने पर सवाल खड़े होने लगे हैं. दरअसल शहरी नियोजन विभाग ने नए भवन-भूखंडों की ज़िम्मेदारी जिन पर डाली है उनमें से कई जनपदों में विकास प्राधिकरणों के पास ज़मीन ही नहीं है. अत: सरकार के आदेश को आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों ने हाथों में थाम तो लिया लेकिन अब वो इसे पूरा करने के लिए परेशान हैं. कुछ प्राधिकरणों ने तो अपनी दिक्कतें शासन तक पहुंचा भी दी हैं कि नई ज़मीन का अधिग्रहण और इसका सीमित समय में विकास संभव नहीं है. चालीस हज़ार भवन-भूखंडों में दुर्बल आय वर्ग के 21 हजार, अल्प आय वर्ग के 7 हज़ार, मध्यम आय वर्ग के 8 हजार तथा उच्च आय वर्ग के 4 हज़ार भवन-भूखंड हैं. उन्हें इसी साल के अंत तक पूरा किया जाना था. सूचना के अनुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण को 770 भवन-भूखंड बनाने हैं पर इसके पास ज़मीन नहीं है. फ़ैज़ाबाद को 150, फ़िरोज़ाबाद 30 मुजफ्फरनगर 55, सहारनपुर 55, रामपुर 25, उरई 25, ख़ुर्जा 70, शक्तिनगर 35, कुशीनगर 10, चित्रकूट 10, कपिलवस्तु 15, और मिर्ज़ापुर को 15 भवन-भूखंड बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है लेकिन ज़मीन उनके पास है ही नहीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
दिल्ली, 13 जून–19 जून 2011

दूर-दूर तक भविष्य में राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं दिखती है कि उत्तराखंड की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर पाए.

दाह संस्कार ने गंगा को मैला किया

संजय सभरवाल

गंगा तेरा पानी अमृत, आज ये पंक्तियां अतिश्योक्ति ही बनकर रह गई हैं. हर-हर गंगे की गूंज करने वाले भक्तों ने ही मां गंगा का आंचल मैला कर दिया है. संत तुलसीदास की जन्मस्थली सोरों और इसके आसपास के कछला और लहरा गंगा घाट भी इससे अछूते नहीं रहे. मुक्ति की युक्ति में हर रोज़ गंगा मैली हो रही है. गंगा के शुद्धिकरण को लेकर प्रदूषण बोर्ड या फिर प्रशासन का मस्तिष्क अभी भी साफ़ नहीं है. भले ही यहां औद्योगिक इकाइयां का क़हर न बरपा हो, लेकिन श्रद्धावानों की बेरहमी के कारण प्रदूषण के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं.

जिन क्षेत्रों से गंगा गुज़रती है, वहां के बाशिंदों को सौभाग्यशाली समझा जाता है. सोरों स्थित हरि की पौड़ी तथा समीपवर्ती लहरा घाट और कछला घाट आज भी कई प्रांतों के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं. यहां के गंगा घाटों पर आस्था की स्थिति यह है कि हर साल ही श्रद्धालुओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. इसी के सापेक्ष गंगाजल मैला होने की प्रक्रिया भी तीव्र हुई है. भले ही गंगा की धार से जुड़ी आस्था श्रद्धालुओं को घाटों तक खींचकर ला रही हो, लेकिन यहां पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रबुद्ध लोगों की सोच अब बदल रही है. जिस आस्था ने गंगा के जल को अमृत की संज्ञा दे दी, आज उसी आस्था के वाहक गंगाजल का आचमन करने में हिचकते देखे जाते हैं. सोरों, लहरा और कछला घाट गंगा क्षेत्र के अंतर्गत है. इसी तरह पटियाली क्षेत्र से भी गंगा की अविरल धारा गुज़रती है. इनमें से सर्वाधिक श्रद्धालुओं की भीड़ सोरों और कछला घाटों पर ही नज़र आती है. सोरों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों के लोग पिंडदान जैसी आस्था से जुड़े हैं तो कछला गंगा घाट दाह संस्कारों के मामले में लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया है.

प्रदूषण के मामले में इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां गंगाजल को मैला नहीं कर रहीं हैं. यहां तो प्रदूषण के हालात पूरी तरह मानवीय ही हैं. सोरों में हरि की पौड़ी पर पिंडदान के रूप में विभिन्न सामग्रियां गंगा में प्रवाहित किए जाने से प्रदूषण का दायरा तेज़ी के साथ बढ़ा है, तो कछला गंगा घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और दाह संस्कार की प्रक्रिया के चलते प्रदूषण को बल मिला है. यहां आने वाले श्रद्धालु पतित पावनी के प्रति श्रद्धावान होते हुए भी गंगाजल को मैला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. घाटों पर खाने-पीने के साथ-साथ पॉलीथिनों व अन्य सामग्रियों का कचरा वहीं छोड़ देने के कारक भले ही छोटे लगें, लेकिन गंगा मैली करने में इन कारकों का योगदान प्रमुख है. इसके अलावा यहां दाह संस्कार की परिपाटी भले ही प्राचीन हो, लेकिन विगत वर्षों में लोगों की सोच और मुक्ति की युक्ति के चक्कर में गंगा घाटों पर दाह संस्कारों की संख्या में भी भारी इज़ाफ़ा हुआ है. कछला गंगा घाट पर रहने वाले पुरोहितों के अनुसार यहां रोज़ एक दर्जन से लेकर अधिकतम तीन दर्जन तक शवों के दाह-संस्कार होते हैं. घाटों पर दाह-संस्कार या शव-विसर्जन के बाद प्रदूषण तो होता ही है. यह प्रदूषण अमृत रूपी गंगा के जल को विषैला बना रहा है. शवों के साथ शेष रही सामग्री भी यही फेंक दी जाती है. बढ़ते प्रदूषण और अमृत से ज़हर बनने की ओर अग्रसर होते गंगाजल को लेकर चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन सार्थक प्रयास कोई नहीं होता. सरकार की प्रदूषण नियंत्रण की मंशा के लिए भी इन गंगा घाटों पर न तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ही पहल दिखाई देती है और न ही प्रशासन ने ही समय-समय पर प्रदूषित होती गंगा के प्रश्न को गंभीरता से लिया. यहां तक कि प्रदूषण की स्थितियां मापने की सरकारी व्यवस्थाएं तक यहां नहीं हैं. सिर्फ़ गंगा के बदलते रंग और प्रदूषण कारकों की बहुलता देखकर ही मैली होती गंगा का अंदाज़ा लगाया जाता है. स्थानीय कारणों और निवारणों पर नज़र डाली जाए तो प्रशासनिक सक्रियता से प्रदूषण फैलाने वाली स्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है. मानवीय प्रदूषण पर अंकुश के लिए यदि प्रशासन की ओर से पहल की गई होती यथा श्रद्धालुओं को जागरूक करने के अलावा गंगा घाटों पर स्वच्छता की दैनिक व्यवस्थाएं बनाई जाती तो यह दुखद स्थिति सामने न आती. ख़ास बात तो यह है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ में होने के कारण वहां की टीमें भी समय-समय पर प्रदूषण के आंकलन के संबंध में न तो कोई रिपोर्ट प्रशासन को सौंपती हैं और न ही ऐसी रिपोर्टों को सार्वजनिक करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास ही किया जाता है. विगत वर्षों में गंगा में मछलियों के मरने जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं. यह गंगा के पानी के अमृत से विष बन जाने की ही निशानी है. यही हाल रहा तो यही कहा जा सकेगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते.

सोरों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों के लोग पिंडदान जैसी आस्था से जुड़े हैं तो कछला गंगा घाट दाह संस्कारों के मामले में लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया है. कछला गंगा घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और दाह संस्कार की प्रक्रिया के चलते प्रदूषण को बल मिला है.

रेल विभाग लाखों कमाता है

भले ही कछला गंगा घाट पर होने वाले प्रदूषण को साफ़ करने के लिए कोई व्यवस्था न हो, लेकिन हर साल रेल विभाग इन्हीं घाटों के ठेके उठाकर लाखों रुपए वसूल करता है. घाटों पर झोंपड़ियों में बैठे पुरोहित यूं ही बैठे नज़र नहीं आते, बल्कि वह भी बैठने के लिए ठेका लेते हैं. उनका उद्देश्य भी यजमानों से दो पैसे कमाना ही होता है न कि गंगा को मैला होते देख इसकी स्वच्छता के लिए पहल करना. रेल विभाग लाखों कमाकर भी साल में घाटों की स्वच्छता के नाम पर एक रुपया भी ख़र्च करता नज़र नहीं आता.

पालिका को प्रशासनिक सहयोग मिले

मैली होती पतित पावनी गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सोरों की हरि की पौड़ी के लिए पालिका ने पिछले वर्षों से अनोखी पहल की है. इसके अंतर्गत पालिका द्वारा गंगा को मैला करने वाले कारकों के रूप में पिंडदान सामग्रियों को सीधे गंगा में फेंके जाने के बजाय पुरोहितों का सहयोग मांगा है. इसके तहत पिंडदान की प्रक्रिया गंगा घाट पर थालों में पूर्ण करने जैसे प्रयास किए गए हैं. इसके अलावा गर्मियों के दिनों में पालिका सफ़ाई की व्यवस्था के लिए भी तत्पर हुई है, जबकि लहरा व कछला घाट के लिए कहीं भी प्रशासन सक्रिय नहीं है, अन्यथा प्रशासनिक सहयोग से प्रदूषण रोकने के मामले में बड़ी सफलता पाई जा सकती है.

गंगा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन नाकाम रहे

किन्हीं कारणों से प्रदूषित हो रहे गंगा घाटों पर प्रबुद्धजनों का जाना होता है तो उनके द्वारा प्रदूषण पर बहस छेड़ दी जाती है. प्रदूषण से मुक्ति के लिए जागरूकता का मन भी बनाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही सब भूल जाते हैं. मैली हो रही गंगा को देखकर यहां भी पतंजलि योग समिति या फिर कई सामाजिक संगठनों ने प्रदूषण मुक्ति आंदोलन चलाने के लिए हुंकार तो भरी थी, लेकिन यह हुंकार प्रशासन को एक-दो ज्ञापन सौंपने के बाद लॉप होकर रह गई. गंगा प्रदूषण मुक्ति के लिए ठोस सामाजिक पहल आज तक सामने नहीं आई है, जिससे कि मानवीय प्रदूषण को रोके जाने से यहां की गंगा मैली होने से बच सके. शव के दाह संस्कार के बाद बची सामग्रियों को भी गंगा में बहा दिया जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड ने बिजली ख़रीदी

बिजली के उत्पादन के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद आज भी उत्तराखंड बिजली को तरस रहा है. यही वजह है कि बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को बिजली ख़रीदनी पड़ रही है. उत्तराखंड अब ज़रूरतें पूरी करने के लिए सालाना अरबों की बिजली ख़रीद रहा है. हालात साल दर साल बदतर होते जा रहे हैं. नई परियोजनाएं न जुड़ने की वजह से राज्य में बिजली का उत्पादन स्थिर हो गया है, जबकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है. वर्ष 2001-02 में उत्तराखंड में 36.2 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस थी. 2002-03 में 1101.6 एमयू बिजली सरप्लस हो गई. 2003-04 में 1240.7 एमयू बिजली मांग से अधिक थी. 2004-05 में 418.3 एमयू बिजली सरप्लस थी. अब धीरे-धीरे मांग बढ़ने लगी थी और अतिरिक्त बिजली की मात्रा कम होने लगी. 2005-06 में मांग से अधिक 333.8 एमयू बिजली थी. 2006-07 में मांग पूरी करने के बाद मात्र 64.2 एमयू बिजली बच पाई. 2007-08 में 290.1 एमयू बिजली कम पड़ गई. 2008-09 में 189.9 एमयू बिजली मांग से कम रही. 2009-10 में 1256 एमयू बिजली कम पड़ी. 2010-11 में बिजली की काफ़ी कमी झेलनी पड़ी. वर्ष 2007-08 में उद्योगों का कुल भार 595 मेगावाट था, जो 2008-09 में 862 मेगावाट हो गया. 2010-11 में उद्योगों के विद्युत भार में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. राज्य में ऊर्जा की ज़रूरत जितनी है उसे पूरा करने में प्रदेश सरकार असमर्थ है. दूसरी तरफ़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2007-08 में 304 मेगावाट की मनेरी भाली फेज-दो के अतिरिक्त कोई बड़ी परियोजना राज्य बनने के बाद नहीं जुड़ी है. दूर-दूर तक भविष्य में राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं दिखती है कि उत्तराखंड की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर पाए. इकलौती 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना निर्माण शुरू करने की सभी औपचारिकताओं को पूरा करती तो है, लेकिन क़रीब एक साल से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुमति के इंतज़ार में लटकी हुई है. वर्ष 2009-10 के बाद उत्तराखंड बिजली ख़रीद के लिए बाक़ायदा टेंडर जारी करता है. 2009-10 में उत्तराखंड ने सौ करोड़ की बिजली ख़रीदी. 2010-11 में 102.7 करोड़ की बिजली ख़रीदी. 2011-12 के लिए 638 मिलियन यूनिट बिजली ख़रीदने का अनुबंध राज्य ने किया है, जो 270.5 करोड़ रुपये का होगा. यही नहीं, एक तरफ़ पिछले साल राज्य ने 322 एमयू बिजली बैंकिंग के ज़रिये दूसरे राज्यों से बिजली प्राप्त की. बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है.

उत्तराखंड अब ज़रूरतें पूरी करने के लिए सालाना अरबों की बिजली ख़रीद रहा है. हालात साल दर साल बदतर होते जा रहे हैं. नई परियोजनाएं न जुड़ने की वजह से राज्य में बिजली का उत्पादन स्थिर हो गया है, जबकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है.

प्रियंका प्रियम तिवारी
priyanka@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 13 जून–19 जून 2011

www.chauthiduniya.com

विदर्भ की ताप-बिजली परियोजनाओं की पुनः समीक्षा होगी

आख़िर जागे सांसद-मंत्री

चौथी दुनिया ने अपने शुरुआती अंक से ही महाराष्ट्र में व्याप्त समस्याओं पर विस्तृत रिपोर्टें प्रकाशित कर यहां के बाशिंदों की आवाज़ को बुलंद किया. मामला सिंचाई के बैकलाग और ताप-बिजली परियोजनाओं की दी जा रही मंज़ूरी से भविष्य में होने वाले परिणामों का हो या फिर विदर्भ में भविष्य में होने वाली पानी की किल्लत का हो, हर मामले में चौथी दुनिया ने बेबाकी से अपनी बात रखी. इसके नतीजे भी सामने आए. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने कहा है कि पानी पर क्षेत्रवासियों का ही हक़ है.

चौथी दुनिया का प्रयास सफल

प्रवीण महाजन

9 अप्रैल को चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्करण के विमोचन के तीन पखवाड़े के भीतर ही अख़बार की विशेष रिपोर्ट्स ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया. विदर्भ में पानी की कमी, सिंचाई के बैकलाग और ताप-बिजली परियोजनाओं की दी जा रही मंज़ूरी से भविष्य में होने वाले परिणामों को लगातार *अमरावती के लोग अब प्यासे मरेंगे, पानी पर अधिकार किसका-उद्योगों का या खेतों का, सरकार नहीं जानती विकास क्या है,* शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया. चौथी दुनिया-महाराष्ट्र के प्रथम अंक में भी विदर्भः सावधान यह सुसाइड जोन है, में विदर्भ में पानी की किल्लत को लेकर प्रकाश डाला गया. डेढ़ माह के भीतर ही हलचल हुई और हाल में यवतमाल में हुई पानी परिषद में विदर्भ के कांग्रेस नेताओं ने इस क्षेत्र में ताप-बिजली घरों को अंधाधुंध स्वीकृति दिए जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए. इस परिषद में केंद्रीय मंत्री सलमान ख़ुर्शीद, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने शिरकत की. दोबारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने माणिकराव ठाकरे ने इसका आयोजन किया था. हालांकि राजनीतिक हलक़ों में इस परिषद के कई अन्य मायने भी सामने लाए गए, लेकिन एक बात साफ़ थी कि विदर्भ में भविष्य में पानी की संभावित किल्लत पर पहली बार एक सुर में चिंता जताई गई.

चौथी दुनिया ने अपनी रिपोर्ट्स में आंकड़ों का हवाला देते हुए लगातार इस बात पर सरकार और जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया कि विदर्भ में बड़ी संख्या में ताप-बिजली परियोजनाओं को मंज़ूरी देना ग़लत है. *अमरावती के लोग अब प्यासे मरेंगे,* शीर्षक के अंतर्गत अमरावती में पानी की उपलब्धता और उसके औद्योगिक उपयोग पर ख़ासा ध्यान केंद्रित किया गया था. यवतमाल के पानी परिषद में कांग्रेस के स्थानीय सांसदों, मंत्रियों ने विदर्भ में स्वीकृत की गईं ताप-बिजली परियोजनाओं और सिंचाई का पानी उद्योगों को दिए जाने पर खुल कर नाराज़गी व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब नई नीति बनाते समय किसानों की आवश्यकताओं का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा. किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए उस क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में उद्योगों की बजाय किसानों को अधिक महत्व दिया जाएगा. यह भरोसा भी दिलाया कि पहले खेतों को पानी दिया जाएगा. उसके बाद ही बिजली परियोजनाओं को जलापूर्ति की जाएगी. पानी का वितरण न्याय पद्धति और जन सुनवाई के माध्यम से किया जाएगा. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने भी विदर्भ के जल संसाधन के मनमानी दुरुपयोग पर टिप्पणी की और कहा कि जल्द ही नई दिल्ली में इस संबंध में चर्चा की जाएगी. ख़ुर्शीद ने चौथी दुनिया की चिंता का भी समाधान यह कहते हुए किया कि पानी पर सबका अधिकार है. उन्होंने कहा कि वह आलाकमान को विदर्भ की सच्चाई से अवगत कराएंगे. यवतमाल ज़िले के पालक मंत्री नितिन राउत ने तो इस परिषद को नए आंदोलन का सूत्रपात बताते हुए कहा कि ताप-बिजली परियोजनाओं को सिंचाई व पीने के पानी का हिस्सा नहीं दिया जा सकता. राउत इस मामले में ख़ासे उत्तेजित नज़र आए. उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए विदर्भ में अनाप-शनाप ताप-बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति देने के पीछे जल संसाधन विभाग और ऊर्जा मंत्रालय को ज़िम्मेदार ठहरा दिया. अप्रत्यक्ष रूप से अमरावती के अपर वर्धा परियोजना पर नितिन राउत की टिप्पणी थी कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत बनी सिंचाई परियोजनाओं का पानी उद्योगों को नहीं दिया जा सकता. उनके साथ ही महाराष्ट्र के जल संसाधन राज्य मंत्री राजेंद्र मुलक ने तो कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कह दिया कि किसी भी क्षेत्र में ऊर्जा या ढांचागत परियोजना लगाने के पहले वहां की पर्यावरणीय निरंतरता (इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी) पर विचार किया जाना चाहिए. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विदर्भ के लोगों को पानी का मतलब नहीं समझता है. सांसद दत्ताजी मेघे ने विदर्भ के सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के लिए मिले 2 हज़ार करोड़ रुपए का हिसाब नहीं होने की बात कही. इसके लिए उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी. विधान परिषद के पूर्व सदस्य बीटी देशमुख ने पानी के लिए लगातार संघर्ष करते रहने की मंशा दोहराई. सिंचाई परियोजनाओं से ताप-बिजली घरों को पानी देने के संबंध में भी चौथी दुनिया ने चिंता व्यक्त की थी.

पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि सोफिया का विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि अमरावती ज़िले में पेयजल की व्यवस्था, संपूर्ण महाराष्ट्र की सिंचाई क्षमता और सरकारी नियमानुसार उद्योगों के लिए 10 प्रतिशत जल प्रदान करने और कृषि आधारित उद्योगों को जलप्रदाय सुनिश्चित करने के लिए अमरावती ज़िले में तहसीलवार पानी का ऑडिट किया जाना चाहिए. वर्तमान में अमरावती में अपर वर्धा, शहानूर, चंद्रभागा, चारगढ, पूर्णा और अन्य छोटे-मोटे तालाबों से 112.75 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जा रहा है. फिर भी गांवों में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है. ज़िले में 472 गांवों में पानी की किल्लत है. इनमें से 25 गांवों में तो ग्रीष्मकाल में टैंकर द्वारा पानी पहुंचाना पड़ता है. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक बनाए गए जल प्रकल्पों से जून 2009 तक पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 230.22 प्रतिशत, सांगली में 107.35 प्रतिशत, पुणे में 76.99 प्रतिशत, सतारा में 82.57 प्रतिशत तथा सोलापुर में 66.88 प्रतिशत सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है, जबकि अमरावती संभाग के किसी भी ज़िले में यह क्षमता 25 फ़ीसदी का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है. यवतमाल ज़िले में ज़रूर 35.32 फ़ीसदी सिंचाई क्षमता विकसित करने का सरकारी दावा है. महाराष्ट्र की अनुमानित औसत सिंचाई क्षमता 56.14 फ़ीसदी है. अमरावती ज़िले का सिंचाई बैकलाग वैसे भी पूरे राज्य में सबसे अधिक है. यहां जून 2009 तक की जानकारी के अनुसार 243440 हेक्टेयर में अभी भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है. इसके बावजूद अमरावती में सिंचाई की जगह पानी उद्योगों को देना सवालिया निशान ही खड़ा करता है. विदर्भ में जल भंडारण की परियोजनाओं और अन्य स्रोतों से कोयला आधारित उद्योगों के साथ ही उद्योगों को मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जाता है. उद्योगों को पानी गोसीखुर्द, अपर वर्धा, निम्न वर्धा, निम्न वेणा, दिंडोरा बैरेज, चारगांव प्रकल्प, पेंच प्रकल्प, कोची बैरेज, धापेवाड़ा चरण, बेंबला जलाशय, निम्न पैनगंगा परियोजना और वर्धा, वैनगंगा, हुमन, कन्हान, धाम, वेणा नदी के तट से दिया जाता है. पेयजल की समस्या विकट है. अब बात प्रदूषण की, छत्तीसगढ़ के कोरबा, अमरावती के नज़दीक चंद्रपुर में ताप विद्युत परियोजनाओं का अनुभव अच्छा नहीं है. यहां चिमनियों से उड़ती राख पूरे क्षेत्र को ही अपनी आग़ोश में ले लेती है. यही कारण है कि कोरबा, चंद्रपुर जैसे शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है.

feedback@chauthiduniya.com

सोफिया फिर निशाने पर

परिषद के बाद सांसद विलास मुत्तेमवार ने चौथी दुनिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी भावनाओं और विदर्भ के जल संसाधन की हो रही मनमानी से अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में इस ओर ध्यान देने की इच्छा जताई. अमरावती ज़िले की अपर वर्धा सिंचाई परियोजना का पानी उद्योगों को दिए जाने पर भी मुत्तेमवार ने सवाल खड़े किए. मुत्तेमवार ने साफ़ कहा कि विदर्भ में पानी की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री पैकेज से सिंचाई परियोजना पूरी हुई और जो पानी मिला, उसे भी उद्योगों को दे दिया गया. विदर्भ के राख के ढेर पर होने के सवाल पर मुत्तेमवार ने कहा कि ताप-बिजली परियोजना के चलते विदर्भ का चंद्रपुर शहर पहले प्रदूषण के मामले में देश में चौथे नंबर पर था. अब इसका प्रमोशन हो गया है और वह पहले नंबर पर आ गया है. पहले विदर्भ में ताप-बिजली परियोजनाएं इसलिए आईं कि यहां कोयले का भंडार है. अब जो परियोजनाएं आ रही हैं उनके लिए कोयला बाहर से लिया जाएगा. पहले कोयला भी हमारा था. अब पानी हमारा, ज़मीन हमारी और प्रदूषण भी हमारा होगा. बता दें कि अमरावती के औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन सोफिया पावर कंपनी को इसी अपर वर्धा डैम से पानी दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने भी जल परिषद में आश्वासन दिया कि सिंचाई परियोजनाओं का पानी ताप-बिजली घरों को दिए जाने का विरोध हो रहा है. इस कारण अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की परियोजनाओं को एक ही क्षेत्र विशेष में अनुमति न दी जाए.

चौथी दुनिया ने मुद्दे उठाए थे

- बिजली की कमी का रोना ठीक है. बिजली मिल जाएगी, परंतु सरकार पानी कहां से लाएगी.
- उद्योगों को पानी देने के लिए पूरे राज्य में पानी का ऑडिट होना चाहिए.
- विदर्भ में पानी की कमी है. सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है. फिर यहां पानी पर आधारित बिजली परियोजनाओं को मंज़ूरी क्यों दी जा रही है.
- पानी वितरण का अधिकार किसे होना चाहिए?
- पानी वितरण के तरीक़े क्या होने चाहिए?
- पानी पर पहला अधिकार किसका है?
- जब महाराष्ट्र जल प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई तो उच्चाधिकार समिति को पानी वितरण का अधिकार क्यों दिया गया?
- कृषि ज़रूरी है या उद्योगों की स्थापना?
- संतुलित और सतत विकास की यह कौन सी परिभाषा है?
- पानी पर जन भागीदारी की अवधारणा का क्या हुआ?
- सिंचाई योजनाएं क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं?
- सिंचाई के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?

विविध बैंकों से कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण की क़िस्त की रक़म भी वेतन से कटौती के बावजूद जमा नहीं की गई.

ग्रामीणों को गांव में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी. इसके अलावा विविध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी काम के बोझ से राहत मिलेगी.

लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए डॉ. मोहन धारिया द्वारा दिए गए सुझावों की तीसरी कड़ी

[illegible]

वन और पर्यावरण की सुरक्षा

[illegible]

सहकारिता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

[illegible]

डॉ. मोहन धारिया
feedback@chauthiduniya.com

जनता से क्यों कट गया है बापू का आश्रम

संजीव चंदन

[illegible]

आश्रम द्वारा पर्यावरण के नाम पर इस कंपनी का विरोध फिर से रस्म अदायगी सिद्ध हुआ, क्योंकि एक बार फिर वर्धावासियों ने विकास और रोज़गार सृजन के नाम पर आश्रम की मुहिम को समर्थन देने से इंकार कर दिया.

[illegible] मामला भी दर्ज हो गया. नमक की यह लड़ाई उस गांधी के आश्रम [illegible] आख़िर आश्रम ऐसे अभियानों का केंद्र क्यों नहीं बनता? लैंको के विरोध में समीपवर्ती गांव के लोगों ने इसके पर्यावरण क्लिअरेंस के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है.

feedback@chauthiduniya.com

आदर्श की उलझती पहेली

आदर्श सोसायटी में हुए घालमेल में नित नए तथ्य उजागर किए जा रहे हैं. महाराष्ट्र के जितने नेताओं के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे हैं, वे एक-न-एक नया तथ्य अपने बचाव में उजागर करने में लगे हैं. लिहाज़ा यह मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार का रुख़ भी बार-बार अलटी-पलटी मार रहा है. विलासराव देशमुख का नाम आया तो उन्होंने यह कह कर अपना बचाव किया कि मुझे कुछ याद नहीं, फाइल देखनी पड़ेगी. सुशील शिंदे का नाम आया तो उन्होंने पूरे मामले की हवा ही निकाल दी. शिंदे साहब ने जांच एजेंसी को हलफ़नामा थमा कर स्पष्ट किया कि आदर्श सोसायटी की ज़मीन रक्षा विभाग या सेना की थी ही नहीं. साथ ही यह भी साफ़ किया कि आदर्श सोसायटी के फ्लैट कारगिल के शहीदों के लिए आरक्षित नहीं थे. जब ऐसा है तो फिर बेचारे अशोक चव्हाण को क्यों बलि का बकरा बना दिया गया. एक ही झटके में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई. यह तो कोई न्याय न हुआ कि घोटाले में फंसे एक मंत्री को बचाया जाए और दूसरे को बलि का बकरा बनाया जाए. इसका मतलब तो यही हुआ कि कहीं न कहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ है. कहीं यह अशोक चव्हाण के ख़िलाफ़ किसी दुश्मन की साज़िश तो नहीं है? अरे बाबा, आपले महाराष्ट्र मदे हे काय होत आहे. समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य में यह क्या चल रहा है- करे कोई, भरे कोई. अंधेरगर्दी मची है. यह अलटी-पलटी, तीन गलटी का खेल क्यों खेला जा रहा है. कभी कोई पूर्व अधिकारी हलफ़नामा दायर कर कहता है कि फ़लां मुख्यमंत्री ने आदर्श की ज़मीन का आरक्षण बदलने का निर्देश दिया था. मंज़ूरी दी थी, कभी कहा जाता है कि आदर्श सोसायटी के फ्लैट कारगिल शहीदों के लिए आरक्षित थे, कभी कहा जाता है कि आरक्षित नहीं थे. कभी कहा जाता है कि उसके निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से मंज़ूरी नहीं ली गई. कभी फाइल से काग़ज़ात ग़ायब होते हैं, कभी पूरी फाइल ही लापता हो जाती है. हार्डडिस्क ही गुम हो जाती है. आख़िर माजरा क्या है? इस मामले में सेना के अधिकारियों से लेकर नौकरशाहों व राज्य के वरिष्ठ नेताओं का नाम बार-बार आ रहा है. सारे नेता व नौकरशाह अपने को निर्दोष बता रहे हैं. भ्रष्टाचार की पोटली में सब गुत्थम-गुत्था हैं. किसकी बात पर भरोसा किया जाए. ऐसा लगता है कि आदर्श की भ्रष्ट पोटली को खोलने में किसी की दिलचस्पी नहीं है. बस जितना लंबा खिंच सकता है खींचते रहो, का सिद्धांत अपना रखा है. कहां आम आदमी को रहने के लिए एक झोपड़ा नहीं मिलता और नेताओं-अफ़सरशाहों के कई-कई हवेलीनुमा बंगले, कई-कई शहरों में रहते हैं. आदर्श सोसायटी एक पहेली-सी बन गई है. अब मुख्यमंत्री के अधीन नगर विकास विभाग ने भी एक हलफ़नामा पेश कर दिया है. इस हलफ़नामे में भी बताया गया कि एक पूर्व मुख्यमंत्री (वर्तमान में केंद्रीय मंत्री) ने नियम-क़ायदों को ताक़ पर रख कर आदर्श को बिना आदर्श कर दिया था यानी अभी और हलफ़नामे पेश हो सकते हैं. पेश करो भाई जितनी आपकी इच्छा हो करो, आपकी सरकार है. हम तो यह चाहते हैं कि आदर्श की पहेली जल्द से जल्द सुलझ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. आदर्श उनको मिल जाए जो उसके असली हक़दार हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार
महाराष्ट्र
आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड नागपुर- ४४०००३
फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५
Email:- chauthiduniya@gmail.com
राष्ट्रीय साप्ताहिक १६ पृष्ठों के साथ महाराष्ट्र के रंगीन ४ पृष्ठ
आज ही अपना अंक सुरक्षित करवाएं
हॉकर और बुक स्टॉल धारकों के लिए उपलब्ध

मुंबई	: दातार एंड सन्स, मुंबई	– 022–2203427
नागपुर	: पाठक ब्रदर्स, नागपुर	– 0712 2420293
नागपुर	: दांगट न्यूज पेपर, रामदासपेठ, नागपुर	
जलगांव	: पाठक ब्रदर्स, जलगांव	– 0257–2225806
नासिक	: पाठक ब्रदर्स, नासिक	– 0253–2506898
पुणे	: दांगट न्यूज पेपर, पुणे	– 9922419042
औरंगाबाद	: संदीप सुखधान	– 9762478014
अकोला	: कृष्णा मार्केटिंग, अकोला	– 9011325700

चिखली नगरपालिका

पीएफ की राशि वेतन में बांट दी

अनूप महाजन

बुलढाना ज़िले के चिखली नगर पालिका प्रशासन की कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशीलता की उस समय अति हो गई जब पता चला कि कर्मचारियों की राशि संबंधित विभागों में जमा ही नहीं की गई, जबकि कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान देने में सरकार कोई कोताही नहीं बरतती है. इसके बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ा. ज़िले के चिखली नगर पालिका प्रशासन ने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि काटने के बाद भी यह राशि उनके भविष्य निधि खातों में जमा नहीं की. इसके अलावा विविध बैंकों से कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण की क़िस्त की रक़म भी वेतन से कटौती के बावजूद जमा नहीं की गई. इसकी जानकारी मिलते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

नगर पालिका प्रशासन द्वारा हर माह अपने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की रक़म नियमानुसार काटी जाती रही है, लेकिन भविष्य निधि की रक़म 8 लाख 98 हज़ार 320 रुपए कर्मचारियों के खातों में नहीं जमा नहीं किए गए. साथ ही कर्मचारियों ने विविध बैंकों से जो ऋण लिया था उसकी मासिक क़िस्त की राशि 19 लाख 27 हज़ार 800 रुपए भी वेतन से काटे, पर बैंक को भुगतान नहीं किया गया यानी कुल 28 लाख 26 हज़ार 120 रुपए का घालमेल हो गया. इससे कर्मचारियों को दोहरा नुक़सान उठाना पड़ा. एक तो भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज़ से वे वंचित रह गए, वहीं बैंक की क़िस्त जमा न होने से उन पर ब्याज़ का बोझ और बढ़ गया. अब सवाल यह है कि कर्मचारियों को हुए नुक़सान की भरपाई कौन करेगा? विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि एक साल पहले ही राज्य सरकार ने सभी नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सौ प्रतिशत अनुदान देने का फ़ैसला लिया था, तब से सभी नगर परिषदों के कर्मचारियों को वेतन भुगतान के साथ ही उनके भविष्य निधि की रक़म हर माह समय पर जमा होने लगी है. एकमात्र चिखली नगर परिषद अपवाद है. चिखली नगर पालिका के 17 विविध विभागों में 210 कर्मचारी कार्यरत हैं. सबसे अधिक स्वास्थ्य व जलापूर्ति विभाग में काम करते हैं. कर्मचारियों को जब अपनी अमानत में ख़यानत होने का पता चला तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई. उन्होंने जब लेखा विभाग के अधिकारी से पूछा कि उनके वेतन से काटी गई भविष्य निधि का कहां, किस कार्य के लिए उपयोग किया गया तो जवाब मिला कि इस रक़म से कर्मचारियों को दो माह का वेतन दिया गया है. पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार संभाल रहे तहसीलदार संजय खड़से से पूछा गया तो उनका कहना था कि कर्मचारियों की भविष्य निधि का उपयोग किसी और कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है. इसकी जानकारी पालिका के लेखा विभाग को दी थी, परंतु कर्मचारियों की मांग को देखते हुए दो माह का वेतन देने के लिए इस राशि का उपयोग किया गया और विशेष अनुरोध पर मैंने हस्ताक्षर किए. आने वाले वेतन अनुदान से भविष्य निधि की रक़म जमा कर दी जाएगी. साथ ही आगे से ऐसी गंभीर चूक न हो इसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन तहसीलदार ने कर्मचारियों के बैंक ऋण की क़िस्त के भुगतान के लिए काटी गई रक़म के विषय में चुप्पी साध ली.

पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि इससे पहले कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता पोस्ट ऑफिस में था. तब भी नगर पालिका का लेखा विभाग कर्मचारियों की भविष्य निधि की रक़म समय पर नहीं जमा करता था, जिसके मद्देनज़र वहां खाते बंद कर दिए गए. उसके पश्चात 26 फ़रवरी 2011 को नगर पालिका के लेखा विभाग ने सभी कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की चिखली शाखा में शुरू किया, मगर यहां भी कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई. भविष्य निधि की रक़म नियमित रूप से नहीं भरी जा रही है. इससे भविष्य निधि पर मिलने वाले लाभ से कर्मचारी वंचित हैं. इससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक नक़सान उठाना पड़ रहा है. इस पूरे घोटाले के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर नियम विरुद्ध भविष्य निधि के उपयोग पर कार्रवाई की जानी चाहिए. इस घोटाले के लिए सीधे तौर पर नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िम्मेदार होता है ,क्योंकि किसी भी स्थिति में भविष्य निधि राशि का उपयोग अन्यत्र नहीं किया जा सकता है. यह शासन के नियमों के ख़िलाफ़ है. यह सरासर कर्मचारियों की अमानत में ख़यानत का गंभीर मामला है.

feedback@chauthiduniya.com

26 फ़रवरी 2011 को नगर पालिका के लेखा विभाग ने सभी कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की चिखली शाखा में शुरू किया, मगर यहां भी कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई. भविष्य निधि की रक़म नियमित रूप से नहीं भरी जा रही है. इससे भविष्य निधि पर मिलने वाले लाभ से कर्मचारी वंचित हैं.

वाहनों की बढ़ती संख्या सिरदर्द बनी

आलोक मिश्रा

देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक पुणे में वाहनों के कारण प्रदूषण फैल रहा है. यही कारण है कि अगस्त 2009 में जब पुणे ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग स्वाइन फ्लू से ख़ौफ़ज़दा थे, पुणे की आबोहवा शुद्ध हो गई थी. यह रोचक तथ्य सामने आया है हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में जिसके अनुसार पुणे का वातावरण मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार प्रदूषित हो रहा है और इस पर जल्द ही अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है. यह दिलचस्प रिपोर्ट नीरी के जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुई है. 4 अगस्त 2009 को विषाणु एच1एन1 से मौत होने का पहला मामला सामने आया था. इसे देखते हुए पुणे के शहर प्रशासन ने एच1एन1 को रोकने के लिए सभी आवश्यक क़दम उठाए. चूंकि यह भीड़ के बीच बहुत तेज़ी से फैलता है इसलिए प्रशासन ने इसके लिए आइसोलेशन तकनीक पर अमल करना आरंभ किया. इसके तहत पुणे के सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर आदि कुछ दिनों के लिए बंद करा दिए गए. शहर में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा होने लगे. इससे सार्वजनिक रूप से होने वाली मानवीय गतिविधियां थम सी गईं. पुणे शहर ठहर-सा गया, पर प्रदूषण शोधकर्ताओं का काम जारी रहा और उन्हें अपने लिए अवलोकन करने का एक सुअवसर हाथ लग गया. वैज्ञानिकों ने पाया कि इस दौरान आरएसपीएम कणों के साथ ही कार्बन डाईऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी घट गई. इसके साथ ही यह तथ्य भी स्थापित हो गया कि पुणे में ज़्यादातर औद्योगिक-व्यापारिक गतिविधियों और यातायात के कारण वायु की गुणवत्ता ख़राब ही होती है. पिछले कुछ वर्षों में यहां वाहनों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है. नगर की सड़कों में हर महीने क़रीब दस हज़ार नए वाहन जुड़ जाते हैं. इससे न केवल शहर में वाहनों की रेलमपेल बढ़ रही है, बल्कि वायु की गुणवत्ता भी दिनोदिन नीचे जा रही है. शहर की 60 प्रतिशत सड़कें शहर के बीचोंबीच से गुज़रती हैं, जबकि केवल 40 प्रतिशत ही बाहरी क्षेत्रों में हैं. इस कारण यातायात शहर के बीच में केंद्रित हो जाता है.

प्रदूषण का मूल्यांकन और इसके कारणों को जानने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के शोधकर्ताओं ने विभिन्न यंत्रों के माध्यम से प्रदूषण को आंकने का प्रयास किया. शोध के बाद इसकी रिपोर्ट जरनल ऑफ एन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रकाशित की गई. प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की लिस्ट में पुणे का नाम सबसे पहले है. शोधकर्ताओं ने शहर की एंबिएंट एयर क्वालिटी (किसी विशेष परिवेश की वायु गुणवत्ता) जानने के लिए वर्ष 2006 में कन्टिन्युअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए. ऐसे स्टेशनों को शहर के तीन रहवासी-सह-व्यावसायिक स्थानों पर लगाया गया. स्टेशनों ने मापदंडों के आधार पर प्रदूषकों की मात्रा पता लगाना शुरू कर दिया. रिपोर्ट के आधार पर दो प्रकार के तथ्य सामने आए. इनमें से पहला यह था कि पुणे में जुलाई-अगस्त के महीने में आने वाले गणेशोत्सव, अक्टूबर-नवंबर में दशहरा, दीपावली और कुछ अन्य त्यौहारों के दौरान जबकि व्यावसायिक गतिविधियां, यातायात और लोगों की सार्वजनिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, तब वायु की गुणवत्ता एकदम घट जाती है. इस दौरान हवा को प्रदूषित करने वाले घटक सेकेंडरी पोल्युटेंट्स का हवा में घनत्व बढ़ जाता है. द्वितीयक प्रदूषक मानवीय गतिविधियों द्वारा पैदा किए गए हैं. इनसे हवा में कार्बन डाई ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है. धूल में पाए जाने वाले मोटे कण (आरएसपीएम), जो श्वसन प्रक्रिया के अयोग्य होते हैं (स्वीकृत मानक पीएम 2.5 से मोटे) के साथ मिल कर ये प्रदूषक श्वास नली से सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं. शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्सवों में यातायात, दहन क्रियाएं, पटाख़े, आतिशबाज़ी आदि बढ़ जाने से शहर में इन तत्वों का संकेंद्रण (कान्सनट्रेशन) बढ़ जाता है. साथ ही इसी दौरान वायु में धूलकणों और वाष्प की मात्रा भी काफ़ी होती है, लेकिन ये प्राथमिक प्रदूषक का कार्य करते हैं. ये द्वितीयक प्रदूषकों की अपेक्षा पर्यावरण और हमारी श्वसन प्रकिया में कम नुक़सानदेह हैं. परेशानी तब होती है जब धूल कणों के साथ ही ज़हरीली हवा के अणु मिल कर श्वसन प्रणाली से शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं. वैसे भी पुणे में ई-कचरा अब एक नई चुनौती बन कर उभरा है. ऐसे में अगर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की उपाय योजना समय रहते नहीं की गई तो अब तेज़ी से बढ़ रहे शहर में जन स्वास्थ्य की नई समस्या खड़ी हो जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

महा ई-सेवा कब शुरू होगी

महाराष्ट्र में पिछले दो वर्ष से शासन-प्रशासन द्वारा ई-गवर्नेंस योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है. कभी सरकार घोषणा करती है कि किसानों को सात-बारा ऑनलाइन दिया जाएगा तो कभी कहती है कि सभी तरह के प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जाएंगे. जनता गत दो वर्षों से सरकार की प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से घोषित की गई महा ई-सेवा के शुरू होने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता से शुरू होने वाली इस योजना पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया है. गत 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने पुनः एक बार घोषणा की कि शीघ्र ही राज्य प्रशासन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार से लोगों को राहत दिलाने के लिए ई-गवर्नेंस योजना पर अमल किया जाएगा. ग्राम पंचायतों को तहसील व ज़िला कार्यालयों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा. इससे ग्रामीण जनता को तहसील व ज़िला कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा, परंतु यह योजना कब तक शुरू होगी यह निश्चित नहीं है.

दरअसल ई-सेवा योजना केंद्र सरकार की पूरे देश को ई-गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन करने की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना को राज्य में महा ई-सेवा नाम दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 11820 महा ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाने थे. केंद्र सरकार द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत राज्यों के ग्रामीण व शहरी नागरिकों तक सभी सरकारी, अर्धसरकारी व निजी सेवाओं को पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर वर्ष 2008 में बनाई गई थी. योजना के अनुसार छह गांवों या 5000 जनसंख्या के मध्य एक महा ई-सेवा स्थापित की जानी है. केंद्र सरकार ने इसके साथ आठ अन्य पूरक योजनाएं भी शुरू करने का निर्णय लिया है. इन सभी योजनाओं को तीन चरणों में बांटा गया है- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर. इस योजना को राज्य में निजी सहभागिता से लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने 2008 में निविदा निकाली थी. निविदा खुलने के उपरांत कोंकण व पुणे विभाग में महा ई-सेवा स्थापित करने का अनुबंध मुंबई की संस्था मे. स्पैंको टेलीसिस्टम्स एंड सोल्युशंस लि., नासिक विभाग के लिए मुंबई की संस्था मे. श्री आई इंफोटेक, औरंगाबाद व अमरावती विभाग के लिए मे. सीएमएस कंप्यूटर मुंबई, नागपुर विभाग के लिए मे. रिलायंस कम्युनिकेशन मुंबई से अनुबंध किया गया है. इन संस्थाओं ने ग्राम पंचायत स्तर पर महा ई-सेवा की फ्रेंचाइजी देने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों से आवेदन मंगाए और 12,030 रुपए एक केंद्र के लिए वसूली की. यह वसूली डीडी के माध्यम से इंवेस्टमेंट (निवेश) के रूप में की गई. कई ग़रीब व बेरोज़गार युवक-युवतियों ने भी इधर-उधर से जुगाड़ कर फ्रेंचाइजी तो ले ली, लेकिन योजना के अब तक लागू न होने से ख़ुद को ठगा-सा महसूस करते हैं, क्योंकि जिनसे उधार लिया है उनका पैसा लौटाना भी है. दो साल बाद जब 1 मई 2011 को महाराष्ट्र दिवस को महा ई-सेवा को लागू करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो उन्हें लगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर योजना लागू करने की सरकार को याद तो आई. मगर जब यह पता किया गया कि योजना कब से लागू हो रही है तो हर जगह से यही जवाब मिला कि पता नहीं. इसका मतलब है कि महा ई-सेवा फ्रेंचाइजी लेने वालों एवं जनता को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा.

इस संबंध में रिलायंस कम्युनिकेशन के नागपुर स्थित कार्यालय में पदस्थ महा ई-सेवा प्रोजेक्ट प्रबंधक राय ने बताया कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 11 मई को ऑनलाइन मैनेजिंग टूल (ओएमटी) सॉफ्टवेयर का उद्घाटन कर दिया है. मगर इस योजना का ज़मीनी स्तर पर शुभारंभ कब होगा, यह कहना मुश्किल है. नागपुर ज़िले के बूटीबोरी एमआईडीसी क्षेत्र में एक महा ई-सेवा केंद्र शुरू हुआ जो फ़िलहाल मैनुअल सेवा दे रहा है. हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और जब भी योजना का शुभारंभ होगा, फ्रेंचाइजी धारकों और मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि संभावना है कि यह शीघ्र शुरू हो जाएगी. वैसे मई के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ने नागपुर ज़िले की महा ई-सेवा का भी औपचारिक उद्घाटन कर दिया है.

महा ई-सेवा के अंतर्गत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, साल्वेंसी सर्टीफिकेट, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टीफिकेट, सीनियर सिटिजन सर्टीफिकेट, राशन कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सातबारा, होटल लाइसेंस का नवीनीकरण, निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, हलफ़नामा (एफिडेविट), प्रापर्टी कार्ड, नॉन क्रीमिलेयर सर्टीफिकेट सहित क़रीब 75 से 80 प्रकार के प्रमाण पत्र स्थानीय निवासियों को एक निश्चित समय में और निर्धारित शुल्क में प्रदान किए जाने का प्रावधान है. इस योजना के लागू हो जाने पर नागरिकों को ज़िला व तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लंबी-लंबी कतारों में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे उनके समय व पैसे दोनों की बचत होगी. सबसे अहम बात लोगों को दलालों के चंगुल से छुटकारा मिल जाएगा. ग्रामीणों को गांव में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी. इसके अलावा विविध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी काम के बोझ से राहत मिलेगी. मगर इस योजना के लागू होने में कई अड़चनें भी हैं. सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्ट अधिकारियों की उदासीनता.

नागपुर ज़िलाधिकारी (कलेक्ट्रेट) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब पटवारी प्लॉट के सातबारा के लिए 500 से 1000 रुपए वसूल करता है और कुछ अधिकारी घर का नक्शा हो या अन्य कोई दस्तावेज़ बनवाना हो तो सिर्फ़ हस्ताक्षर करने के हज़ारों रुपये वसूल करते हैं. उन्होंने सवाल किया कि कौन भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी अपनी अतिरिक्त कमाई बंद करना चाहेगा? इसलिए इस योजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर घोर उपेक्षा व्याप्त है. दूसरी समस्या है बिजली की. ग्रामीण क्षेत्र में लोडशेडिंग 4 से 6 घंटे होती है, ऐसे में महा ई-सेवा केंद्र कैसे काम कर पाएंगे? केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई ज़रूरी है. बिजली आपूर्ति के बिना यह योजना लागू होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी धारक इनवर्टर नहीं लगा सकता है. इसका मतलब यही हुआ कि सरकार ने भले ही महा ई-सेवा को राज्य लागू करने की घोषणा कर दी है, पर इस पर अमल अभी मुश्किल ही लगता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विभागवार स्थापित होने वाले महा ई-सेवा केंद्र

क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	कुल केंद्र
कोंकण	1488	315	1803
नासिक	1223	139	1362
पुणे	1676	210	1886
नागपुर	2132	222	2354
अमरावती	1836	183	2019
औरंगाबाद	2129	267	2396

चौथी दुनिया महाराष्ट्र
आवश्यकता

विज्ञापन व्यवस्थापक (पांच साल का अनुभव)
विज्ञापन प्रतिनिधि (कम से कम तीन साल का अनुभव)
प्रसार व्यवस्थापक (कम से कम तीन साल का अनुभव)
जिला प्रतिनिधि (महाराष्ट्र के हर जिले में- मानधन + कमीशन बेस पर)
वितरण एजेंट (महाराष्ट्र के हर जिले में)
संपर्क
आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर- ४४०००३
फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५